महानगर नई दिल्ली शनिवार 7 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

पुलिस ने चारों आरोपियों को मार गिराया

हैदराबाद बलात्कार-हत्या मामला

सुबह करीब छह बजे हुई मुठभेड़

हैदराबाद/नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में पशु चिकित्सक से बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने के सभी चारों आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। यह जानकारी पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने दी। मुठभेड़ की इस घटना की कई लोगों ने प्रशंसा की जबकि कुछ ने न्यायेतर कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की।

प्रेस कान्फ्रेंस करते साइबराबाद पुलिस आयुक्त सीवी सज्जनार।

25 वर्षीय युवती से कथित तौर पर बलात्कार करने, उसकी हत्या करने और उसके बाद उसका शव जलाने के लिए 29 नवंबर को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना को लेकर बड़े पैमाने पर आक्रोश उत्पन्न हो गया था और इस घटना से दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुई घटना की यादें ताजा हो गई थीं, जब एक फिजियोथेरेपी इंटर्न के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपियों को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

पुलिस ने बताया कि ये मुठभेड़ सुबह पौने छह बजे से सवा छह बजे के बीच हुई। घटना उस समय हुई जब जांच के लिए पुलिस आरोपियों को घटनाक्रम की पुनर्रचना के लिए किसी अज्ञात जगह से हैदराबाद स्थित घटनास्थल ले गई थी। 20 से 24 वर्ष की आयु वाले चारों आरोपियों को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी और वे पुलिस हिरासत में थे। मुठभेड़ का ब्योरा देते हुए शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर एक मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद करने के लिए पुलिस टीम उन्हें वहां लेकर गई थी। इस टीम में पुलिस के 10 अधिकारी शामिल थे।

साइबराबाद पुलिस आयुक्त सीवी सज्जनर ने संवाददाताओं को बताया कि उनके कर्मियों ने तब जवाबी **बाकी पेज 8 पर**

सज्जनार ने वारंगल में भी ऐसी मुठभेड़ को दिया था अंजाम

निर्भया मामला : गृह मंत्रालय ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की

अधीर के बयान पर कांग्रेस सदस्यों और स्मृति के बीच नोकझोंक, लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित

आरोपियों के मारे जाने से पीड़िता के परिजन खुश – खबरें पेज 11 पर

मुठभेड़ स्थल पर शुक्रवार को जमा भीड़।

जहां अपराध किया, वहीं हुआ खात्मा

चेट्टनपल्ली (तेलंगाना), 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म के चारों आरोपियों ने जहां पर इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया था, उसी स्थान पर शुक्रवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में उनका खात्मा हुआ। शहर की भागदौड़ से दूर धान और टमाटर के खेतों से घिरा चेट्टनपल्ली गांव चार आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने और शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद चर्चा में आया।

चारों आरोपियों के **बाकी पेज 8 पर**

शवों को सुरक्षित रखने का आदेश

हैदराबाद, 6 दिसंबर (भाषा)।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपियों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनके शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए।

हाई कोर्ट ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

सोशल मीडिया पर कहीं समर्थन तो कहीं सवाल

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों की शुक्रवार को कथित मुठभेड़ में मौत के बाद कुछ ही घंटों में चार लाख से अधिक ट्वीट किए गए। एक ओर जहां कुछ ट्विटर यूजर्स ने घटना पर खुशी प्रकट की, वहीं कुछ लोग चिंतित दिखाई दिए।

ट्विटर के अलावा अन्य सोशल मीडिया साइटों पर भी लोगों ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान लोगों के बीच 2008 में भी ऐसी ही घटना में मुठभेड़ को अंजाम देने में शामिल रहे **बाकी पेज 8 पर**

"जो भी हुआ बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए-आप लोगों को इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। आप कानून को अपने हाथ में नहीं सकते हैं। **-मेनका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री**

"बहुत देर कर दी। देर आए दुरुस्त आए। महिला हिंसा से जुड़े इस तरह के गंभीर मामलों के आरोपियों के साथ कठोर रवैया अपनाना चाहिए। **- जया बच्चन, सपा सांसद**

"तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है। यह जानने के लिए कि क्या मुठभेड़ वास्तविक था, क्या वे भागने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और था। **-पी चिदंबरम, कांग्रेस नेता**

"सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं। हमें और जानने की जरूरत है। विस्तृत जानकारी मिलने तक इसकी निंदा करना सही नहीं है। **-शशि थरूर, लोकसभा सांसद**

विशेष पन्ना **राजकाज** पेज 7 पर

उन्नाव मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआइटी बनाई

लखनऊ, 6 दिसंबर (भाषा)।

उन्नाव मामले की जांच के लिए लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है और पूरी घटना के बारे में रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने को कहा है।

लखनऊ मंडल के आयुक्त मुकेश मेश्राम ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार शाम को मैंने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और उन्नाव के एडिशनल एसपी विनोद पांडेय के नेतृत्व में पांच सदस्यीस एसआइटी का गठन किया। इस टीम को पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उनसे पूछा गया कि क्या एसआइटी की जांच के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है। इस पर मेश्राम ने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द ही उनके पास आ जाएगी जिसे शासन को भेज दिया जाएगा।

उन्नाव पीड़िता को पांच लोगों ने आग के हवाले कर दिया था।

घटना में शामिल सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्नाव पीड़िता को **बाकी पेज 8 पर**

हैदराबाद मुठभेड़ की तर्ज पर न्याय की मांग
-खबर पेज 8 पर

पीड़िता की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखा गया

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

उन्नाव में बलात्कार के बाद आग के हवाले की गई पीड़िता की हालत बहुत नाजुक है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। पीड़िता का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पीड़िता को गुरुवार शाम लखनऊ से एअर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली लाकर सफदरजंग अस्पताल में **बाकी पेज 8 पर**

आरोपियों ने परिजनों को दी धमकी

उन्नाव, 6 दिसंबर (भाषा)।

बलात्कार पीड़िता को जिंदा जलाने की जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपितों की ओर से अब पीड़िता के चाचा और चाची को अंजाम भुगतने के साथ ही दुकान जलाने और जीने न देने की धमकी दी गई है। वर्तमान में पीड़िता के चाचा **बाकी पेज 8 पर**

वाहन कलपुर्जा कारोबार 10 फीसद गिरा

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

वाहन कलपुर्जा उद्योग का कहना है कि उसका कुल कारोबार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 10 फीसद गिर गया है और इस उद्योग में करीब एक लाख अस्थायी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। कलपुर्जा विनिर्माताओं के संगठन आटोमोटिव कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एक्मा) ने शुक्रवार को यहां कहा कि वाहन बाजार में गिरावट का असर कजपुर्जा बनाने वाली इकाइयों पर भी पड़ा है।

एक्मा के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में वाहन कलपुर्जा उद्योग ने कुल 1.79 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि

इस उद्योग में करीब एक लाख अस्थायी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं।

में इस उद्योग का कुल कारोबार 1.99 लाख करोड़ रुपए था। एक्मा ने बताया कि इस अवधि में कारोबार में नरमी का असर निवेश पर भी पड़ा है और उद्योग को दो अरब डॉलर तक के निवेश का नुकसान उठाना पड़ा है।

एक्मा के अध्यक्ष दीपक जैन ने यहां संवाददाताओं से कहा- वाहन उद्योग लंबे समय से नरमी का सामना कर रहा है। पिछले एक साल से सभी श्रेणियों की कार बिक्री में गिरावट बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वाहन कलपुर्जा उद्योग की वृद्धि वाहन उद्योग पर निर्भर करती है और चालू अवधि में वाहन उत्पादन में 15 से 20 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है जिसका वाहन कलपुर्जा उद्योग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है।

जैन ने कहा कि पिछले साल अक्तूबर से इस साल जुलाई तक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला गया है। उनके अनुसार इस अवधि में करीब एक लाख अस्थायी कर्मचारियों को काम से हटाना पड़ा है।

पोक्सो के अभियुक्त को नहीं मिले दया याचिका का अधिकार : कोविंद

जयपुर, 6 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा कि पोक्सो कानून के अधीन आने वाली घटनाओं में अभियुक्तों को दया के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए और उन्हें इस तरह का अधिकार दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी के मुख्यालय में सामाजिक परिवर्तन के लिए **बाकी पेज 8 पर**

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज समेत सात पर मामला

मेडिकल कॉलेज घोटाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने एक मेडिकल कॉलेज का कथित तौर पर पक्ष लेने से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला को नामजद किया है और उनके लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एजंसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के जज एसएन शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज आई एम कुद्दूसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव समेत ट्रस्ट के कुछ लोगों व दो अन्य व्यक्तियों भावना पांडेय और सुधीर गिरि को भी मामले में नामजद किया है। कुल सात लोगों को नामजद किया गया है।

सीबीआइ ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआइ ने लखनऊ, मेरठ और दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी।

आरोप है कि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को **बाकी पेज 8 पर**

प्याज के दाम कुछ जगहों पर 165 रुपए किलो तक पहुंचे

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

प्याज के भाव में नरमी का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। आयात के जरिए बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद यह शुक्रवार को गोवा और कुछ जगहों पर प्याज 160-165 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया।

संसद में सरकार ने बताया कि आयातित प्याज की खेप 20 जनवरी तक देश में आनी शुरू हो जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों के अनुसार देश के ज्यादातर शहरों में, प्याज की खुदरा कीमत बाजारों में 100 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक था, जबकि प्याज के प्रमुख उत्पादक केंद्र, महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार को इसकी दर 75 रुपए किलो थी।

पणजी (गोवा) में खुदरा प्याज की कीमतें 165 रुपए प्रति किलोग्राम और मायाबंदर (अंडमान) में 160 रुपए किलो व केरल के तिरुवनंतपुरम, कोझीकोड, त्रिसुर और वायनाड में शुक्रवार को यह कीमत 150 रुपए किलो थी।

मंत्रालय द्वारा विभिन्न शहरों के बारे में जुटाई गई सूचना के अनुउसार कोलकाता, चेन्नई और केरल व **बाकी पेज 8 पर**

रविवारी
8 दिसंबर, 2019

विवाह, धोखा और कानून

विदेशों में बसे युवाओं-युवतियों का विवाह के बाद अपने जीवन साथी को छोड़ कर भाग जाना चिंता की बात है। इसी को ध्यान में रख कर पंजीकरण कानून बने। वे कानून कितने कारगर हैं या उनमें क्या कमियां हैं, बता रहे हैं श्रीशचंद्र मिश्र।

• कहानी/ मीरा सीकरी • प्रसंग/ विनोद शाही • मुद्दा/ मोनिका शर्मा • शख्सियत/ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

सर्दियों में करें कपड़ों की खास तैयारी • सुमन बाजपेयी

•कविता/ जितेश कुमार •कहानी/ इंद्रजीत कौशिक

निर्भया के पिता ने कार्रवाई का समर्थन किया | **एक सुर** | **मां ने कहा, पुलिसकर्मियों पर न हो कार्रवाई**

'कम से कम उन्हें तो न्याय जल्दी मिल गया'

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों के शुक्रवार तड़के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने का निर्भया के माता-पिता ने स्वागत करते हुए कहा कि उनके न्याय का इंतजार जल्दी खत्म हो गया, वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऐसी कार्रवाइयों के प्रति सचेत रहने की हिदायत दी है। निर्भया के पिता ने कहा कि अगर पुलिस ने गोली नहीं चलाई होती तो आरोपी भाग जाते और फिर शायद कभी पकड़े नहीं जाते।

"हैदराबाद की चिकित्सक के परिवार को हमारी तरह न्याय के लिए सात वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम उनके माता-पिता का दर्द समझ सकते हैं।"

निर्भया के पिता ने फोन पर कहा, 'यह अच्छा है कि पुलिस ने त्वरित प्रतिक्रिया के साथ कार्रवाई की, नहीं तो आरोपी भाग जाते और उन्हें दोबारा पकड़ना मुश्किल होता। उनके भागने की कोशिश करने से पुलिस की दक्षता पर भी सवाल उठते हैं।' उन्होंने कहा कि परिवार का न्याय के लिए इंतजार जल्दी खत्म हो गया। उन्होंने कहा, 'हैदराबाद की चिकित्सक के परिवार को हमारी तरह न्याय के लिए सात वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम उनके माता-पिता का दर्द समझ सकते हैं। कम से कम उन्हें न्याय जल्दी मिल गया।' वहीं निर्भया की मां ने अधिकारियों ने अपील की है कि मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि आरोपियों के मारे जाने से खुश हूं, लेकिन न्याय उचित कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए। शर्मा ने कहा, 'हम मौत की सजा चाहते थे लेकिन न्याय प्रणाली के जरिए। मुझे नहीं पता कि किस परिस्थिति में गोली मारी गई। यह जांच के बाद सामने आएगा। इसिलए केवल पुलिस ही सच बता सकती है या जांच में पता चल सकता है।' गोवा प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख प्रतिमा कौटिन्हो ने कहा, 'हैदराबाद पुलिस को सलाम। न्याय हो गया। अब पीड़िता की आत्मा को शांति मिलेगी।'

निर्भया के दादा बोले, मेरे परिवार को सुकून मिला

बलिया, 6 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली में सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड पीड़िता निर्भया के दादा ने हैदराबाद कांड के आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर कहा कि इस तरह के कदम से बलात्कार करने वालों में भय उत्पन्न होगा और दरिंदगी की घटनाओं **बाकी पेज 8 पर**

कठुआ बलात्कार पीड़िता के परिवार ने जताई खुशी

जम्मू, 6 दिसंबर (भाषा)।

कठुआ में पिछले साल जनवरी में सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार बच्ची के परिवार ने हैदराबाद में हुई मुठभेड़ हत्याओं पर संतोष जताया और कहा कि कम से कम उस पीड़िता के परिवार को लंबे मुकदमे का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। कठुआ पीड़िता **बाकी पेज 8 पर**

जनसत्ता
क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Sau Sudesh,W/o-Gajraj Singh Rajput(Army No.10228129L NK),R/o Village-Karoli,Tehsil-Kotputli,Distt.-Jaipur, (Rajasthan)-303110,have changed my name as SUDESH Vide affidavit no.IN-DL75652860613436R. 0040523252-2

I,Rohtash S/o Ram Singh R/o-C-102, Flat.No.F-2,DLF Dilshad Extn-2, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad-201005,have changed my Name to Rohtash Daniel. 0040523239-2

I Adarsh Kaur Gujral Alias Adarsh Kaur Kamra Alias Adarsh Kaur, W/O, Kanwal Nain Singh,D/O Inderjit Singh, R/O-H.No.C-1/43, Janakpuri, Delhi-110058, Changed My Name To Adarsh Kaur. 0040523240-7

I Badam Singh S/o Malikhan Singh R/o Ratahari Village, Mitauli, Kheri, UP-262727, have changed my name to Sameer Yadav 0070687010-1

I Dheeraj S/o Surender Singh R/o D-525, Astha Vihar, Prem Nagar-3, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086, have changed my name to Dheeraj Singh 0070687001-1

I Punam Devi W/o Ajeet Kumar Verma R/o Patail, Ratnupur, Jaunpur, UP-222181, have changed my name to Rinki Devi 0070687005-1

I Puneet Kumar S/o Ashwani Kumar R/o Alluwalia Mohalla, Mukerian, Mukerian, hoshiarpur, Punjab-144211, have changed my name to Puneet Shrivastav 0070687006-1

I Raakhi Mehra W/o Manoj Kumar Mehra R/O-OMQ.no-6/1, Old Willingdon-Camp, Air-Force Station-Race Course, New Delhi-110003. has changed my name from Raakhi Mehra to Raakhee Mehra, for all future purpose and intend. 0040523240-4

I Sharat Majhee D/o Ganapati Naik R/o Kendudihi, Kendudihi, Sundergarh, Odisha-770013, have changed my name to Chandali Majhi 0070686995-1

I Shiv Kumar S/o Jagannath R/o BK-1/48-A, Shalimar Bagh, North West, Delhi-110088 have changed my name to Shivjeet Singh for all purposes. 0040523194-1

I Sunil Pal S/O Late Sh.Tara Chand R/O-H.No.301 Village-Lampur Narela Delhi 110040, Have Changed My Name Sunil Kumar For All Purposes. 0040523240-3

I Tuni Khatun Alias Shyama Yasmin D/o Sujayat Ansari and W/o Mo. Mansur Ali R/o G-15, Harkesh Nagar, Okhla Phase-2, Delhi-110020, have changed my name to Shama Yasmin 0070687004-1

I, Ankit Kumar S/o Ashok Pandey R/o C-1/527, Sangam Vihar, Mehrauli, Delhi-110062 have changed my name to Ankit Pandey permanently. 0040523274-6

I, Bajrang S/o Ram Niwas Singhal R/o-B-11 S.F, Pushpanjali-Enclave Pitampura Delhi-110034. Changed my name to Bajrang Kumar Singhal. 0040523232-3

I,Kamal Pratap S/o Late.Sh. Devendra Pratap Singh R/o-456,4-A, Nyay Khand-1,Indirapuram, Ghaziabad (U.P.),have changed my name from Kamal Pratap to Kamal Pratap Singh for all purposes. 0040523252-1

I,Harshill Gupta S/o Yagyadut Gupta R/o C-3/78,Ashok Vihar, Phase-II,Delhi-110052,have changed my name Harshill Gupta to Aadityaa Gupta for future. 0040523252-3

I,Anis Nawab Khan S/o-Nawab Khan R/o: K4/6A, Mohan Garden, Uttam-Nagar, New Delhi-59. Have Changed My Name to Anis Khan. 0040523232-8

I, Vir Sen S/o Jagdish Prasad R/o B-90, First Floor, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052 have changed my name to Virsen Verma for all future purposes. 0040523229-1

I, Varun Kumar S/O Hargun Lal Garg. R/O-Flat No-34, Gh-6, White-Apartment Paschim-Vihar West/Delhi-110087.Have Changed My Name To Varun Kumar Aggarwal. 0040523233-8

I, Vandana Dhawan W/o Syed Mohammad Shadab R/o G-207 Second Floor Vikaspuri N.Delhi-110018 have changed my name to Aliya Shadab. 0040523274-3

I, Suru Juneja, W/o Siddarth Batta R/o-G-46, Preet-Vihar, Delhi-92, change my surname after marriage to Suru Batta, for all future purposes. 0040523240-1

I, Harkishan Behrani s/o late.Ram Chand Behrani r/o-MD-31 Vishaka Enclave Pitampura Delhi-34 changed my name to Har Kishan. 0040523232-7

I, Hargun Lal S/O Thakur Lal R/O-Flat.No-34, Gh-6, White-Apartment Paschim-Vihar West/Delhi-110087. Have Changed My Name To Hargun Lal Garg. 0040523233-7

व्यक्तिगत

I, Sirajuddin S/o Kamruddin R/o-Z-16-B, DDA-Flats, New Ranjeet Nagar, New Delhi-110008, have changed my name to Sarajuddin for all purposes. 0040523198-1

I, Shailja Khanna W/o Sudhir Kathuria R/o-19/45-B, Tilak-Nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Shailza Kathuria. 0040523274-2

I, Sapna D/o Rajbir Singh R/o H.No.188, Village-Kamruddin-Nagar, Nangloi, Delhi-110041. have changed my name to Sapna Shokeen. 0040523240-6

I, Ruchika Goel W/o Ravinder Singh, R/o-H.No-14, Street No-14, Gautam-Colony, Narela, Delhi-110040, have changed my name to Ruchika Permanently. 0040523233-1

I, Reena W/o Rahul Singh R/o-Flat No.192-F, Pocket-1, Mayur-Vihar-1, Delhi-110091. have changed my name to Reena Kharola permanently. 0040523240-5

I, Rakesh Kumar Sharma Bhatt S/o Nawal Kumar Sharma R/o.RZ-T-21, Nihal-Vihar, Nangloi, Delhi-110041 have changed my name to Rakesh Sharma. 0040523232-6

I, Rakesh Dabas S/o Hans Raj R/o 137, Village Ghevra, Delhi-110081, have changed my minor daughter's name from Khushi aged 16 years to Ishika forever 0070687017-1

I, Rajiv Kumar S/o Kishori Lal Sharma R/o-TA-115/3, Near DDA-Flats, Tughlakabad-Extn., N.Delhi-110019 have changed my name to Rajiv Kumar Sharma. 0040523233-6

I, Rajesh S/O Gian Chand H-No-18/91 A-1, Gali No-1 East-Motibagh, Sarai-Rohilla, DELHI 110007. Have Changed My Name To Rajesh Kumar 0040523274-5

I, Raj Kamal S/o Munshi Lal Kharbandha R/o-H.No-1919, DDA-Janta-Flat, G.T.B.Enclave, Delhi-110093. have lost my original DDA Demand letter of above mentioned property. 0040523240-2

I, Pooja Navneet Dutta, W/o Sh.Navneet Dutta R/o-Flat No.A-104, Vishranthika-CGHS, Plot.No.5/A, Sector-3, Dwarka, New Delhi-110078, have changed my name,from Pooja Navneet Dutta to Pooja Dutta, in future, for all purposes. 0040523274-1

I,Annu D/O Alla Noor W/O Rehan Alam R/O-Flat.329, Shaheed Bhagat Singh Apartments,Sector-14, Dwarka, ND-110078,have changed my name to Fatima for,all purpose. 0040523252-5

I, Parul Singh W/o Saurabh Sharma R/o-2305, Sector-D, Pocket 2, VasantKunj, Delhi-110070. have changed my name to Parul Singh Sharma. 0040523233-4

I, Neharika Rawat D/o Hemant Rawat R/o Quater No.21, Sec-9, R.K. Puram, Delhi-110022, have changed my name to Niharika Rawat. 0040523233-5

I, Munia W/o Pardeep Singh H.No.77, Gali No.9,West AzadNagar, Krishna-Nagar Delhi-110051,have changed my name to Roopshikha for all purposes. 0040523232-5

I, Manish S/o Jugal Kishor R/o-372 Double Story Qtrs Near-Vardhaman-Electrical Shop Kabool-Nagar Shahdara Delhi-110032. changed my name to Manish Arora. 0040523233-3

I, Love Kumar Sulochandas Kapoor S/o Sulochan Das Kapoor R/o SRB-45-A, Shipra Riviera Gyan Khand-3, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, have changed my name to Love Kumar Kapoor permanently. 0040523230-1

I, Khatizul Kubra D/o S. Naved Zaidi R/o B-134, Zaidi Gali, No.10, Mandawali, Delhi-110092 have changed my name to Khadijah Zaidi. and also inform that my father name is wrongly written in my documents as Naved Alam instead of S. Naved Zaidi. 0040523219-1

I, Kailash Chand Sharma S/o Datta Ram Sharma R/o RZ-B-16, Gali-3, Kailashpuri Palam Colony, Delhi, have changed my name to Kailash Sharma permanently. 0040523230-2

I, Jayant Kumar Roy S/o K N Roy R/o 7/3, West Patel Nagar Delhi-8, have changed my minor Son's name from Vivan Roy to Vivhan Roy(DOB 10/12/2004). 0040523232-4

I, Jasjit Kaur W/o Late Sanjay Kumar R/o-6/78, Sector-6, Vaishali, CNG Pump, Ghaziabad have changed my name to Sonia Arora for all purposes. 0040523232-1

I, Jagdish Chandra Upadhyay S/o Ghana Nand Upadhyay R/o-102, Vikram Tower, Grihpravesh, Sector-77, Noida, UP have changed my name to Jagadish Chandra Upadhyay. 0040523232-2

I, Hunar Behal Monga W/o Abhinav Monga R/o 35/5 Rajpur Road Civil Lines Delhi-110054 have changed my name Hunar Behal Monga to Hunar Monga for all future purposes. 0040523196-1

I, Hanslal S/o Sh. Raghav Rai R/o H.No.75, Ground Floor, Block and Pocket C-11, Sector-3, Rohini, Delhi-85, have changed my name to Hanslal Rai for all purpose. That Hanslal & Hanslal Rai are one and same person. 0040523209-1

I, Ishu S/o.Sh. Advin Dass R/o-D-420, Mangol Puri,Delhi have declare that,my name wrong-ly,mention in Baptism Certificate No.560,as Nishu instead of Ishu. In future I,will be known,as Ishu for all purposes. 0040523239-1

I, Balbir Singh Vandal S/o Foja Singh Vandal R/o-D-15 KirtiNagar New Delhi-110015. changed my name to Balbir Singh. 0040523233-2

I, Bindu Naagar W/O Suresh H-No.4617 B-Block SantNagar Burari Delhi. Have Changed My Name To Bindu. 0040523274-4

खोया+पाया

I, AAKASH AGGARWAL have lost my original Aadhar Card No.729386477409, my original 10th Class Marksheet, Roll No.6176162 Year 2006 and 12th Class Marksheet, Roll No.6225660 Year 2008, 10th Class School leaving Certificate S.No.SSE/2006 and 12th Class School leaving Certificate S.No.SSCE/2008 of CBSE. Finder may Contact :- 9999050514. 0040523231-1

My all original documents of Property H.No.338, Nehru Nagar, Gali No.11, Delhi, have been lost. Finder contact: Sunita D/o Suraj Chand Mobile- 9643032675. 0040523240-8

Lost my original 10th class Marksheet Roll No.8751816 Year-2009-2011, from-CBSE Delhi.Finder pls-contact:Pinky S/D/W/O-Moti Ram, B-546, Gali.No.33, Mahavir Enclave, Part-2, New Delhi-110059. 0040523233-10

It, is notified for the infroma-tion that my Original/ Duplicate Qualifying Examination Certificate of main/Compartment, Secondary/Senior Secondary Examination of year 2019 and Roll No.8606588 issued by CBSE has been actally Lost/destroyed.Name of the candidate Sourabh Singh full Address-D-209/4,New Ashok Nagar-Delhi-96,Tel. 9643977545. 0040523206-1

I, Inder Mohan Kaur w/o kuldeep Singh R/o-Flat.no.27-D, pocket-R 3rd-floor, Dilshad-Garden delhi-95,have lost demand letter of this flat handed over me by Mohan Lal Sharma of DDA-file no.L/21/78/87/NP/DG. 0040523026-9

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

ध्रुव चरित (एडवोकेट)
Enrl. No. D/1394/2000

PUBLIC NOTICE

I, hereby inform to the Public at large that my client Shri Dharam Pal S/o Shri Pyare Lal and Smt. Meena Kumari wife of Shri Dharam Pal both resident of C-29, Shree Chand Park, Vill. Matiala, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned their son Mr. Tarun Kumar, his wife Mrs. Monika and their both children MAAN and MEET from their all movable and immoveable assets and also disconnected/severed all their relation/connection with them. They also not permitted to enter their parents/grandparents house i.e C-29, Shree Chand Park, if anybody deals with them regarding any transaction, he will do so at his own risk, cost and consequences.

Ashok Garg, Advocate
7A/F14,1st Floor Distt. Centre, JanakPuri, ND

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Shri Ramesh Kumar Sharma**, son of Shri Prabhati Lal, & **smt. Geeta Sharma,** Wife of Shri Ramesh Kumar Sharma, both residents of House No. WZ-5, Om Vihar, Phase-4, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned their son namely **Mr. DEEPAK KUMAR and his wife Mrs. Pooja Negi** from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and they have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. My clients and their family members will not be liable for their acts, whatsoever done by them to anybody in future.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road,
Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

My clients RAJ KUMAR GOYAL S/O SH. MULCHAND GOYAL R/O 963, H-2, JAHANGIRPURI, DELHI-33, has debarred their SON SH. SACHIN GOYAL AND HIS WIFE MS BABITA from their property in all respect, due to THEIR misbehavior and negligence attitude towards family. Now THEY ARE residing separately. My clients have no concern in any manners from their SON AND HIS WIFE. Any person may deal with them at their own risk and cost.

S.P. AGGARWAL (Advocate)
2395-A, Padam Dham Colony,
Narela Mandi Extn. Delhi-40

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Dharam Pal S/o Sh. Munnee Lal and his wife Anju Sharma both R/o B-108, Rajiv Nagar, New Delhi-110086, have severed all their relations with their son Sh. Lalit Sharma and his wife Smt. Harpreet Kaur as they are out of control of my clients. They used to misbehave with my clients. My clients disowned them from all their movable and immovable properties situated at Delhi outside of Delhi. They have no right in the properties of my clients. My clients shall not be responsible for any act and omission of above named persons.

Raman Kumar (Advocate)
Ch.No.B-29, B.G.S. Block,
Tis Hazari Court, Delhi-54

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सार्वजनिक सूचना

मैंने दो मूल दस्तावेज खो दिए हैं मेरी सम्पत्ति के कागजात सं (1) शॉप नंबर-33, ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर भुवनेश्वर यूनिट नंबर-39, मौजा गडकाना भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित है। (2) भुवनेश्वर के ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर में, दुकान नंबर-40-1 यूनिट नं. 39, मौजा गडकाना भुनेश्वर ओडिशा। खोया हुआ आवंटन पत्र-भुगतान भुगतान प्राप्तियां/ उक्त गुणों की अनुसूची। सम्पर्क SH. SATRUGHAN NAYAK S/O LATE SHREE B.D. NAYAK 2/18, कालकाजी EXTN NEW DELHI-110019, मोब.: 9811077736

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री कालीचरण चौहान पुत्र श्री नौबत राम चौहान निवासी मकान नं.392, गली नं.19, ए-ब्लॉक, बृजपुरी, दिल्ली-94 ने अपने पुत्र शिव कुमार चौहान व उसकी पत्नि बीना रानी को उनके बच्चों सहित उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में उनके किसी भी गलत कार्य के लिए मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नही होंगे।

Ashish Kumar Upadhyay Advocate
Off. : E-223, Main Road,
Khajuri Khas, Delhi-94

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely **Mr. Brij Mohan S/o Late Shyam Lal and Mrs. Anita W/o Shri Brij Mohan both R/o L-223, Block-L, J.J. Colony Wazirpur, Delhi - 110052,** wants to disown his/her son namely **Mr. Ishant Soni and his wife namely Mrs. Deepika** from self acquired movable and immovable property for future all actions, and above said statements are true & correct in the best of my knowledge & belief.

Place: **New Delhi**
Date: **30.11.2019**

Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

PUBLIC NOTICE

This My Client RAJ BANSAL W/o LATE SHRI ASHOK BANSAL R/o H.No.3, SURAJ NAGAR, AZADPUR, NEW DELHI-110033, has debarred her only Two Sons (1) Shri Vinay Bansal S/o Late Shri Ashok Bansal & his wife Smt.Priyanka Bansal and (2) Shri Anurag Bansal S/o Late Shri Ashok Bansal & his wife Smt.Neha Goyal both with their Permanent Address H.No. 3, Suraj Nagar, Azadpur, New Delhi- 110033, from all her movable and immovable properties, assets and relations. My client is not responsible or concerned for any of their actions.

Sd/-
DINESH DUA
Advocate
Delhi High Court
Enrl.No.D/834/91 Mob. 9810322720

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL THAT MY CLIENTS SH. RAKESH KUMAR GUPTA. S/O SH. MAHENDRA KUMAR GUPTA. R/O 170-B, SHAHPUR JAT, NEW DELHI HAVE DEBARRED, DISOWNED AND DISINHERITED HIS DAUGHTER **NAMELY RITU GUPTA,** FROM ALL HIS PROPERTIES, BOTH MOVABLE AND IMMOVABLE WITH IMMEDIATE EFFECT. SHE WILL NOT HAVE ANY RIGHT IN THE PROPERTIES OF MY CLIENT UNDER ANY LAW OF INDIA AND SEVERED HIS RELATION FROM HER SINCE DATED 27.11.2019. MY CLEINT HAS NO CONTROL OVER HIS ABOVESAID DAUGHTER. WHO HAVE NO RESPECT AND REGARD FOR MY CLIENT. IF ANYPERSON DEALING WITH RITU GUPTA MAY DEAL WITH HER AT THEIR OWN RISK AND RESPONSIBILITY AND MY CLEINT AND HIS FAMILY (INCLUDING TWO SONS MANOJ GUPTA & SUMIT GUPTA) SHALL NOT BE LIABLE AND RESPONSIBLE FOR ANY OF HER DEEDS AND MISDEEDS IN PRESENT AND FUTURE.

Sd/-
MANDEEP KUMAR SHARMA
(ADVOCATE)
CH.NO.183, LAWYER'S BLOCK,
SAKET COURT, NEW DELHI-110017.

भ्रष्टाचार के सभी मामलों में प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है और एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली औपचारिक या अनौपचारिक जानकारी अभियोजन शुरू करने के लिए पर्याप्त होगी।

न्यायालय के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप प्रारंभिक जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की तेलंगाना सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच कराने को लेकर कोई तय मानदंड या तरीका नहीं है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता के पीठ ने 24 दिसंबर, 2018 के हैदराबाद उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की तेलंगाना सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच कराने को लेकर कोई तय मानदंड या तरीका नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक जांच प्रक्रिया मनगढ़त और अपुष्ट शिकायत पर शुरू नहीं की जाए।

संघ खोलेगा नागरिक संशोधन विधेयक पर विपक्ष की पोल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

नागरिक संशोधन विधेयक जल्द ही राज्यसभा और लोकसभा में पेश होगा। इस विधेयक से पहले हमलावर हो रहे विपक्ष को शांत करने की रणनीति संघ ने तैयार की है। संशोधित कानून के संबंध में फैलाई जा रही भ्रांतियां दूर करने के लिए संघ ऑन लाइन जानकारियां उपलब्ध कराएगा। ये जानकारियां सीएबीडॉटजीईटीएफएसीटीएसडॉटइन से प्राप्त की जा सकेंगी। यहां कानून और विपक्ष के किए वादे की जानकारियां दी जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि अब से पहले सभी विपक्षी दल देश में इस व्यवस्था को लागू करने की वकालत कर रहे थे।

जमीनी स्तर पर आम जनता को इस कानून से जोड़ने व इसके प्रति फैलाई जा रही भ्रांतियां दूर करने के लिए यह पहल की गई। संघ सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार ने यह कानून लागू करके एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा है। इसकी मदद से कई पीढ़ियों से नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को देश की नागरिकता मिलेगी। संभावना जताई जा रही है कि करीब दो से तीन करोड़ लोग इससे लाभांवित होंगे। पहले चरण में सबसे बड़ा लाभ पंजाब, गुजरात और राजस्थान और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली में रह रहे नागरिकों को होगा। संघ सूत्र बताते हैं कि अब तक सभी दल इस व्यवस्था को लागू करने की मांग करते रहे हैं और कई राज्यों में घोषणपत्रों में इस व्यवस्था का जिक्र किया गया है।संघ ने ऑन लाइन इस कानून के संबंध में सभी जानकारियां उपलब्ध कराई है। जहां इस कानून के संबंध में सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की राय और इस कानून से संबंधित विस्तृत मसविदा शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि नागरिकता का इंतजार कर रहे लोगो में पाकिस्तान व बंग्लादेश से आए करीब 70 फीसद लोग शामिल हैं। 1955-56 में स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। नए कानून में दिसंबर 2014 तक समय सीमा तय होगी। इस तारीख तक आए लोगों को नागरिकता का अधिकार मिलेगा। संघ जमीनी स्तर पर यह भी देख रहा है कि नया कानून तैयार होने के बाद कोई इस अधिकार से वंचित नहीं रहे। 1971 में ऐसे करीब एक करोड़ लोग आए थे और ये लोग 50 साल से अधिक समय से इस अधिकार का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रोहिंग्य के मामले को संघ इस पूरे मसविदे से हटकर देख रहा है।

तमिलनाडु के नौ नए जिलों में निकाय चुनाव पर रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के नौ नए जिलों में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों पर रोक लगाते हुए कहा कि इनके लिए परिसीमीन और आरक्षण जैसी कानूनी औपचारिकताएं चार महीने में पूरी की जाएं। राज्य में चार जिलों से इन नौ जिलों का सृजन किया गया था। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार द्वारा पेश सुझावों पर विचार किया।

बीमार पत्नी को पति ने जिंदा दफनाया, गिरफ्तार

पणजी, 6 दिसंबर (भाषा)।

उत्तरी गोवा के एक निवासी को अपनी बीमार पत्नी को कथित तौर पर जिंदा दफना कर उसकी हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि तुकाराम शेटगांवकर (46) ने अपनी बीमार पत्नी तन्वी (44) को बिचोलिम तालुक के नरवेम गांव में तिल्लारी सिंचाई परियोजना के निर्माण स्थल पर कथित रूप से जिंदा दफना दिया था। आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

राज्यसभा में उठा मेट्रो स्टेशनों पर होने वाली आत्महत्याओं का मुद्दा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का प्रयोग अब आत्महत्याओं के लिए किया जा रहा है। यह चिंता शुक्रवार को राज्यसभा में साफ नजर आई। सांसद विजय गोयल ने कहा कि स्टेशनों पर लगातार आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। इस दिशा में तत्काल पहल किए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से 2018 तक दिल्ली मेट्रो में आत्महत्या के करीब 46 मामले हुए हैं। आत्महत्या के ज्यादातर प्रयास ब्लू लाइन द्वारका-वैशाली मार्ग पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए ऐसे उपकरण केवल राजीव चौक पर उपलब्ध हैं। जबकि मेट्रो के पूरे नेटवर्क में करीब 22 लाख यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं। इनके लिए सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। किताब में किया राष्ट्रपिता का अपमान : राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में मध्य प्रदेश में प्रकाशित की गई एक किताब में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ देशभर में महात्मा गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक किताब ने राष्ट्रपिता का अपमान किया है।

विशेष कोच में सफर करने वालों पर 12.18 लाख का जुर्माना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

दिव्यांग और महिलाओं के लिए बने विशेष कोच में यात्रा करने वाले सामान्य यात्रियों पर रेल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। ऐसे अवैध यात्रियों की धरपकड़ के लिए रेल मंत्रालय ने देशभर में जांच शुरू की है। दो दिन की जांच में 12,825 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर रेलवे अधिनियम की धारा 155 के तहत 12.18 लाख का जुर्माना लगाया है।

मंत्रालय के मुताबिक इस जांच के लिए रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) की मदद ली गई थी। यह जांच तीन और चार दिसंबर को एक साथ देश की सभी ट्रेनों में चलाई गई। जांच में सामने आया कि 3094 यात्री अवैध तरीके से आरक्षित सीटों पर सफर कर रहे थे। मंत्रालय के मुताबिक इस जांच के तहत दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ 10,726 मामले दर्ज किए गए।

जांच में सबसे अधिक मामले पूर्वोत्तर रेलवे में दर्ज किए गए हैं। यहां ऐसे 1047 यात्रियों को पकड़ा गया। इसी प्रकार उत्तर मध्य रेलवे में 880 और मध्य रेलवे में 789 मामले सामने आए हैं।

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
शाखा कार्यालय : शालीमार बाग, दिल्ली, मोबाइल : 8130694683
ई-मेल : bo4184@pnb.co.in

शुद्धिपत्र

सार्वजनिक रूप से 13(2) सरफाएशी सूचना इस समाचार-पत्र में 25.07.2019 को प्रकाशित की गयी थी। यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स ईएमएस एण्ड एक्सपोर्ट्स की एनपीए तिथि गलती से 31.03.2019 प्रकाशित हो गयी थी। कृपया एनपीए की तिथि 01.06.2019 पढ़े। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

तिथि : 06.12.2019 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली — पंजाब नैशनल बैंक

FORM A
Public Announcement
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
For the Attention of the Creditors of M/s Tybros (India) Tours Private Limited

Relevant Particulars		
1	Name of corporate debtor	M/s Tybros (India) Tours Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	18/12/2002
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana under Companies Act, 1956
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U63040DL2002PTC118098
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	5/54, FIRST FLOOR, MAIN SHANKAR ROAD, OLD RAJINDER NAGAR, NEW DELHI 110060
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	04/12/2019 Vide NCLT Order NO.- IB-2081(ND)/2019 dated 04/12/2019
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	01/06/2020 (180 Days from the date of commencement of CIRP)
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Sunil Kumar Agrawal Registration No: IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018-10222
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: E- 29, South Extension- II, New Delhi- 110049 Email: aggarwalsk21@yahoo.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: 904, GF, Sector- 7C, Faridabad-121006 Email:irptybrosindia2019@gmail.com aggarwalsk21@yahoo.com
11	Last date for submission of claims	18/12/2019
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NA
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NA
14	Relevant Forms and Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi, Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s Tybros (India) Tours Private Limited vide order IB-2081(ND)/2019 dated 04/12/2019.

The creditors of M/s Tybros (India) Tours Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 18/12/2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12 (N/A), shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA. (N/A).

The submission of claims is to be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The claim with proof is to be submitted in following specified forms along with documentary proof in support of claim:

Form B : Claim by Operational Creditors except workmen & employees.
Form C : Claim by Financial Creditors.
Form CA: Claim by Financial Creditors in a class.
Form D : Claim by workmen or an employee.
Form E : Claim submitted by an authorized representative of workmen or an employee.
Form F : Claim by Creditors (other than Financial Creditors and Operational Creditors)

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 06.12.2019
Place: New Delhi

Sunil Kumar Agrawal
Interim Resolution Professional
Regn. No: IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018-10222

झारखंड : दूसरे चरण में आज 20 सीटों पर मतदान

रांची, 6 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शनिवार को कुल 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में जमशेदपुर पूर्वी सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ उनकी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान में मुख्यमंत्री व राज्य के कई मंत्रियों सहित कुल 260 उम्मीदवारों के चुनावी किस्मत का फैसला होगा।

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार सुबह सात बजे से मतदान होगा, जिसमें 48,25,038 मतदाता मतदान करने के लिए योग्य हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार शाम संपन्न हो गया था। राज्य विधानसभा की 81 सीटों के लिए पांच चरणों में हो रहे चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां सरयू राय उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी सीटों के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और अर्धसैनिक बलों व अन्य सुरक्षा बलों के 42,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है।

चारा घोटाले में लालू की जमानत याचिका खारिज

रांची, 6 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

इस मामले में शुक्रवार को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के पीठ ने सुनवाई पूरी की और लालू की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि अभी उन्होंने सीबीआइ अदालत द्वारा दी गयी सजा की आधी अवधि न्यायिक हिरासत में पूरी नहीं की है।

पराजय को ढकती शौर्य गाथा

पानीपत

रेटिंग– ★★★

निर्देशक– आशुतोष गोवारिकर

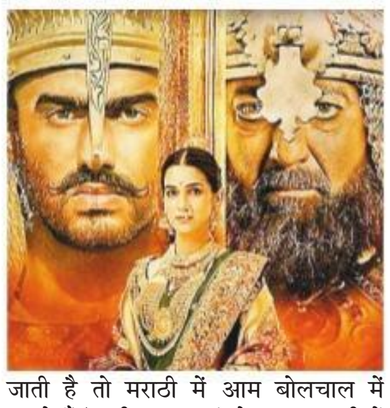

कलाकार– संजय दत्त, अर्जुन कपूर, कृति सैनन, मोहनीश बहल, मंत्रा, पद्मिनी कोल्हापुरे, जीनत अमान

यह वह गाथा है जिसका संबंध भारतीय इतिहास के उस दौर से है, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई हुई थी 1761 में अफगान आक्रमणकारी और बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनानी सदाशिव राव भाऊ के बीच। लड़ाई में मराठों की हार हो गई थी और इसने उनके अखिल भारतीय राज्य के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया था। आज भी ये हार मराठी स्मृति में 'पानीपत झाला' के नाम से जाना जाता है। जब परिवार या समाज में कोई बड़ी गड़बड़ी हो

जाती है तो मराठी में आम बोलचाल में कहते हैं 'पानीपत झाला' हो गया। मराठी में विश्वास पाटील ने इसी पर आधारित 'पानीपत' नाम से उपन्यास भी लिखा है। इस फिल्म के रिलीज होने के पहले विश्वास पाटील और फिल्म निर्माताओं में कानूनी विवाद भी हुआ।

अब बात कर लें इस फिल्म पर। इसमें संदेह नहीं कि गोवारिकर ने महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई है। हालांकि इतिहास के साथ उन्होंने कई जगह आजादी भी ली है। वास्तविक इतिहास यह कहता है पानीपत में मराठों की हार की वजह सदाशिव की कमजोर रणनीति भी थी। सदाशिव राव ने उत्तर भारत के कई राजाओं पर भरोसा नहीं किया। जैसे जाटों के राजा सूरजमल पर। उलटे सूरजमल को गिरफ्तार करने की कोशिश की। पर सदाशिव राव को हीरो बनाने के लिए यह पहलू या तो छिपा दिए गए हैं या उलट पलट दिए गए हैं। गोवारिकर ने एक पराजय गाथा को शौर्य गाथा बनाने की कोशिश की है।

संजय दत्त ने इसमें अहमद शाह अब्दाली की भूमिका निभाई है और अर्जुन कपूर बने हैं सदाशिव राव भाऊ। कृति सैनन ने सदाशिव राव की प्रेयसी और पत्नी पार्वती बाई की भूमिका निभाई है। पार्वती बाई पानीपत के युद्ध में शरीक होने अपने पति के साथ जाती है। फिल्म में पेशवाओं के महल की राजनीति भी है। सदाशिव राव कहीं आगे चलकर पेशवाओं की गद्दी न ले ले इस आशंका से उदगीरी की जीत के बावजूद सेनापति न बनाकर अर्थ मंत्री बनाया जाता है। फिर अब्दाली के खिलाफ युद्ध में बाजीराव के बेटे और कम उम्र के विश्वास राव को सेनापति बनाया जाता है। हालांकि युद्ध की बागडोर सदाशिव राव के जिम्मे रहती है।

अब्दाली की भूमिका में संजय दत्त दबंग लगे हैं और शरीफ भी। इस अर्थ में कि उनको ज्यादा क्रूर नहीं दिखाया गया है। उनकी बेशभूषा जबरदस्त है। निर्देशक ने उनके लिए जो बख्तर बनवाया है, उसका वजन 25 किलो बताया जा रहा है। ऐसा बख्तर पहनकर उनको अभिनय में जरूर थोड़ी असहजता महसूस हुई होगी। फिर भी हर अंदाज में वे नायाब लगे हैं।

जहां तक अर्जुन कपूर का मसाला है कि वे सदाशिव राव की भूमिका को 'लार्जर देन लाइफ' नहीं बना पाए हैं। कृति सैनन में जरूर एक सहजता है। फिल्म की कहानी भी पार्वती के बयान की तरह कही या दिखाई गई है। फिल्म का जज्बाती पक्ष मजबूत है और वही इसकी जान है।

अस्पतालों की सेहत पर भाजपा नेताओं ने उठाए सवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल खुद ही बीमार हैं। खराब अस्पतालों में जीबी पंत, एलएनजेपी, सत्यवादी हरीशचंद्र, दीपचंद बंधु, बाबा साहब आंबेडकर, जीटीबी जैसे बड़े अस्पताल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है और तत्काल इस हालत में सुधार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को वर्ल्ड क्लास की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा गलत है और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले में जनता को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में न्यायालय द्वारा की गई जांच में यह खस्ताहाल स्थिति सामने आई है। अस्पतालों में आइसीयू बेड, वेंटीलेटर, मॉनिटर, ब्लड बैंक और गैस पाइपलाइन जैसी जरूरी सुविधाए तक नहीं हैं। इस वजह से आपातस्थिति में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं पर पड़ रहा है। भाजपा ने अस्पतालों की खराब स्थिति को लेकर आधा दर्जन से अधिक सवाल पूछे हैं।

साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी मामले में आम आदमी पार्टी जनता से माफी मांगे। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता को गुमराह किया है और उनका दोहरा चेहरा जनता के सामने आ चुका है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा

पाठ्यक्रम में शामिल किए गए आंबेडकर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने कक्षा छह से आठवीं तक के पाठ्यक्रम में डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन और कार्यों पर आधारित पुस्तिकाएं शामिल की हैं। वे डॉ अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन पाठ्य पुस्तकों को निजी स्कूल भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।

उन्होंने कहा कि आंबेडकर जी केवल दलितों के नेता के रूप में बताकर लोग समाज में उनके योगदान को कम कर रहे हैं। कुछ लोग ही जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गठन, हिंदू संहिता विधेयक में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने और किसान कल्याण में भी उन्होंने योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को हर चीज बताना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महज पहला ड्राफ्ट है। अध्यापकों और छात्रों के सुझाव लेने के बाद हम इसमें और चीजें जोड़ेंगे। कुछ वर्षों के बाद हम आंबेडकर पर पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित करने में सक्षम होंगे जिसे देश के हर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंबेडकर को केवल दलितों के नेता के रूप में बताकर लोग समाज में उनके योगदान को कम कर रहे हैं।

यह महज पहला ड्राफ्ट है। अध्यापकों और छात्रों के सुझाव लेने के बाद इसमें और चीजें जोड़ेंगे।

स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आंबेडकर को सिर्फ जीवनी के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता। हम उनके विचार और सिद्धांत को कक्षाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस जातिगत भेदभाव का आंबेडकर ने अपने शुरुआती दिनों में सामना किया, हर छात्र उन समस्याओं से खुद को जोड़ पाएं ताकि भविष्य में वह ऐसा किसी के साथ ना होने दें। इस मौके पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी उपस्थित थे।

विवाहेत्तर संबंध पर रोमांटिक कॉमेडी

पति पत्नी और वह

रेटिंग– ★★

निर्देशक– मुदस्सर अजीज

कलाकार– कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, भूमि पेडणेकर, अपारशक्ति

1978 में बीआर चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी 'पति पत्नी और वह'। इसमें संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता मुख्य भूमिका में थीं। मुदस्सर अजीज की यह फिल्म उसी का रीमेक है। फिल्म का मूल आइडिया वही है, पति और पत्नी की जिंदगी में दूसरी औरत का प्रवेश। दूसरे शब्दों में, विवाहेत्तर प्रेम के बारे में है। कार्तिक आर्यन ने इसमें पति अभिनव त्यागी की भूमिका निभाई है और भूमि पेडणेकर ने पत्नी वेदिका की। अनन्या पांडे बनी हैं 'वह' यानी दूसरी औरत, जिसका फिल्म में नाम है तपस्या।

होता यह है कि कानपुर के पीडब्लूडी विभाग के इंजीनियर अभिनव त्यागी की शादी होती है वेदिका से। वेदिका स्मार्ट है और फिजिक्स में एमएससी है। शादी के पहले ही वो अपने होने वाले पति को बता देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी था और वो कुंवारी नहीं है। खैर दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद उसकी एक ही चाहत है कि दिल्ली जाकर रहे। पर अभिनव ऐसा नहीं कर पाता। उलटे उसके जीवन में एक और लड़की आ जाती है तपस्या। अब क्या होगा? क्या अभिनव अपनी पत्नी से नाता तोड़कर तपस्या का हो जाएगा?

यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है और प्रेम त्रिकोण के फंसे एक शख्स के जीवन में आए कंफ्यूजन को बड़े ही मजाकिया ढंग से दिखाती है। कार्तिक कुछ जगहों पर थोड़े ढीले जरूर लगे हैं पर भूमि और अनन्या का अभिनय शुरू से अंत तक चुस्त है। पर कॉमेडी का बड़ा दारोमदार अपारशक्ति खुराना के हिस्से आया है। इसके संवाद काफी आकर्षक हैं।

सशस्त्र बल के 29 कर्मी सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

शुक्रवार को 29 सशस्त्र बलों के कर्मियों को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सम्मानित किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने राज्य सैनिक बोर्ड की फ्लैग डे पुस्तिका भी जारी की। राजनिवास पर आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य सचिव विजय देव, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव समेत सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारीगण उपस्थित थे। समारोह में सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया इसमें नौ जवानों को वीरता पुरस्कार और 20 को विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। इस कार्यक्रम के साथ ही उपराज्यपाल ने दिल्ली राज्य सैनिक बोर्ड के आर्थिक सहायता शिविर की भी शुरुआत की और उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से आग्रह किया कि पूर्व सैनिकों एवं युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से दान करें। कार्यक्रम में 2018–19 के दौरान दिल्ली राज्य सशस्त्र बल झंडा दिवस में सबसे अधिक योगदान करने वाले दो स्कूलों को भी सम्मानित किया।

मालीवाल का मुठभेड़ को समर्थन, लेकिन नहीं तोड़ेंगी अनशन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मुलाकात की। स्वाति मालीवाल बलात्कार के दोषियों को छह महीने में फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रही हैं।

हैदराबाद में बलात्कार के आरोपियों के मुठभेड़ पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि 'जो हुआ अच्छा हुआ' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन जब तक केंद्र सरकार ऐसे मामलों में छह महीने के भीतर सजा (फांसी) देने संबंधी कड़े कानून नहीं बनाती तब तक कोई फरक नहीं पड़ेगा।

इसलिए हम अनशन तभी तोड़ेंगे जब सरकार ऐसे कानून बनाने की घोषणा कर देगी। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) की मुखिया के अनशन का यह चौथा दिन है।

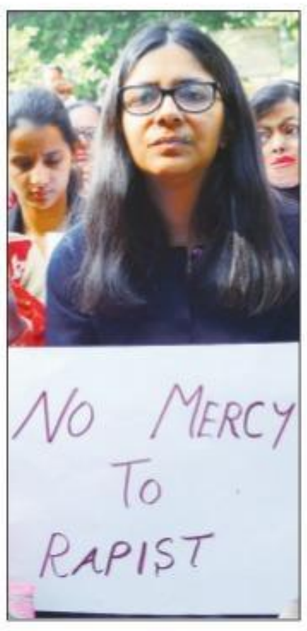

वे राजघाट के सामने समता स्थल पर आमरण अनशन पर हैं। उनके समर्थन में आए मनीष सिसोदिया ने स्वाति के सेहत के बारे में बात की। आमरण अनशन कर रहीं मालीवाल ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के

स्वाति मालीवाल ने एनकाउंटर पर कहा कहा कि 'जो हुआ अच्छा हुआ'

पीड़ित के प्रति रुख पर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि कम से कम इस बार सरकार ने पीड़ित को इलाज के लिए भेजने में जल्दी की। पिछले मामले में तो पीड़ित से मिलने के लिए भी कई दिन उन्हे इंतजार करना पड़ा था।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur - 302004

GRAND E-AUCTION
COMMERCIAL PLOT
on Main Shiprapath

Bidding End Date & Time
23.12.2019, 12:30 PM

Last Date & Time for Depositing EMD
20.12.2019, 11:00 AM

Area (Sq.Mtr.)	B.A.R.	Height (Mtr.)	Percentage of Construction	Earnest Money
2165.00	Till maximum height without betterment levy	42.00	As per by Laws	Rs. 2165000/-

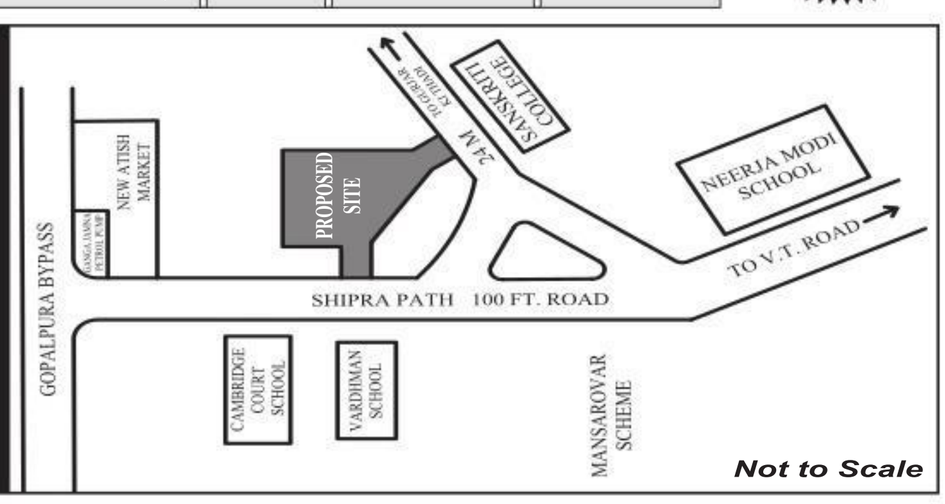

Bid Start Price (Per Sq. Mtr.) 50,000/-

✦ 100 ft. Shiprapath and 80 ft. Road of Master Plan (approach from both road)
✦ 2 Minute away from New Aatish Market, Gopalpura bypass & Ganga Jamuna Petrol pump

Samwad/C/4033/2019-2020

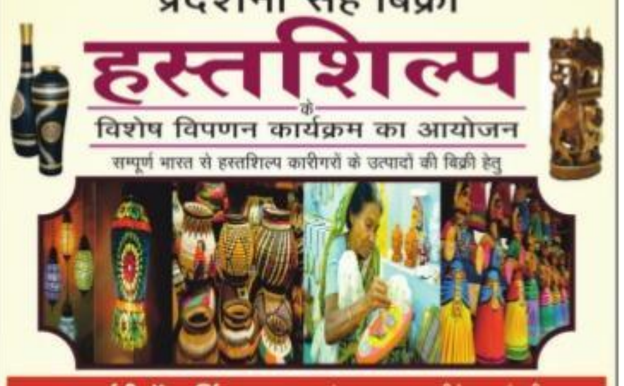

Details of Plot : Khasra No. 94, Vill. Sukhalpura, Teh. Sanganer, Jaipur
For other Terms & Conditions of Auction, Please log on our Website or contact
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
Ph: 0141-2563238, Mob. +91-9462569696

अनुसूची-II
फार्म बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
{भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का विनियम 12}
सत्कार टर्मिनल्स लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	सत्कार टर्मिनल्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	25/02/2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी पंजीयक
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या.	U63090DL2011PLC214836
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	बी-72, दूसरा तल, रोहित हाउस, विश्वकर्मा कॉलोनी, तुगलकाबाद एम.बी. रोड, नई दिल्ली-110044
6.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की तिथि	03/12/2019
7.	कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन प्रारंभ तिथि	03/12/2019
8.	परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या	ज्ञानेश्वर सहाय IBBI/IPA-002/ IP-N00130/ 2017-18/10546
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार परिसमापक का पता एवं ई-मेल	ओएस-2, दूसरा तल, दि नेक्स्ट डोर, सैक्टर-76, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 gyaneshwar.sahai@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किये जाने वाला पता एवं ई-मेल	ओएस-2, दूसरा तल, दि नेक्स्ट डोर, सैक्टर-76, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 irp.satkar@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	02/01/2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण पीठ-VI, नई दिल्ली ने **03/12/2019.** को **सत्कार टर्मिनल्स लिमिटेड** की परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।
सत्कार टर्मिनल्स लिमिटेड के हितधारकों को एतद्द्वारा मद 10 में वर्णित पते पर **02/01/2020**, तक या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।
वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।
परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर : ज्ञानेश्वर सहाय
तिथि एवं स्थान : **04/12/2019**, फरीदाबाद

www.readwhere.com

मौसम				
तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	24.2 डि.से.	24.2 डि.से.	24.0 डि.से.	24.5 डि.से.
न्यूनतम	8.4 डि.से.	8.4 डि.से.	7.8 डि.से.	9.0 डि.से.

सेवानिवृत्त शिक्षक पर पत्नी और पुत्रवधु की हत्या का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

रोहिणी जिला के विजय विहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक सेवानिवृत्त शिक्षक पर अपनी पत्नी और पुत्रवधु की चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है। विरोध करने पर आरोपी ने बेटे पर भी चाकू से हमला किया, जिसके हाथ में चोट पहुंची है। मृतक की पहचान स्नेहलता चौधरी (62) और उनकी बहू प्रज्ञा चौधरी (35) के तौर पर हुई है। वारदात की सूचना शुक्रवार सुबह करीब 5 बजकर 55 मिनट पर पुलिस को आरोपी शिक्षक के घायल बेटे सौरभ चौधरी (30) ने दी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सतीश चौधरी (64) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त एसडी मिश्रा ने बताया कि शुरुआती छानबीन करने पर पता चला है कि सतीश को पत्नी और बहू पर शक था। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि सतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस उन से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। उपायुक्त ने बताया कि सतीश अपने परिवार के साथ बी6/119, शिव अपार्टमेंट सेक्टर-4, रोहिणी में रहते हैं। पत्नी स्नेहलता चौधरी दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) से सेनानिवृत्त हुईं थीं। बहू प्रज्ञा चौधरी उनके बड़े बेटे गौरव चौधरी की पत्नी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में

फाइल फोटो

सिंगापुर में इंजीनियर हैं। वहीं, दूसरा बेटा गौरव भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि बंगलुरु में काम करते हैं। इन दिनों वह दिल्ली आए हुए थे।

एसडी मिश्रा ने बताया कि सुबह सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि दो महिलाएं खून से लथपथ हालत में पड़ी हैं। पुलिस दोनों को पास के अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात की जानकारी गौरव ने दी थी। गौरव के हाथ में भी चाकू से वार किया गया था।

उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सतीश चौधरी ने बीच बचाव करने के दौरान उन पर चाकू से हमला कर दिया था। बाद में उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस का मानना है कि इस घटना के पीछे विवाहेत्तर संबंध की बात सामने आ रही है। सतीश चौधरी को शक था कि उनकी पत्नी और बहू का किसी से विवाहेत्तर संबंध है। इसको लेकर वारदात से पहले कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दोनों की

सनक और शक में उजाड़ दिया परिवार

संपत्ति को लेकर अपने पिता पर भी कर रखा है मुकदमा

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

रोहिणी जिले के विजय विहार थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त शिक्षक सतीश चौधरी ने शुक्रवार को केवल अपनी सनक और शक की वजह से पत्नी स्नेहलता चौधरी और बहू प्रज्ञा चौधरी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सतीश के पिता का पीतमपुरा इलाके में मकान है। सतीश के पिता ने अपने बाकी बेटों की उसमें हिस्सेदारी दे रखी थी। लेकिन सतीश की हरकतों को देखते हुए उसको मकान में हिस्सेदार नहीं बनाया था। जिसको लेकर सतीश का अपने पिता से काफी गाली-गलौज और झगड़ा होने लगा था। आलम यह हो गया था कि उसने अपने पिता पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया था।

वारदात की जानकारी मिलने के बाद हर कोई यह कहता नजर आ रहा था कि सतीश की हरकत से पूरा परिवार परेशान रहता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह एक दिन ऐसा कदम उठा लेगा कि दो मामूस बच्चों की सिर से मां का साया उठ जाएगा। सतीश के बड़े बेटे गौरव के एक बेटा और एक बेटी हैं, जो वारदात के समय घर में ही मौजूद थे। वारदात के बाद गौरव-प्रज्ञा का बेटा आर्यन खून से लथपथ दादी के साथ बैठ गया और बात करने की जिद करता रहा।

परिवारवालों ने बताया कि सतीश अपने कमरे में सो रहा था। एक कमरे में उसका छोटा बेटा सौरभ सो रहा था। वहीं, सतीश की पत्नी स्नेहलता और बहू प्रज्ञा और प्रज्ञा का एक साल का बेटा आर्यन और तीन साल की बेटी आरुषी एक अन्य कमरे में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि अचानक सतीश उठा और रसोइघर से बड़ा चाकू निकाला और चिल्लाता हुआ वह स्नेहलता के कमरे में घुसा। पहले उसने प्रज्ञा के पेट में चाकू मारा, प्रज्ञा जैसे ही उठी उसने चिल्लाकर खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ में चाकू लग गया। तीसरा चाकू सतीश ने उसके पेट में घोप दिया। स्नहेलता की जब नींद खुली और उसने बचाने की कोशिश की तो उसने उस पर चाकू से कई वार किए। शोर-शराबा सुनकर जब सौरभ अपने कमरे से बाहर निकला और बीच-बचाव की कोशिश की तो सतीश ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। इस दौरान उसके हाथ में चाकू लग गया। सौरभ ने जैसे-तैसे कर सतीश को एक कमरे में बंद कर बाहर से बंद कर दिया।

परिवार वालों ने बताया कि जिस समय फर्श पर पड़ी स्नेहलता को बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल ले जा रहे थे तब सतीश ने बेटे सौरभ से कहा था कि मेरी बहू कैसी है? उसको जल्दी से अस्पताल में भर्ती करा दो। उन्होंने बताया कि स्नेहलता प्रज्ञा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। जब भी सतीश उसपर किसी बात को लेकर चिल्लाता था। वह प्रज्ञा को अलग कर लिया करती थी।

प्रज्ञा पर हावी रहता था ससुर सतीश

प्रज्ञा के चाचा बलबीर ने बताया कि करीब पांच साल पहले प्रज्ञा की शादी गौरव से हुई थी। प्रज्ञा को के माता-पिता नहीं होने पर उसी ने अपनी बेटी की तरह उसको पाला और शादी की थी। सतीश प्रज्ञा को छोटी-छोटी बातों पर डांट दिया करता था। वह पिछले कुछ समय से उससे सोने के गहने तक मांग रहा था। प्रज्ञा ने उसकी हरकतों के बारे में कई बार घर पर बताया था।

सेप्टिक टैंक में गिरकर बच्ची की मौत

नोएडा, 6 दिसंबर (भाषा)।

थाना सूरजपुर क्षेत्र के देवला गांव के पास निर्माणाधीन एक मकान के सेफ्टी टैंक में गिरकर नौ साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि देवला गांव के पास एक भवन का निर्माण चल रहा है। यहां पर एक सेफ्टी टैंक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि उस सेफ्टी टैंक में नौ साल की कुमारी रंजना शुक्रवार सुबह को गिर गई।

उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को जब परिवार के लोग सेफ्टी टैंक

थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि देवला गांव के पास एक भवन का निर्माण चल रहा है। यहां पर एक सेफ्टी टैंक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि उस सेफ्टी टैंक में नौ साल की कुमारी रंजना शुक्रवार सुबह को गिर गई।

के पास पहुंचे तो, उन्हें सेफ्टी टैंक में बच्ची का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची की परिजन रचना सिंह ने बताया कि हमें शक है कि बच्ची की हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा।

तेजाब भरे ट्रक की चपेट में आए

मां-बाप के साथ छह महीने का बच्चा झुलसा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार रात स्कूटी से बेटे का इलाज करवाने जा रहे माता-पिता पर टैंकर से तेजाब गिर गया। तेजाब की चपेट में आने से छह महीने का मासूम अंकित, उसके पिता गोविंदा (24) और उसकी मां कंचन (20) भी झुलस गए। घटना के वक्त कुछ दूरी पर नागरिक सुरक्षा के सदस्य श्याम बीर और निगमकर्मी दीपू ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों पर पानी डाल कर तेजाब साफ किया और अस्पताल ले गए। फिलहाल तीनों की हालत गंभीर है। आरोपी टैंकर चालक और हेल्पर फरार बताए जा रहे हैं। अशोक विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, बिहार दरभंगा के रहने वाले गोविंदा अपने परिवार के साथ जेजे कॉलोनी, प्रेम बाड़ी, वजीरपुर में रहते हैं और एक कारखाने में काम करते हैं। परिवार में पत्नी कंचन, सात साल की बेटी हन्नी और बेटा अंकित (छह महीने) का है। गुरुवार को अंकित की तबीयत खराब थी। इसलिए परिजन उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। इसी बीच ईएसआइसी डिस्पेंसरी के पास एक तेजाब का कारखाना है, जहां पर एक टैंकर खाली किया जा रहा था। इसी दौरान गोविंदा वहां से गुजर रहे थे, तभी टैंकर का पाइप उन पर गिर गया और पूरा परिवार तेजाब की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई। किसी ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस टीम नहीं पहुंची। इसी बीच कुछ दूरी पर तैनात नागरिक सुरक्षा संगठन के श्याम बीर और निगमकर्मी दीपू की नजर भीड़ पर पड़ी। वह भी मौके पर पहुंचे और मदद से सुरक्षित स्थान पर लेकर आए।

मांग राजीव चौक पर बलात्कारियों के खिलाफ कड़े कानून की मांग करती एक महिला हाथ में पोस्टर लिए हुए।

यात्रियों से भरी कलस्टर बस में लगी आग, सभी लोग सुरक्षित निकले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

दिल्ली में शुक्रवार को यात्रियों से भरी एक कलस्टर बस में आग लग गई। चालक और कंडक्टर की सूझ-बूझ से सभी यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉट-सर्किट बताई जा रही है। कलस्टर बस रूट नंबर- 794 में आग लगी। घटना के समय बस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से मंगोलपुरी जा रही थी।

जैसे ही बस आरके पुरम बस स्टैंड पर रुकी, तभी बस के अगले हिस्से से धुंआ निकलने लगा। चालक ने तुरंत इंजन को बंद कर दिया और कंडक्टर ने सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर में पूरी बस में धुंआ भर गया और बस के अगले हिस्से से आग की लपटें निकलने लगी। वहीं लोगों का आरोप है कि मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने खुद ही आग पर काबू पाया।

सौतेले पिता की हत्या में व्यक्ति को उम्र कैद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने सौतेले पिता की हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (कई लोगों द्वारा एक मंशा से किए गए कृत्य) के तहत दोषी ठहराया और उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जज ने आदेश में कहा- मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन ने सफलतापूर्वक आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोपों को साबित किया है जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अंजाम दिया।

तापमान गिरने से दिल्ली की हवा हुई जहरीली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

तापमान गिरने और हवा की गति थमने से दिल्ली में जमा प्रदूषण ने हवा की गुणवत्ता बिगाड़ कर खतरनाक स्तर पर कर दी है। इसके चलते दिल्ली का एक्यूआइ (वायु गुणवत्ता सूचकांक) शाम चार बजे 404 पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली के आसपास के शहरों की भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर दर्जे के बीच रही। गाजियाबाद 419, ग्रेटर नोएडा 406, नोएडा 413, पटना 411 एक्यूआइ के साथ गंभीर हाल में है। गुरुग्राम भी प्रदूषण में पीछे नहीं है। गुरुग्राम की हवा 386 एक्यूआइ के साथ साथ 19 शहरों की हवा बहुत खराब दर्जे की रही।

दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में चली बर्फीली हवाओं ने जहां सर्दी बढ़ा दी है वहीं वातावरण में निरंतर घुल रहा प्रदूषण उसके वजह से तितर-बितर नहीं हो पा रहा है। इस बीच हवा की गति भी थम गई है। जिससे संतोषजनक हो चुकी हवा पहले 'खराब' फिर 'बहुत खराब' और अब एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है।

हालांकि इसे लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। राजधानी में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 411 दर्ज किया गया। वहीं यह गाजियाबाद में 426, ग्रेटर नोएडा में 426 और नोएडा में 423 रहा, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। हालांकि दिन में धूप खिलने से कुछ तापमान बढ़ा और शाम चार बजे तक प्रदूषण की चादर

दिल्ली और आसपास का हाल

शहर	सुबह	शाम
दिल्ली	411	404
गाजियाबाद	426	419
ग्रेटर नोएडा	426	406
नोएडा	423	413

(नोट : दर्ज किए गए एक्यूआइ के मुताबिक)

मामूली रूप से हटी। तब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गिरकर 404 पहुंचा।

प्रदूषण निगरानी प्रणाली की पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को स्थिति और बिगड़ सकती है। अनुमान लगाया गया है कि शनिवार को दिल्ली के अधिकांश इलाकों में हवा गंभीर दर्जे की होगी। आशंका सही साबित हुई तो दिल्ली के 20 निगरानी केंद्रों में से 15 की हवा गंभीर दर्जे में प्रदूषित मिलेगी। जबकि पांच की हवा बहुत खराब रूप से प्रदूषित होगी। गंभीर इलाकों में एक्यूआइ 400 से 500 के बीच रहने का अंदेशा है। आशंका यह भी है कि रविवार व सोमवार को यह 500 से भी ऊपर जा सकता है। हवा की गति इस बीच पांच किलोमीटर प्रतिघंटे के हिसाब से दर्ज की गई है। हरियाणा, पंजाब व पड़ोसी देश पाकिस्तान में पराली जलाने केमामले जो लगभग खत्म हो चुके थे एक बार फिर देखने में आ रहे हैं। दिल्ली में टास्कफोर्स की बैठक पांच दिसंबर को हुई जिसमें स्थिति पर निगरानी रखने व गंभीर इलाकों में जरूरी एहतियात बरतने के परामर्श दिए गए थे।

परेशानियों को लेकर डीडीए उपाध्यक्ष से मिले भाजपा नेता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

दिल्ली के 'ओ जोन' क्षेत्र में बसे गांवों को राहत दिलाने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता व भाजपा नेता रामबीर सिंह बिधुड़ी ने शुक्रवार को डीडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात की। भाजपा ने बताया कि बदरपुर क्षेत्र के हरी नगर, मीठापुर, जैतपुर जैसे वार्ड में क्षेत्र 'ओ जोन' के दायरे में आ रहे हैं। इस मामले में पहले मामला एनजीटी के पास था और एनजीटी ने इस संबंध में एक्सपर्ट कमेटी को रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। एक्सपर्ट कमेटी ने 19 अप्रैल, 2014 को यह रिपोर्ट सौंपी थी और इन कॉलोनियों को 'ओ जोन' क्षेत्र से बाहर करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के आधार पर ही यह मामला एनजीटी ने भी खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी के पास लटका हुआ नहीं है। इसलिए इन कॉलोनियों को अब 'ओ जोन' क्षेत्र से बाहर किया जाए। उन्होंने बताया कि 6 विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 कॉलोनी 'ओ जोन' में आती है। इस मामले में डीडीए उपाध्यक्ष ने आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने पर जोर

सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रीय कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। वे नई दिल्ली में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पहल से युवाओं को अधिक से अधिक प्रशिक्षण मिलेगा और उनके लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

मित्र निधि और रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार समिति : रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार समारोह, गांधी शाति प्रतिष्ठान, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, शाम साढ़े पांच बजे।

प्रदर्शनी

जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला 'हार्मोनी' का आयोजन, 5ए, रिंग रोड लाजपत नगर 4, सुबह 10 बजे से, 21 दिसंबर तक।

239 करोड़ का बकाया वसूलने की कोशिशें शुरू

फरीदाबाद, 6 दिसंबर (जनसत्ता)।

फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त सोनल गोयल ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया संपत्ति कर की मूल राशि को एकमुश्त जमा करवाकर हरियाणा सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पांच सितंबर को अधिसूचना जारी कर साल 2010-11 से 2018-19 तक की संपत्ति कर की राशि आगामी 31 दिसंबर तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज माफी का प्रावधान किया है। निगम का 239 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया है। इसमे सरकारी विभागों पर 39 करोड़ की देनदारी है।

सोनल गोयल ने बताया कि इसके इलावा 2019-20 के संपत्ति कर की राशि जमा करने पर 10 फीसद की छूट भी करदाताओं को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ब्याज माफी योजना के बावजूद करदाता अपने बकाया कर की राशि जमा नहीं करवाते है तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत उनसे न केवल 18 फीसद ब्याज की दर से वसूली की जाएगी।

ऊर्जा और पानी का संरक्षण करे मेट्रो : मंगू सिंह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बचाए रहने के लिए जरूरी है कि परिवहन क्षेत्र खास तौर से काम करें। क्योंकि परिवहन क्षेत्र प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और इस प्रकार कार्बन उत्सर्जन में भी इसकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। इसलिए सभी मेट्रो संगठनों को अपनी ऊर्जा और पानी की खपत को कम करने के लिए काम करना चाहिए। यह बातें दिल्ली मेट्रो रेल निगम के महानिदेशक डॉ मंगू सिंह ने कही। इस मौके पर डॉ सिंह को ग्रीन लीडरशिप पुरस्कार से नवाजा गया।

वे हरित इमारत पर एक सम्मेलन में बोल रहे थे। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के सहयोग से दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के सहयोग से दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को मेट्रो भवन में ग्रीन मेट्रो प्रणाली पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया।

शुक्रवार को मेट्रो भवन में ग्रीन मेट्रो प्रणाली पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया। सम्मेलन में उद्योग और भारत के मेट्रो रेल निगमों की सक्रिय भागीदारी थी। सम्मेलन में तीन तकनीकी सत्र थे जिनमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। जहां विशेषज्ञों ने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया। नोएडा मेट्रो लाइन को हरित पट्टी और दिल्ली मेट्रो के ज्यादतर स्टेशनों के हरित प्रयोसों के लिए विशेष तौर से चिन्हित किया गया।

हरित मेट्रो प्रणाली पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ मंगू सिंह ने पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया को पेश करने की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रणाली को संसाधनों को अनुकूलित करने और पहले उठाए गए दक्षता उपायों को अद्यतन करने की दिशा में प्रयास करने के लिए नए तरीके भी तलाशने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यूएनडीपी) की जलवायु परिवर्तन मामलों की मुखिया प्रीति सोनी ने भारत में मेट्रो संगठनों की ओर से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की और कामना की कि यह पहल और जागरूकता जल्द ही पूरे देश में फैल जाए। उन्होने कहा कि भारत और इसके महानगर पूरी दुनिया के अनुसरण के लिए मानक निर्धारित करेंगे।

www.readwhere.com

दस्तावेज पटल पर रखने वक्त सदन में मौजूद रहें मंत्री : सभापति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

गुरुवार को राज्यसभा के उपसभापति मंत्रियों से नाराज नजर आए। सदन पटल पर दस्तावेज रखते वक्त मंत्री के अनुपस्थित होने को उन्होंने गंभीरता से लिया और सरकार को आदेश दिया कि दस्तावेज पटल पर रखने के वक्त मंत्री उपस्थित रहें।

उन्होंने कहा कि यदि कोई सदन में किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं है तो इसकी पूर्व सूचना दी जा सकती है। अनुपस्थिति से नाराज सभापति ने दस मिनट के लिए सदन को स्थगित भी किया। उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर पहले राज्यसभा के सभापति भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

सिंचाई घोटाले में अजित पवार को क्लीन चिट

नागपुर, 6 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने राकांपा नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार को विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले में क्लीन चिट दे दी है। एसीबी ने बंबई हाई कोर्ट के नागपुर पीठ में दायर किए गए अपने हलफनामे में विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के मामलों में पवार की संलिप्तता से इनकार किया है। शिवसेना–राकांपा–कांग्रेस की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के 28 नवंबर को शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 27 नवंबर को हलफनामा पेश किया गया था।

अदालत ने इन मामलों में एसीबी को पूर्व जल संसाधन विकास मंत्री पवार की भूमिका पर अपना पक्ष रखने को कहा था। पुणे जिले के बारामती से राकांपा विधायक पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस–राकांपा गठबंधन की सरकार में 1999–2009 के दौरान जल संसाधन विकास मंत्री थे। पवार विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआइडीसी) के अध्यक्ष पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। वीआइडीसी ने उन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिनमें कथित अनियमितताएं दर्ज की गई थीं।

हलफनामे के अनुसार, निविदाओं का निष्पादन कराने वाली एजंसियों, उनसे जुड़े इन परियोजनाओं के इंजीनियर, खंड लेखाकार और ठेकेदारों की तरफ से खामियां थीं। हलफनामे में कहा गया है कि निष्पादन एजंसियों की गलतियों के लिए वीआइडीसी के अध्यक्ष/जल संसाधन विभाग के मंत्री (डब्लूआरडी) को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कानूनन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एसीबी 2012 में बंबई हाई कोर्ट के नागपुर पीठ के समक्ष दायर दो जनहित याचिकाओं के तहत वीआइडीसी की 45 परियोजनाओं से जुड़ी कुल 2,654 निविदाओं के बारे में पूछताछ कर रही है।

महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 25 नवंबर को बताया कि उसने राज्य की नौ सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच बंद कर दी है। एजंसी ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि ये मामले अजित पवार से जुड़े हुए नहीं हैं। एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 27 नवंबर के हलफनामे के बारे में कहा कि अदालत ने एजंसी को 28 नवंबर से पहले वीआइडीसी घोटाले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

कई गड़बड़ियां रोकेगी एक देश–एक राशन कार्ड योजना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

शुक्रवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे राव साहेब दादाराव ने बताया कि राशन कार्ड की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रयोग के स्तर पर एक देश–एक राशनकार्ड योजना शुरू की है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में उन्होंने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित छह राज्यों में प्रयोग के तौर पर छह कलस्टर बनाकर इस योजना को लागू किया गया है। जल्द ही छह अन्य राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राशन की दुकानों में वास्तविक राशनकार्ड धारक की पहचान सुनिश्चित करने वाली मशीन लगा दी गई है। मशीन द्वारा पकड़े गए फर्जी राशनकार्डों को सरकार ने रद्द कर दिया है।

सरकार द्वारा 2013 में लागू किए गए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाना था। इसके लिए कुल 81.35 करोड़ लोगों को लक्षित किया गया था और इनमें से 79 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राशन के दुरुपयोग को रोकने के लिए 85.81 करोड़ राशन कार्ड को आधार से जोड़ दिया गया है।

"प्रपत्र आईएनसी–26"
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (क) के विषय में
तथा
नाविका एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U70100DL2015PTC276881) जिसका पंजीकृत कार्यालय डी–361, ग्राउंड फ्लोर, गली नं. 12, पुष्प लक्ष्मी बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092, भारत में स्थित है, के विषय में
.....याचिकादाता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा एक आवेदन, 02 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न असाधारण सामान्य बैठक में इसके पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तराखंड राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **निवेशक शिकायत प्रपत्र** भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को उसकी एक प्रति याचिकादाता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में या उसके प्रतिनिधि श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी, वीएस एसोसिएट्स, ए–52, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, दिल्ली–110092 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल
नाविका एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
संजय वर्मा
(निदेशक)
डीआईएन : 08176237
तिथि : 05–12–2019
स्थान : दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : गुड़गाँव, हरियाणा
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गाँव शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **03/08/2019**, जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स राघव एण्ड कं., मालिक–श्रीमती दविन्दर कौर (मूल ऋणी), गारंटर – श्री अजय पुत्र रमेश चन्द,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.46,43,076/– (छियालिस लाख तैंतालिस हजार छिहत्तर रूपये मात्र) 30.08.2019 को आगे की ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों आदि के साथ** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 03 दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.46,43,076/– (छियालिस लाख तैंतालिस हजार छिहत्तर रूपये मात्र) 30.08.2019 को आगे की ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों आदि के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गाँव शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण
यहाँ स्थित सम्पत्ति का न्यायसंगत बंधक :
1. खेवट नं.45/46, किल्ला नं.70/17/1 (7–8) वार्ड नं.3, निकट चुंगी नं.4, पटौदी बिलासपुर रोड, पटौदी एस ओ, गुड़गाँव, हरियाणा पिन–122503.

स्थान: गुड़गाँव — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 03.12.2019 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: सी-3, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मालवीय नगर, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **27/08/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्रीमती निधी जैन (मालिक– मैसर्स प्योर वाटर हाऊस) पत्नी श्री सुनील कुमार जैन,** सी–21, फ्लैट नं.102, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.20,78,242/– (बीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ बयालिस रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर को चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 04 दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.20,78,242/– (बीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ बयालिस रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मालवीय नगर, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
सी–21, प्रथम तल पर फ्लैट नं.102, (बिना छत के) मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 में शामिल सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो घिरा है:
उत्तर: रोड — दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति
पूर्व: रोड — पश्चिम: एस/लेन एवं छोटा पार्क

स्थान: मालवीय नगर, नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 04.12.2019 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन ओवरसीज बैंक
बहादुरगढ़ शाखा, श्यामजी कॉम्प्लैक्स, दिल्ली रोहतक रोड, बहादुरगढ़
फोन: 01276–233200, ई-मेल: iob1607@iob.in
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक, बहादुरगढ़ शाखा, श्यामजी कॉम्प्लैक्स, दिल्ली रोहतक रोड, बहादुरगढ़ के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 8.5.2017 जारी कर ऋणधारक मै. सक्षम राहुल ट्रेडिंग क. (यहां के बाद 'ऋणधारक' वर्णित) की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.3.2017 को रु. 16,34,409.00 (रुपये सोलह लाख चौंतीस हजार चार सौ नौ मात्र) के साथ अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
1) ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 3 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर मांग सूचना उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज के साथ रु. 16,34,409.00 (रुपये सोलह लाख चौंतीस हजार चार सौ नौ मात्र) के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 16,25,404/– (रुपये सोलह लाख पच्चीस हजार चार सौ चार मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति एवं प्रतिभूतियों का विवरण
1. बिक्री प्रलेख सं. 6813, तिथि 11.11.2008 के द्वारा आबादी, लाल डोरा, ग्राम भपरोदा, तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर के भीतर स्थित प्लॉट नं. 1665/1 मिन, माप 350 वर्ग यार्ड्स जिसकी चौहद्दी इस प्रकार हैः
पूर्वः 26' चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अन्य प्लॉट, उत्तरः ईश्वर सिंह का प्लॉट, दक्षिणः सूरजभान का प्लॉट।
2. बिक्री प्रलेख सं. 6824 तिथि 11.11.2018 के द्वारा आबादी, लाल डोरा, ग्राम भपरोदा, तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर के भीतर स्थित प्लॉट नं. 1665/1 मिन, माप 350 वर्ग यार्ड्स जिसकी चौहद्दी इस प्रकार हैः
पूर्वः 26 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अन्य प्लॉट, उत्तरः पूजा का प्लॉट, दक्षिणः सुमित्रा का प्लॉट

तिथिः 3.12.2019, — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः बहादुरगढ़ — इंडियन ओवरसीज बैंक

प्रपत्र 'ए'
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
वन वर्ल्ड ट्रैवल सॉल्यूशन्स लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	वन वर्ल्ड ट्रैवल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	12–01–2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U63000DL2011PLC212486
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	506, मनीषा बिल्डिंग, 75, 76, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	03–12–2019 (वेबसाइट पर 04–12–2019 को उपलब्ध)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	31 मई, 2020 ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	जतिन मदान रजिस्ट्रेशन नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P00222 /2017-18/10421
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	25, डीडीए एलएससी, ब्लॉक एम 1, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018, ई–मेल : cajatinmadan@yahoo.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	25, डीडीए एलएससी, ब्लॉक एम 1, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018, ई–मेल : oneworldirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	18 दिसम्बर, 2019 (ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल को आदेश की सूचना की तिथि से 14 दिन)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं आईआरपी को उपलब्ध सूचना के अनुसार
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेबलिंक : http://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता : लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 03–12–2019 (आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी को 04–12–2019 को संचारित की गई) को मैसर्स वन वर्ल्ड ट्रैवल सॉल्यूशन्स लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।
वन वर्ल्ड ट्रैवल सॉल्यूशन्स लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावे मय प्रमाण 18 दिसम्बर, 2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावे मय प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
किसी श्रेणी के साथ संबंधित वित्तीय लेनदार, जैसाकि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र सीए में निर्दिशित करेगा। (आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं)
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता./–
जतिन मदान
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
तिथि : 06–12–2019
स्थान : नई दिल्ली

आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना
दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन
पिक्सियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक का पता : 303, चन्द्रा जीएचएस लिमिटेड, गोल्फ कोर्स रोड, प्लॉट नंबर 64, सेक्टर–55, गुड़गांव, हरियाणा–122001
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित सम्पत्तियां ऑनलाइन ई-नीलामी द्वारा बेची जा रही हैं।

लॉट सं.	आस्तियों का संक्षिप्त वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
1.	21वां तल, लोटस नीलकमल बिजनेस पार्क, ग्राम ओशीवाड़ा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई–450053, परिमाप 557.40 वर्ग मीटर	रू.15,00,00,000	रू. 75,00,000

सम्पत्ति निरीक्षण तिथि : 19 दिसम्बर, 2019
ईएमडी तथा केवाईसी जमा करने की अंतिम तिथि : 24 दिसम्बर, 2019
ई–नीलामी की तिथि और समय : पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ) 27 दिसम्बर,
निरीक्षण के लिए, सम्पर्क करें : श्री सुशोभन दास, सम्पर्क नंबर +91 8794932907
ई–नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, http://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध **निविदा दस्तावेज** देखें
ई–नीलामी के विस्तृत विवरण हेतु सम्पर्क करें : श्री दीक्षित प्रजापति (एम–7874138237) admin@eauctions.co.in पर अथवा परिसमापक anil2556@gmail.com पर इच्छुक बोलीदाताओं से जांच करने तथा उसके लिए बोली प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

नियम एवं शर्तें
1. ई–नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जो भी है वहां है" "कोई वापसी नहीं" आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संचालित की जाएगी। ई–नीलामी निविदा दस्तावेज, जिसमें ऑनलाइन–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें दी गई हैं, वेबसाइट्स https://eauctions.co.in पर उपलब्ध हैं, सम्पर्क : श्री दीक्षित प्रजापति (एम–7874138237)।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभारों, सम्पत्ति का स्वामित्व, सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में स्वतंत्र जांच, सम्पत्ति का निरीक्षण अपने स्वयं के खर्चे पर कर लेना चाहिए तथा अपनी स्वयं की संतुष्टि कर लेनी चाहिए। कि सम्पत्ति निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कृपया सम्पर्क करें : श्री अनिल कुमार, सम्पर्क हेतु नंबर : 9873121883 तथा श्री सुशोभन दास, सम्पर्क हेतु नंबर : 8794932907
3. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस/ डीडी के माध्यम से मैसर्स लिक्विडेशन अकाउन्ट पिक्सियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंक खाता नंबर 044202000003221 के पक्ष में जमा करनी होगी।
4. इच्छुक बोलीदाता को ईएमडी जमा हेतु साक्ष्य और ई–नीलामी में प्रतिभागिता हेतु अनुरोध पत्र 24 दिसम्बर, 2019 को अथवा पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ परिसमापक के कार्यालय में अथवा ई–मेल द्वारा जमा करना चाहिए : (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान पता–प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध ई–मेल आईडी (5) सम्पर्क हेतु नंबर
5. पोर्टल https://eauctions.co.in पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य बोलीदाताओं के नाम परिसमापक द्वारा चिह्नित किए जाएंगे। ई–नीलामी सेवा प्रदाता लिंकस्टार ग्राह्य बोलीदाताओं को यूजर आईडी और पासवर्ड ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराएगा।
6. परिसमापनाधीन कम्पनी की आस्तियां सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएंगी। नीलामी सुरक्षित मूल्य से एक वृद्धि ऊपर के साथ आरंभ की जाएगी तथा बोलीदाता बोली वृद्धि राशि द्वारा अपनी ऑफर परस्पर बोलीदान द्वारा बढ़ाने हेतु स्वतंत्र होंगे।
7. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री प्रतिफल के भाग के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को उपरोक्तानुसार ईएमडी राशि, परिसमापक द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष बिक्री मूल्य राशि 30 दिन के भीतर जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. सफल बोलीदाता नीलाम की जा रही सम्पत्ति के संबंध में लागू स्टाम्प ड्यूटीज/अंतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि तथा सभी सांविधिक/गैर–सांविधिक बकाया राशियां, सीमाशुल्क, जीएसटी कर, उपकर, आकलन प्रभार, शुल्क इत्यादि वहन करने होंगे।
9. परिसमापक को बिना कोई कारण बताए कोई भी या सभी ऑफर (ऑफर्स) स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने अथवा नीलामी कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई भी सम्पत्ति या उसका भाग नीलामी से हटाने का पूर्ण अधिकार है।
10. बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही जारी किया जाएगा तथा किसी और नाम में जारी नहीं किया जाएगा।
11. यह बिक्री दिवाला और ऋण शोध अक्षमता संहिता 2016 और तदधीन रचित विनियमों के अधीन होगी।

हस्ता./–
सी.ए. अनिल कुमार
परिसमापक
IBBI/IPA-001/IP-P000144/2017-18/10308
स्थान : दिल्ली
तिथि : 07.12.2019

आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना
दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन
पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक का पता : 303, चन्द्रा जीएचएस लिमिटेड, गोल्फ कोर्स रोड, प्लॉट नंबर 64, सेक्टर–55, गुड़गांव, हरियाणा–122001
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित सम्पत्तियां ऑनलाइन ई-नीलामी द्वारा बेची जा रही हैं।

लॉट सं.	आस्तियों का संक्षिप्त वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
1.	प्लॉट नंबर 13, सेक्टर–16ए, फिल्म सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश, परिमाप 1410.47 वर्ग मीटर	रू.13,50,00,000	रू. 50,00,000
2.	19वां तल, लोटस नीलकमल बिजनेस पार्क, ओशीवाड़ा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई–450053, परिमाप 557.40 वर्ग मीटर	रू. 14,75,00,000	रू. 75, 00,000
3.	द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 202, लैंड मार्क बिल्डिंग, बान्द्रा (वेस्ट), मुंबई, परिमाप 2422 वर्ग फीट	रू. 14,65,30,000	रू. 73,25,000

सम्पत्ति निरीक्षण तिथि : 19 दिसम्बर, 2019
ईएमडी तथा केवाईसी जमा करने की अंतिम तिथि : 24 दिसम्बर, 2019
ई–नीलामी की तिथि और समय : पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ) 27 दिसम्बर,
निरीक्षण के लिए, सम्पर्क करें : श्री सुशोभन दास, सम्पर्क नंबर +91 8794932907
ई–नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, http://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध **निविदा दस्तावेज** देखें।
ई–नीलामी के विस्तृत विवरण हेतु सम्पर्क करें : श्री दीक्षित प्रजापति (एम–7874138237) admin@eauctions.co.in पर अथवा परिसमापक anil2556@gmail.com पर इच्छुक बोलीदाताओं से जांच करने तथा उसके लिए बोली प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

नियम एवं शर्तें
1. ई–नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जो भी है वहां है" "कोई वापसी नहीं" आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संचालित की जाएगी। ई–नीलामी निविदा दस्तावेज, जिसमें ऑनलाइन–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें दी गई हैं, वेबसाइट्स https://eauctions.co.in पर उपलब्ध हैं, सम्पर्क : श्री दीक्षित प्रजापति (एम–7874138237)।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभारों, सम्पत्ति का स्वामित्व, सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में स्वतंत्र जांच, सम्पत्ति का निरीक्षण अपने स्वयं के खर्चे पर कर लेना चाहिए तथा अपनी स्वयं की संतुष्टि कर लेनी चाहिए। कि सम्पत्ति निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कृपया सम्पर्क करें : श्री अनिल कुमार, सम्पर्क हेतु नंबर : 9873121883 तथा श्री सुशोभन दास, सम्पर्क हेतु नंबर : 8794932907
3. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस/ डीडी के माध्यम से मैसर्स लिक्विडेशन अकाउन्ट पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड, बैंक खाता नंबर 044202000003263 के पक्ष में जमा करनी होगी।
4. इच्छुक बोलीदाता को ईएमडी जमा हेतु साक्ष्य और ई–नीलामी में प्रतिभागिता हेतु अनुरोध पत्र 24 दिसम्बर, 2019 को अथवा पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ परिसमापक के कार्यालय में अथवा ई–मेल द्वारा जमा करना चाहिए : (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान पता–प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध ई–मेल आईडी (5) सम्पर्क हेतु नंबर
5. पोर्टल https://eauctions.co.in पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य बोलीदाताओं के नाम परिसमापक द्वारा चिह्नित किए जाएंगे। ई–नीलामी सेवा प्रदाता लिंकस्टार ग्राह्य बोलीदाताओं को यूजर आईडी और पासवर्ड ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराएगा।
6. परिसमापनाधीन कम्पनी की आस्तियां सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएंगी। नीलामी सुरक्षित मूल्य से एक वृद्धि ऊपर के साथ आरंभ की जाएगी तथा बोलीदाता बोली वृद्धि राशि द्वारा अपनी ऑफर परस्पर बोलीदान द्वारा बढ़ाने हेतु स्वतंत्र होंगे।
7. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री प्रतिफल के भाग के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को उपरोक्तानुसार ईएमडी राशि, परिसमापक द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष बिक्री मूल्य राशि 30 दिन के भीतर जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. सफल बोलीदाता नीलाम की जा रही सम्पत्ति के संबंध में लागू स्टाम्प ड्यूटीज/अंतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि तथा सभी सांविधिक/गैर–सांविधिक बकाया राशियां, सीमाशुल्क, जीएसटी कर, उपकर, आकलन प्रभार, शुल्क इत्यादि वहन करने होंगे।
9. परिसमापक को बिना कोई कारण बताए कोई भी या सभी ऑफर (ऑफर्स) स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने अथवा नीलामी कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई भी सम्पत्ति या उसका भाग नीलामी से हटाने का पूर्ण अधिकार है।
10. बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही जारी किया जाएगा तथा किसी और नाम में जारी नहीं किया जाएगा।
11. यह बिक्री दिवाला और ऋण शोध अक्षमता संहिता 2016 और तदधीन रचित विनियमों के अधीन होगी।

हस्ता./–
सी.ए. अनिल कुमार
परिसमापक
IBBI/IPA-001/IP-P000144/2017-18/10308
स्थान : दिल्ली
तिथि : 07.12.2019

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 14.12.2019

Delhi-Nehru Place: MHP-30, MUL-1705, 2235, 2432, 2466, 2472, 2477, 2481, 2490, 2515, 2544, 2552, 2566, 2590, 2638, 2641, 2643, 2648, 2664, 2683, 2684, 2839, MWS-269, 284, 466, 538, 560, 603, 684, 693, 700, 701, 762, 763, 780, 808, 837, 1000, **Lajpat Nagar:** MUL-1005, 1218, 1242, 1269, 1314, 1331, 1376, 1422, 1444, 1457, 1458, 1470, 1473, 1491, **Sarai Juleana:** MHP-19, MPL-154, MSL-28881, MUL-2112, 3297, 3332, 3346, 3356, 3364, 3406, 3413, 3422, 3502, MWS-687, 699, 787, 811, 816, 841, 860, 886, 906, 922, 927, 958, 1002, 1011, 1042, 1059, 1061, 1083, 1088, 1113, 1126, 1140, 1151, 1194, 1195, 1199, 1200, 1214, 1219, 1228, 1296, 1307, 1352, 1356, 1376, 1390, 1402, 1403, 1499, 1514, 1538, 1539, 1578, 1587, 1608, 1630, 1638, 1663, 1686, 1689, 1695, 1699, 1711, 1749, 1789, 1807, 1817, 1844, 1942, 2052, 2177, 2207, 2243, 2515, **Munirka:** MSL-38008, 38188, 38688, MUL-2629, 2672, 3102, 3452, 3454, 3527, 3564, 3594, 3595, 3625, 3634, 3645, 3653, 3657, 3746, 3766, 3777, 3783, 3785, 3794, 3799, 3859, 3864, 3889, 3970, 3980, 4000, 4025, 4030, 4056, 4112, 4143, 4190, 4227, 4238, 4246, 4254, 4260, 4263, 4270, 4286, 4297, 4298, 4299, 4300, 4320, 4328, 4367, 4368, 4379, 4384, 4391, 4395, 4396, 4405, 4412, 4431, 4443, 4455, 4480, 4494, 4498, 4531, 4536, 4590, 4621, 4638, 4644, 4646, 4647, 4650, 4655, 4660, 4665, 4671, 4677, 4679, 4688, 4736, 4742, 4745, 4748, 4769, 4770, 4772, 4784, 4789, 4795, 4810, 4813, 4833, 4842, 4848, 4899, 4940, 4941, 4981, MWS-2, 16, 24, 68, 106, 122, 128, 191, 225, 236, 265, 308, 324, 330, 417, 431, 449, 452, 460, 485, 490, 502, 503, 514, 531, 544, 547, 556, 557, 594, 602, 606, 610, 640, 676, 697, 700, 709, 738, 739, 769, 832, 842, 843, 850, 879, 896, 929, 951, 984, 988, 993, 1002, 1019, 1024, 1025, 1057, 1061, 1074, 1092, 1096, 1146, 1154, 1170, 1186, 1218, 1221, 1238, 1239, 1245, 1252, 1258, 1340, 1372, 1392, 1396, 1400, 1406, 1413, 1422, 1424, 1431, 1442, 1485, 1491, 1509, 1530, 1535, 1577, 1595, 1632, 1644, 1674, 1695, 1733, 1758, 1765, 1792, 1819, 1862, 1870, 1876, 1883, 1937, 1954, 1983, 1999, 2082, 2102, 2130, 2157, 2462, 2523, 2526, 2533, 2550, 2608, 2713, 2725, 2769, **Kalkaji:** MOS-13, MUL-1050, 1150, 1171, 1240, 1292, 1321, 1333, 1357, 1394, 1479, 1481, 1486, 1509, 1510, 1512, 1527, 1538, 1545, 1566, 1594, 1601, MWS-91, 111, 259, **Nehru Place II:** MPL-111, MUL-1188, 1221, MWS-60, 173, 215, 282, 290, 312, 342, 373, 379, 388, 450, 469, 476, 478, 491, 501, 560, 601, 663, 686, **Yusuf Sarai:** MUL-581, 967, 1008, 1355, 1655, 1656, 1704, 1730, 1756, 1776, 1781, 1783, 1843, 1845, 1846, 1860, 1917, 1941, 1945, 1996, 1998, 2027, 2066, 2108, 2117, 2142, 2190, 2219, 2230, 2239, 2295, 2321, 2504, 2510, **Tughlakabad Extn.:** MHL-168, MUL-1621, MWS-255, 485, 488, 493, 522, 539, 551, 611, 614, 666, 736, 762, 771, 826, 834, 856, 871, 939, 998, 1080, 1089, 1122, 1424, 1518, 1593, **Mehrauli:** MUL-1780, 2110, 2210, MWS-643, 653, 667, 677, 714, 721, 794, 802, 834, 864, 875, 945, 959, 985, 989, 1042, 1077, 1093, 1122, 1131, 1134, 1214, 1220, 1282, 1359, 1372, 1384, 1399, 1413, 1421, 1434, 1435, 1486, 1507, 1508, 1527, 1575, 1584, 1594, 1610, 1629, 1687, 1705, 1772, 1773, 1774, 1775, 1777, 1784, 1964, 2023, 2232, 2457, 2495, 2530, 2562, 2737, **Malviya Nagar:** MSL-30277, MUL-1038, 1052, 1061, 1121, 1184, 1226, 1267, 1272, 1297, 1321, 1338, 1454, 1466, 1467, 1486, 1492, 1493, 1517, 1539, 1542, 1560, 1561, 1604, 1613, 1614, 1627, 1647, 1677, 1691, 1693, 1708, 1710, 1717, 1764, 1817, 1819, 1821, 1849, 1883, 1964, 1988, 1994, 2048, 2062, 2079, 2083, 2150, 2206, 2241, 2242, 2289, 2315, 2411, **Green Park:** MHL-304, MUL-1302, 1350, 1418, 1447, 1476, 1490, 1501, 1518, 1529, 1663, 1714, 1733, 1752, 1762, 1764, 1781, 1782, 1783, 1789, 1791, 1821, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1843, 1895, 1897, 1933, 1934, 1957, 1971, 2011, 2025, 2031, 2045, 2078, 2133, 2162, 2163, 2169, 2196, 2210, 2216, 2280, 2300, 2321, 2385, 2391, 2393, 2410, 2434, 2464, 2501, 2518, 2542, 2551, 2585, 2600, 2681, 2707, 2726, 2802, 2834, 2841, 3092, **Kalkaji Extn.:** MHP-2, MUL-519, 1697, 1961, 1978, 1980, 2004, 2034, 2035, 2047, 2071, 2106, 2131, 2161, 2162, 2237, 2289, 2290, 2313, 2315, 2323, 2342, 2344, 2381, 2413, 2421, 2453, 2454, 2464, 2493, 2501, 2510, 2524, 2534, 2537, 2549, 2591, 2628, 2635, 2643, 2647, 2648, 2651, 2654, 2668, 2730, 2781, 2800, 2823, 2860, 2880, 2916, 2929, 2937, 3045, 3070, 3134, 3264, 3315, 3322, 3345, 3356, 3379, 3420, 3440, 3485, 3492, 3500, 3510, 3538, 3547, 3548, 3577, 3581, 3587, 3613, 3616, 3619, 3621, 3631, 3694, MWS-32, 54, 78, 80, 92, 101, 109, 134, 193, 233, 346, 401, 406, 438, 510, **Saket:** MAL-1656, MUL-1660, 1661, 1709, 1712, 1716, 1746, 1747, 1754, 1770, 1774, 1808, 1821, 1829, 1860, 1929, 1964, 2014, 2072, 2085, 2086, 2089, 2104, 2114, 2126, 2132, 2136, 2206, 2219, 2269, 2272, 2349, 2362, 2371, 2389, 2397, 2423, 2446, 2489, 2503, 2506, 2511, 2548, 2560, 2579, 2629, 2683, 2695, 2699, 2720, 2763, 2818, 2832, 2863, 2875, 2885, 2886, 2888, 2900, 2905, 2916, 2932, 2953, 2957, 2958, 2986, 2996, 3011, 3032, 3033, 3045, 3083, 3120, 3132, 3133, 3144, 3147, 3149, 3150, 3156, 3161, 3177, 3194, 3232, 3280, 3287, 3315, 3345, 3350, 3429, 3448, 3451, 3475, 3507, 3529, 3530, 3546, 3572, 3577, 3583, 3593, 3613, 3624, 3630, 3633, 3659, 3676, 3713, 3729, 3764, 3774, 3830, 3844, 3869, 3878, 3879, 3923, 3970, 4005, 4021, 4239, 4246, 4485, **Jangpura:** MSL-16199, 16261, MUL-1072, 1088, 1192, 1201, 1259, 1283, 1291, 1305, 1307, 1323, 1370, 1371, 1381, 1405, 1424, 1447, 1482, 1487, 1489, 1490, 1492, 1534, 1543, 1546, 1627, 1687, 1697, 1733, 1742, 1767, 1795, 1810, 1888, 1903, 1932, 1954, 2003, 2006, 2009, 2046, 2153, 2169, 2240, 2261, 2331, 2368, 2400, 2477, 2520, 2600, 2615, 2649, **Lajpat Nagar Central Market:** MPL-63, MSL-12795, MUL-527, 531, 537, 574, 595, 606, 661, 668, 691, 703, 751, 786, 791, 792, 793, 796, 797, 862, 975, 978, 1020, 1023, 1095, 1200, 1245, 1303, **New Delhi-Kotla:** MUL-1170, 1495, 1568, 1595, 1596, 1624, 1668, 1678, 1720, 1766, 1864, 1916, 2000, 2019, 2074, 2088, 2098, 2108, 2113, 2138, 2143, 2146, 2148, 2182, 2186, 2243, 2258, 2262, 2282, 2379, 2386, 2410, 2433, 2448, 2508, 2537, 2561, 2562, 2568, 2583, 2604, 2613, 2634, 2635, 2649, 2666, 2692, 2715, 2738, 2740, 2755, 2770, 2814, 2830, 2876, 2883, 2890, 2903, 2920, 2936, 2938, 2942, 2950, 2951, 2960, 2962, 3039, 3041, 3055, 3072, 3079, 3080, 3110, 3113, 3128, 3160, 3173, 3180, 3193, 3195, 3213, 3242, 3285, 3286, 3350, 3365, 3389, 3392, 3402, 3403, 3445, 3465, 3517, 3518, 3668, 3747, **Okhla Phase II:** MSL-15988, 16028, MUL-233, 383, 986, 1068, 1089, 1126, 1299, 1378, 1399, 1474, 1489, 1493, 1520, 1521, 1525, 1547, 1550, 1560, 1575, 1616, 1618, 1624, 1650, 1672, 1699, 1720, 1740, 1771, 1810, 1845, 1852, 1871, 1905, 1921, 1923, 1959, 1997, 2003, 2005, 2020, 2046, 2057, 2059, 2075, 2101, 2108, 2132, 2140, 2144, 2148, 2161, 2164, 2176, 2188, 2220, 2242, 2252, 2259, 2270, 2295, 2306, 2312, 2350, 2364, 2382, 2383, 2389, 2418, 2485, 2495, 2506, 2539, **Mahipalpur:** MHL-53, MSL-15720, MUL-983, 1225, 1232, 1241, 1259, 1269, 1270, 1283, 1294, 1352, 1395, 1407, 1447, 1448, 1449, 1451, 1464, 1528, 1555, 1587, 1589, 1654, 1694, 1754, 1764, 1768, 1796, 1818, 1833, 1871, 1923, 1932, 1947, 1972, 1973, 2003, 2038, 2046, 2053, 2059, 2081, 2095, 2135, 2138, 2143, 2158, 2164, 2170, 2213, 2280, 2309, 2341, 2360, 2375, 2378, 2386, 2396, 2458, 2485, 2504, 2505, 2506, 2546, 2557, 2558, 2561, 2564, 2657, 2680, 2733, 2735, 2746, 2787, 2917, **Vasant Kunj-Masoodpur:** MUL-796, 855, 882, 893, 914, 1000, 1027, 1037, 1038, 1039, 1040, 1073, 1098, 1150, 1169, 1181, 1186, 1225, 1237, 1279, 1364, 1409, 1437, 1474, 1539, 1556, 1580, 1606, 1635, 1642, 1647, 1653, 1680, 1692, 1705, 1729, 1739, 1741, 1755, 1758, 1766, 1792, 1817, 1834, 1909, 1913, **Hari Nagar Ashram:** MSL-11413, MUL-798, 915, 936, 949, 965, 981, 1098, 1099, 1106, 1125, 1151, 1165, 1170, 1196, 1203, 1209, 1264, 1314, 1358, 1386, 1401, 1404, 1424, 1431, 1453, 1517, 1538, 1540, 1544, 1581, 1643, 1649, 1655, 1686, 1950, **Sant Nagar:** MUL-603, 624, 649, 659, 734, 753, 786, 820, 822, 847, 863, 889, 924, 954, 991, 996, 1057, 1065, 1077, 1083, 1089, 1090, 1101, 1108, 1119, 1153, 1169, 1176, 1183, 1239, 1242, 1280, 1283, 1284, 1286, 1326, 1333, 1356, 1361, 1381, 1411, 1412, 1427, 1507, 1513, 1631, **R. K. Puram:** MSL-15448, MUL-1446, 1487, 1506, 1507, 1542, 1550, 1567, 1605, 1611, 1613, 1632, 1645, 1676, 1682, 1688, 1701, 1712, 1753, 1777, 1781, 1785, 1797, 1824, 1851, 1853, 1892, 1894, 1913, 1959, 2001, 2031, 2054, 2057, 2059, 2082, 2092, 2139, 2178, 2198, 2202, 2236, 2279, 2284, 2295, 2302, 2304, 2330, 2333, 2341, 2345, 2348, 2358, 2372, 2383, 2395, 2396, 2400, 2447, 2452, 2461, 2469, 2485, 2508, 2543, 2593, 2672, 2676, 2729, 2736, 2748, 2750, 2754, 2862, 3000, **Katwaria Sarai:** MAL-600, MSL-10226, MUL-840, 895, 966, 1035, 1050, 1059, 1091, 1095, 1119, 1129, 1130, 1165, 1202, 1203, 1204, 1213, 1223, 1234, 1255, 1301, 1307, 1319, 1336, 1344, 1353, 1411, 1436, 1437, 1723, **Lado Sarai:** MUL-1502, 1519, 1525, 1581, 1582, 1677, 1683, 1703, 1705, 1714, 1767, 1843, 1862, 1883, 1884, 1895, 1909, 1935, 1937, 1974, 1983, 1991, 1997, 2033, 2041, 2083, 2105, 2139, 2142, 2227, 2231, 2233, 2239, 2242, 2244, 2256, 2257, 2288, 2292, 2304, 2315, 2334, 2342, 2353, 2382, 2385, 2392, 2406, 2421, 2441, 2503, 2526, 2587, 2645, 2662, 2678, 2688, 2693, 2709, 2716, 2742, 2743, 2782, 2788, 2796, 2803, 2825, 2841, 2845, 2852, 2871, 2891, 2926, 3048, 3071, 3089, 3091, 3113, 3114, 3147, 3165, 3170, 3202, 3345, **Jeewan Nagar:** MUL-997, 1014, 1023, 1032, 1042, 1078, 1090, 1106, 1117, 1125, 1151, 1155, 1157, 1158, 1169, 1178, 1182, 1242, 1286, 1287, 1315, 1325, 1365, **Lajpat Nagar - 3cs Road:** MAL-339, MUL-113, 515, 540, 565, 591, 664, 687, 704, 734, 762, 789, 801, 812, 813, 838, 839, 841, 864, 901, 913, 918, 919, 956, 1001, 1003, 1005, 1020, 1046, 1149, 1195, 1218, **Delhi-Chirag:** MSL-6566, MUL-512, 538, 539, 540, 578, 584, 672, 707, 713, 714, 727, 804, 816, 856, 874, 876, 878, 910, 911, 915, 923, 930, 940, 947, 983, 996, 1008, 1010, 1019, 1021, 1022, 1039, 1053, 1068, 1072, 1073, 1085, 1089, 1165, 1192, **Devli Khanpur:** MUL-1081, 1120, 1167, 1272, 1284, 1347, 1430, 1486, 1500, 1506, 1512, 1560, 1573, 1574, 1579, 1608, 1626, 1633, 1658, 1688, 1692, 1699, 1719, 1720, 1741, 1780, 1820, 1827, 1859, 1864, 1912, 1918, 1930, 1934, 1954, 1965, 2066, 2096, 2101, 2104, 2105, 2108, 2171, 2200, 2222, 2233, 2299, 2306, 2307, 2308, 2383, 2390, 2420, 2423, 2447, 2594, 2775, 3090

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **16.12. 2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **K-24, Feroze Gandhi Road, Lajpat Nagar –II, New Delhi - 110024** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 13.12.2019
Bundi-(RA): MAL-1224, 2055, MSL-5909, 5944, MUL-388, 395, 401, 487, 554, 751, 754, 852, 893, 966, 987, 1035, 1100, 1108, 1117, 1119, 1125, 1132, 1149, 1169, 1189, 1213, 1268, 1367, 1393, 1394, 1403, 1409, 1420, 1433, 1456, 1465, 1483, 1490, 1514, 1522, 1533, 1547, 1553, 1554, 1614, 1615, 1642, 1653, 1655, 1668, 1748, 1749, 1773, 1800, 1802, 1816, 1818, 1855, 1885, 1895, 1897, 1900, 1901, 1918, 1920, 1962, 1984, 2018, 2114, 2136, 2140, 2160, 2221, 2263, 2292, MWS-15, 16, 70

नीलामी की तिथि: 14.12.2019
Deoli-(RA): MAL-666, MSL-3384, 3560, MTL-1369, MUL-146, 175, 337, 440, 470, 524, 535, 557, 577, 593, 627, 703, 750, 765, 814, 821, 824, 837, 866, 867, 893, 897, 900, 913, 923, 930, 936, 947, 970, 987, 1006, 1008, 1031, 1038, 1044, 1049, 1052, 1058, 1061, 1065, 1080, 1082, 1088, 1092, 1109, 1153, 1163, 1181, 1200, 1201, 1204, 1206, 1207, 1223, 1244, 1255, 1257, 1261, 1268, 1300, 1409, 1465, 1467

नीलामी की तिथि: 16.12.2019
Newai Tonk-(RA): MSL-1962, 1998, MUL-256, 300, 302, 322, 352, 401, 410, 443, 512, 520, 525, 530, 559, 577, 617, 652, 708, 712, 736, 815, 827, 895

नीलामी की तिथि: 17.12.2019
Tonk-(RA): MUL-233, 263, 281, 284, 324, 355, 374, 444, 602, 604, 625, 639, 640, 642, 651, 654, 669, 691, 694, 714, 739, 783, 796, 814, 822, 830, 847, 887, 891, 901, 961, 1107

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)
नीलामी की तिथि: 13.12.2019
Bundi-(RA): MUL-1687

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

www.readwhere.com

जनसत्ता

यथावत मुद्रा

माना जा रहा था कि आर्थिक विकास दर के नीचे की तरफ रुख होने के आंकड़े आने के बाद बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के मकसद से रिजर्व बैंक अपनी दरों में कुछ कटौती करेगा। मगर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। इससे पहले वह पांच बार रेपो रेट में कुल मिला कर 1.35 फीसद की कटौती कर चुका है। इस मौद्रिक समीक्षा में रिजर्व बैंक ने कहा कि बार-बार बैंक दरों में कटौती करना उचित नहीं है। फिलहाल उन खामियों को दूर करने की जरूरत है, जिनकी वजह से आर्थिक वृद्धि दर बाधित हो रही है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपना आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा कर पांच फीसद कर दिया है। पिछली तिमाही में उसने विकास दर 6.1 फीसद रहने का अनुमान लगाया था, पर दूसरी तिमाही के दौरान विकास दर घट कर साढ़े चार फीसद पर पहुंच गई। इसके अलावा खुदरा मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर बढ़ कर 4.6 फीसद तक पहुंच गई है। इन स्थितियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अपनी मुट्ठी बंद रखना जरूरी समझा है। इस तरह ताजा मौद्रिक समीक्षा के बाद सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

विकास दर की रफ्तार सुस्त होने के आंकड़े काफी पहले से आने शुरू हो गए थे, मगर उन्हें गंभीरता से लेते हुए व्यावहारिक कदम उठाने के बजाय सरकार अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करती रही। अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन तक पहुंचाने का दम भरती रही, इसके लिए कुछ समितियां भी गठित की गईं। फिर भवन निर्माण जैसे जिन कुछ क्षेत्रों में सुस्ती बनी हुई थी, उसे तोड़ने के लिए अपनी तरफ से भारी निवेश जुटाने की घोषणा कर दी। जबकि समग्र विकास नीति पर पुनर्विचार की जरूरत थी। अब जब आर्थिक विकास दर सिमट कर साढ़े चार फीसद पर पहुंच गई है और महंगाई पर काबू पाना कठिन हो गया है, तो नए तरीके से कर लगाने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ उद्यमों को उत्पादन के क्षेत्र से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, ताकि उन पर अठारह के बजाय बाईस फीसद जीएसटी वसूला जा सके। जाहिर है, इससे उन क्षेत्रों के कारोबार पर असर पड़ेगा और कर वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह कर बढ़ा कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना संभव नहीं होगा।

रिजर्व बैंक अपनी दरों में कटौती इसलिए करता है कि बाजार में पूंजी का प्रवाह और उद्योग-धंधों में निवेश बढ़े। पर जब वह अपने हाथ रोके रखता है, तो उसका अर्थ होता है कि उसे जल्दी ही अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं है। यानी बैंकों का ऋण कारोबार पहले ही धीमा चल रहा था, रेपो दरों में कटौती न होने से उसमें कुछ तेजी आने की उम्मीद भी धुंधली हो गई है। बैंकों का कारोबार मंद होने का अर्थ है कि उत्पादन, विपणन, विनिर्माण आदि सभी क्षेत्रों के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ता है। पहले ही प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करना सरकार के लिए मुश्किल बना हुआ है और वाहन उद्योग, कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर मंदी की बुरी मार पड़ी है। उस पर विकास दर की रफ्तार धीमी होने से बाहरी निवेश आने की उम्मीद और क्षीण हो गई है। इस तरह रोजगार सृजन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलना भी मुश्किल है। इस स्थिति से पार पाने के लिए सरकार को व्यावहारिक उपायों पर विचार करना होगा।

बुजुर्गों की फिक्र

समाज में बुजुर्गों के जीवन में मुश्किलों को कम करने के मकसद से लंबे समय से कवायदें चल रही हैं, लेकिन आज भी वे व्यावहारिक स्वरूप नहीं ले सकी हैं। इस मामले में समय-समय पर कई तरह के कानूनी प्रावधान किए गए, जिनके तहत बेटे-बेटियों से लेकर दूसरे संबंधों की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। लेकिन आमतौर पर व्यवहार में उनके पालन को लेकर कई जगह लापरवाही देखी जाती है। इसके अलावा, कुछ सामाजिक संबंध ऐसे भी हैं, जो खुद को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के दायरे से बाहर मानते हैं। हालांकि अब इस दिशा में भी कानूनों का विस्तार करने की कोशिशें जारी हैं, ताकि बुजुर्गों के आसपास मौजूद लोगों की भूमिकाएं कानूनी तौर पर निर्धारित की जा सकें। इस मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी है, जिसके तहत बुजुर्ग सास-ससुर की देखभाल करने में नाकाम रहने और मासिक गुजारा खर्च नहीं मुहैया कराने पर दामाद और बहू के खिलाफ भी मुकदमा चलाए जा सकने के प्रावधान किए गए हैं।

कई बार देखा जाता है कि कुछ परिवारों में बुजुर्ग अपने घर के बच्चों के बड़े हो जाने या विवाह होने पर उनके दूसरी जगहों पर चले जाने या फिर एक परिवार के रूप में जीवन शुरू करने के बाद अकेले हो जाते हैं। लेकिन पुत्र के अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग हो जाने से इतर यह भी संभव है कि किसी माता-पिता को केवल पुत्री हो। ऐसे में कानून के तहत अगर सिर्फ पुत्र की भूमिका तय होती है, तब बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी नहीं समझते। जबकि पुत्री और दामाद की भी यह जवाबदेही है कि वे जरूरी होने पर अपने माता-पिता का खयाल रखें। यह सामाजिक संबंधों में मानवीयता और संवेदना को कायम रखने के लिए एक स्वाभाविक तत्त्व भी होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग इन संवेदनाओं का निर्वाह नहीं करते हैं, तो इसके लिए कानूनी व्यवस्था की पहलकदमी स्वागतयोग्य है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जीवन की सांध्यबेला में भी बुजुर्गों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक के साथ-साथ मानसिक सहयोग की भी जरूरत होती है।

वक्त के साथ समाज का स्वरूप बदलना एक हद तक स्वाभाविक कहा जा सकता है। लेकिन समाज के घटक एक-दूसरे के साथ कुछ संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन इन संवेदनाओं की बुनियाद पर खड़े समाज में अमूमन हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। यह समाज खुद भी विकसित करता है और इसे शासन की ओर से भी निर्धारित किया जाता है। हमारे समाज के मुख्य घटक परिवार के ढांचे में लगभग सभी पीढ़ियों की भूमिकाएं तय मानी जाती हैं। माता-पिता से उम्मीद की जाती है कि वे जिन्हें जन्म देते हैं, आत्मनिर्भर होने तक उनका खयाल रखें। फिर बच्चों से भी यह उम्मीद होती है कि अपने दम पर खड़े होने के बाद वे अपने माता-पिता, अभिभावक या फिर घर के बुजुर्गों के लिए हर वह काम करें, जिनकी उन्हें जरूरत पड़ती है। इसी तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन किसी परिवार की संरचना को सहयोगात्मक, संपूर्ण, सेहतमंद बनाए रखता है और समाज को एक ठोस शक्ल देता है। जबकि इसकी कड़ियों के ढीला होने पर समाज के सूत्र कमजोर होते हैं और इस तरह एक व्यापक बिखराव की जमीन बनती है, जिसका खमियाजा न केवल बुजुर्गों, बल्कि बाद की पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है।

कल्पमेधा

प्रकृति अपनी प्रगति और विकास में रुकना नहीं जानती। हर अकर्मण्यता पर वह अपने शाप की छाप लगाती जाती है।

-गेटे

ईरान में प्रदर्शन और भारत की चिंताएं

सुजाता माथुर

निश्चित रूप से भारत अपने व्यापारिक और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक संबंधों को सिर्फ अमेरिकी चश्मे से नहीं देख सकता। हमें यह तो समझना ही होगा कि हम इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं और इसकी भरपाई कैसे करेंगे।

बीते मंगलवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में अब तक दो सौ आठ प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। एमनेस्टी के एक अधिकारी के अनुसार इनमें से ज्यादातर मौतें पिछले एक सप्ताह में प्रदर्शनों को रोकने के लिए की गई सरकारी कार्रवाई के दौरान हुई हैं।

ईरान में पिछले 15 नवंबर से वहां की सरकार द्वारा तेल की कीमतें बढ़ाए जाने के विरोध में जबर्दस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार इनसे निपटने के लिए पुलिस बल का सहारा ले रही है। उसने इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी है। इसलिए देश के भीतर क्या हो रहा है, इसकी सही-सही जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। ईरान की संवाद समितियां आईआरआईबी और इरना पूरी तरह चुप हैं और वहां के अखबारों में इन प्रदर्शनों के बारे में खबरें नहीं छप रही हैं। लेकिन इधर-उधर से छन कर आ रही खबरों के अनुसार इन प्रदर्शनों ने वहां काफी उग्र रूप धारण कर लिया है। एमनेस्टी की रिपोर्ट इसका एक संकेत है।

ईरान में इसकी भूमिका कैसे तैयार हुई, यह विस्तृत अध्ययन का विषय है, लेकिन असंतोष का तात्कालिक कारण ईंधन के संबंध में लागू किए गए वहां की सरकार के नए नियम ही हैं। नए नियम के अनुसार अब प्रत्येक मोटर मालिक को प्रतिमाह सिर्फ साठ लीटर पेट्रोल पंद्रह हजार रियाल प्रति लीटर की दर से मिलेगा। अगर वह इससे अधिक पेट्रोल खरीदता है तो उसे प्रति लीटर तीस हजार रियाल का भुगतान करना होगा।

इससे पहले मोटर मालिकों को दस हजार रियाल प्रति लीटर की दर से एक माह में ढाई सौ लीटर पेट्रोल खरीदने की अनुमति थी। जब तेल नियम में किए गए बदलावों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुए तब ईरान सरकार के हवाले से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि नए नियम के तहत पेट्रोल पर लागू सब्सिडी हटाने से उसे जो धन प्राप्त होगा उससे देश के निम्न आयवर्ग के लोगों को नकद लाभ दिया जाएगा। बताया गया था कि इससे सरकार को प्रतिवर्ष तीन सौ ट्रिलियन रियाल की आय होगी और इस धन से जल्दी ही करीब अठारह मिलियन परिवारों को अतिरिक्त नगद भत्ता देना शुरू कर दिया जाएगा।

सरकार द्वारा मुहैया सब्सिडी के कारण ईरान में शेष विश्व के मुकाबले तेल की कीमत सबसे कम है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरानी तेल निर्यात में बेहद गिरावट आई है और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में ईरान सरकार अपने घरेलू उपभोग पर सब्सिडी की कटौती कर रही है, ताकि कमजोर आयवर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को वह जारी रख सके।

तेल की कीमतों में की गई इस वृद्धि के विरोध में शुरू हुए आंदोलन से कुछ ही दिन पहले भारत की महिला पत्रकारों का एक दल ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ से मिला था। उनसे अपनी बातचीत में जरीफ ने इस बात की पुष्टि की थी कि अमेरिकी प्रतिबंध के कारण तेल से प्राप्त होने वाला राजस्व गिरा और मुद्रास्फीति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था का आधार तेल है, इसलिए वह तेल बेचता रहेगा और बहुत से देश उससे तेल खरीदते भी रहेंगे। लेकिन उस व्यापार में भ्रष्टाचार पनपेगा और संभव है कि पारदर्शिता भी न रहे।

जरीफ ने कहा कि इन प्रतिबंधों के चलते बहुत से देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। हम समझते हैं कि कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ जाकर अपना अहित नहीं करना चाहता, लेकिन उनके देश को इस बात से काफी तकलीफ हुई है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया में तेल के तीसरे नंबर के सबसे बड़े उपभोक्ता ने भी अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं और ईरान से तेल का आयात बंद कर दिया है। ईरान को लगता है कि भारत जैसे बड़े देश को अमेरिकी दादागीरी के सामने झुकना नहीं चाहिए था।

जरीफ ने कहा कि दरअसल, इससे दोनों देशों का अहित होगा। आप हमारा तेल नहीं खरीदेंगे तो हम आपका चावल, मसाले, चाय और अन्य रासायनिक उत्पाद नहीं खरीदेंगे। फिलहाल अपने परंपरागत सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते को शायद हम कुछ समय तक और बचाए रख सकें।

ईरान भारत का दूरस्थ पड़ोसी है और उसके साथ हमारा लंबा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। इसके अलावा चार अन्य ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें ईरान के साथ भारत का गहरा संबंध रहा है। उसमें पहला है ऊर्जा का क्षेत्र। कच्चे तेल

और गैस के लिए यानी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम जिन चार-पांच मुख्य देशों पर निर्भर हैं, उनमें ईरान का दूसरा स्थान है। हमारी ऊर्जा की साठ प्रतिशत जरूरतें ईरान और इस क्षेत्र के अन्य देशों से पूरी होती हैं। ईरान हमें प्रतिदिन चार लाख पचीस हजार बैरल तेल की आपूर्ति करता रहा है और उसके बदले में भारत उसके तेल और गैस उद्योग में निवेश करने वाले देशों में शामिल हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है कनेक्टिविटी यानी संपर्क या पारगमन सुविधा। ईरान के रास्ते हमें अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे कई मुल्कों तक व्यापार संपर्क बढ़ाने की सुविधा मिली है। अफगानिस्तान, खासतौर से चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ देश है और पाकिस्तान के कारण हमारी उस तक पहुंच नहीं बन पाती, लेकिन ईरान के जरिए हम ऐसा कर सके हैं। ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के रास्ते हमारा व्यापार सिर्फ इन्हीं देशों तक नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के साथ भी संभव हो सका है। हालांकि अभी चाबहार बंदरगाह में भारत द्वारा निर्मित शहीद बहिश्ती टर्मिनल का परिचालन पूरी तरह शुरू नहीं हो सका है, लेकिन इसकी शुरुआत से सिर्फ नौ-दस माह में ही उसके जरिए हम दो लाख टन से ज्यादा कार्गो अन्य देशों तक भेज चुके हैं।

तीसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध, जिनकी शुरुआत 1950 से ही हो गई थी, हालांकि उस समय गुटनिरपेक्ष भारत सोवियत संघ के प्रभाव में था और ईरान अमेरिका के, लेकिन उनके बीच रिश्तों में कभी दरार नहीं आई। 1990 में दोनों ही देशों ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ नार्दर्न एलायंस की अशरफ गनी सरकार का समर्थन किया। विदेश नीति संबंधी इन मसलों पर जहां इन दोनों देशों का रवैया लगभग समान रहा, वहीं कुछ मामलों में उसमें विभेद भी रहा। भारत ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जोरदार विरोध किया और अफगानिस्तान में जहां दोनों ने तालिबान का विरोध किया, वहीं भारत ने वहां नाटो बलों की मौजूदगी का समर्थन किया।

चौथा क्षेत्र है ईरान में सिख धर्म के अनुयाइयों की उपस्थिति। ईरान में 2011 की जनगणना के हिसाब से सिखों के साठ परिवार रहते हैं। ये लोग वहां भारत के विभाजन से भी पहले से रहते आए हैं। इन परिवारों को वहां की इस्लामी सरकार ने गुरद्वारा बनाने और अपना धर्म मानने की इजाजत दी है। इस साल श्रीगुरुनानक देव जी की साढ़े पांच सौवीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सिख परिवार वहां मुख्य रूप से व्यवसाय करते हैं और उनके बच्चे वहां के भारतीय स्कूल में अन्य विषयों के साथ-साथ फारसी भाषा का भी अध्ययन करते हैं।

निश्चित रूप से भारत अपने व्यापारिक और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक संबंधों को सिर्फ अमेरिकी चश्मे से नहीं देख सकता। हमें यह तो समझना ही होगा कि हम इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं और इसकी भरपाई कैसे करेंगे। जहां तक ईरान के भीतर उग्र होते जा रहे प्रदर्शनों का संबंध है, अगर उसके पीछे भी कुछ विदेशी ताकतों का हाथ हो तो आश्चर्य नहीं। अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों के घरेलू आंदोलनों को दूसरे देशों ने ही हवा दी थी।

नेपथ्य के नायक

राजेंद्र वामन काटदरे

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिली तो इसका श्रेय मुख्य रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आदि के साथ भगतसिंह, राजगुरु जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन महान लोगों की बहुत भूमिका रही देश को आजाद कराने में, लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों-हजारों और भी थे, जिन्होंने अपने घर-परिवार की चिंता छोड़ कर इस महासंग्राम में आहुतियां दी थीं। इस महासंग्राम में कुछ लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करते हुए अपनी खून-पसीने की कमाई से खरीदे विदेशी कपड़े और सामान जला दिया। क्रांतिकारियों की चिट्ठियां एक से दूसरे के पास पहुंचाने का काम भी अनेक लोगों ने किया। इसी तरह अपने घरों में क्रांतिकारियों को पनाह देने वाले भी बहुत थे। कहा जा सकता है कि उस दौर में बहुत सारे लोगों ने सीधे तो आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आंदोलन के दौरान जो भूमिकाएं निभाई थीं, उन्हें भले दर्ज नहीं किया गया, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। दरअसल, 'अनसंग हीरोज' या फिर नेपथ्य के नायक इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इनके बलिदानों को इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं मिल पाया।

ये नायक सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के वक्त नहीं थे, बल्कि वे आज भी हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनके दखल पर गौर करने को तैयार नहीं होते। एक सत्य घटना का उल्लेख कर रहा हूं। उस दिन पुष्य नक्षत्र था, इसलिए शहर की आभूषण बेचने वाली तमाम दुकानों के विज्ञापनों से अखबार पटे हुए थे। इसकी वजह यह थी कि पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। मेरे दो रिश्तेदार भी कुछ गहने खरीदने शाम को बाजार गए। बाजार में अन्य खरीदारी के बाद उन्होंने अपनी पसंद का गहना खरीदा तब तक अंधेरा छा चुका था। हमारा घर जहां है, वहां पहुंचने के लिए रास्ता कुछ दूर तक सुनसान है। इसलिए वे लूटपाट या झपटमारी की कुछ चिंता के साथ ही स्कूटर पर घर की ओर चले। तभी पीछे से हॉर्न बजाते मोटरसाइकिल पर दो लड़के तेजी से उनकी ओर आते नजर आए। वे हाथ से इशारे भी कर रहे थे। ऐसे में मेरे उन रिश्तेदारों का डर जाना स्वाभाविक ही था। इसलिए उन्होंने अपना स्कूटर रोकने के बजाय उसक गति बढ़ा दी। लेकिन अगले कुछ ही पलों में मोटरसाइकिल पर सवार युवक उनसे आगे निकल गए और एक जगह पर उन्हें रोक लिया। मेरे रिश्तेदार कई तरह की आशंकाओं से घिर गए थे कि इस बीच मोटरसाइकिल से उतर कर एक लड़का उनके पास आया और बोला कि 'अंकल, हम कब से आपको रुकने के लिए इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप रुके ही नहीं। ये देखिए आंटी जी का बैग पीछे गिर गया था। वही देने के लिए हम आपको रुकने का इशारा कर रहे थे।' डरे हुए मेरे रिश्तेदारों के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित और उम्मीदों से परे था। उनकी बातें सुन कर पहले तो दोनों की जान में जान आई और वे उन लड़कों को बहुत धन्यवाद देकर घर आ गए। घर आकर देखा तो गहने और सभी कीमती चीजें बैग में सही-सलामत थीं।

अखबारों में हम चोर-लुटेरों, भ्रष्ट नेताओं, व्यसनी-छली और तथाकथित संतों के समाचार और उनकी तस्वीरें रोज ही देखते रहते हैं, मगर उन मोटरसाइकिल सवार युवकों की तरह के तमाम नायक गुमनाम ही रह जाते हैं। जबकि हमारे समाज में लोगों के सभ्य और संवेदनशील होने की उम्मीद ऐसे ही लोगों से बची रहती है।

इस तरह की यह अकेली घटना नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई गुमनाम नायक हमारे आसपास दिख जाते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते। किसी बुजुर्ग या महिला को बस में खड़ा देख कर तुरंत उठ कर वे अपनी सीट देते हैं। किसी स्टेशन पर दो मिनट के लिए रुकी ट्रेन से उतरते किसी बुजुर्ग का सामान उतार देने वाले या नए शहर में किसी पता पूछने वाले को सही पता बता कर ऑटो या बस में चढ़ने में मदद करने वाले वे गुमनाम नायक ही तो होते हैं, जिनसे समाज का मानवीय चेहरा बचा रहता है!

इतना ही नहीं, सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान को अस्पताल पहुंचाने वाले या किसी अनजान को रक्तदान करने वाले, मरने के बाद ही सही, अपनी देह दान करने वाले सभी गुमनाम नायक ही हैं। मदद छोटी हो या बड़ी, मदद या सहयोग ये 'अनसंग हीरोज' बिना किसी निहित स्वार्थ के करते रहते हैं। इन्हें कई बार सिर्फ एक 'शुक्रिया' मिल जाता है तो कभी नहीं भी। लेकिन सच यह है कि इनके भीतर किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं होती है। बस अपने मानवीय स्वभाव और संवेदनशीलता की वजह से तुरंत आगे बढ़ कर अपनी सीमा में जितना हो पाता है, उतना किसी अनजान के लिए भी बिना कुछ सोचे-समझे कर डालते हैं। बेशक ये तहेदिल से 'शुक्रिया' कहे जाने लायक हमारे नेपथ्य के नायक हैं।

हताशा में रक्षक

फिर एक हृदयविदारक घटना सामने आई जिसमें छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित जिले में तैनात आइटीबीपी के एक जवान ने अपने चार सहकर्मियों की गोली मार कर हत्या कर दी। हाल ही में सुरक्षा बलों से संबंधित ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें विभिन्न कारणों से सैनिकों ने अपने साथियों या वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं के पीछे के वास्तविक कारणों की जांच अभी जारी है पर इन घटनाओं को सुरक्षा बलों के जवानों में विभिन्न कारणों से व्याप्त अवसाद, तनाव व कुंठा की चरम परिणति के रूप में माना जा सकता है। अक्सर सैनिकों की कई तरह की समस्याएं प्रकाश में आई हैं। आवश्यकता होने पर भी उन्हें अवकाश न मिलना सबसे आम समस्या है। हाल में सुकमा में नक्सल हमले में शहीद हुए जवान के संबंध में एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया कि उस हमले के कुछ ही दिन पूर्व एक अन्य हमले में वह दृढ़ता से लड़ते हुए जांघ में गोली लगने से घायल हो गया था। कुछ दिन के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी होते ही उसे सीधे मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। उसके शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर मांगे गए अवकाश के निवेदन को उच्चाधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया था। वह जवान फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा और देश के लिए प्राण दे दिए।

खाने-पीने की सामग्री की गुणवत्ता और उसकी आपूर्ति में अनियमितता के संदर्भ में भी सैनिकों की शिकायतें आती रही हैं। विडंबना है कि ऐसे विभिन्न मामलों में आरोपी अथवा संस्था ही जांचकर्ता और न्यायाधीश की भूमिका में आ जाते हैं। निजी कारणों अथवा अनुशासन के नाम पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारी-अधिकारियों को प्रताड़ित करने के चलते आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं जो बहुत दुखद व चिंतनीय हैं। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सैनिकों की तरफ से आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से जुड़ी शिकायतों का शीघ्रता से समुचित संज्ञान लिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तटस्थ व निष्पक्ष संस्था द्वारा उच्च न्यायालय की देखरेख में की जानी चाहिए। जवानों की वेतन संबंधी विसंगतियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। उनका मनोबल बढ़ाने व धैर्य में वृद्धि के लिए अधिकारियों के लिए समय-समय पर सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए। सैन्य बलों के प्रत्येक ठिकाने में एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति भी की जानी चाहिए जो सलाहकार की भूमिका में सैनिकों को किसी भी प्रकार के अवसाद की स्थिति से बाहर आने में सहायक होंगे।

ये सैनिक ही हैं जिनकी बदौलत देश के आम नागरिक खुद सुरक्षित महसूस करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। सैनिकों के बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बिना देश की सुरक्षा व प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। लिहाजा, सरकारों को सैनिक कल्याण पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

● *ऋषभ देव पांडेय, पामगढ़, छत्तीसगढ़*

न्याय का तकाजा

सन 2013 में निर्भया प्रकरण से हाल तक महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में केवल एक अंतर आया है और वह है अपराध की प्रकृति या किरदार का। निर्भया मामले के बाद जिस तरह के न्याय की आशा की गई थी वैसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी तक निर्भया के मुजरिमों को सजा नहीं मिली। अगर हम ऐसे संगीन मामलों में दंड देने की नजीर पेश नहीं करेंगे तो अपराधियों का हौसला बढ़ता रहेगा। कानून बनाने तक ही हमारी जिम्मेदारी सीमित नहीं है, इससे आगे हमारी जवाबदेही इसे लागू कराने की भी है। हमें आज के बारे में सोच कर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर समाज का निर्माण करना होगा जिसकी पहचान एक सभ्य समाज के रूप हो।

● *गौरव मिश्रा, इलाहाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

प्याज के आंसू

देश के कई राज्यों में लोग प्याज के आंसू रो रहे हैं। प्याज कई शहरों में 75 से 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इस पर सियासत भी खूब की जा रही है। कभी किसी नेता के बयान को 'ट्रोल' किया जा रहा है, तो कभी सांसद प्याज की माला लेकर संसद में आ जाते हैं। इस बीच तुर्की से 4000 टन प्याज आयात करने की खबर आ रही है, जो कि मध्य जनवरी तक भारत पहुंच जाएगा। इसके अलावा भी भारी मात्रा में मिस्र से प्याज का आयात किया जाएगा।

गौरतलब है कि हमारे देश के ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व बिहार समेत कई राज्यों में प्याज की भरपूर पैदावार होती है। सरकारी गोदामों में रखे प्याज के हर साल सड़ जाने या खराब हो जाने की खबरें भी आती हैं। इसके बावजूद हमें विदेशों से प्याज आयात करना पड़ रहा है! सरकार को चाहिए कि सरकारी गोदामों में सामान के रख-रखाव की स्थिति में सुधार लाए और कालाबाजारी पर रोक लगाने के प्रयास करे। यदि अपने देश के किसानों से खरीद कर सही तरह से प्याज का रखरखाव किया जाता तो आज हमें उसका आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती।

● *उपासना, दिल्ली विश्वविद्यालय*

कानून के मुताबिक

सांसद और विधायक सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं होते। वे नियम बनाने और देश चलाने वाले भी होते हैं। इसलिए उन्हें हर वक्तव्य काफी सोच-समझ कर देना चाहिए। अब राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सोमवार को संसद में कह दिया कि जिन्होंने हैदराबाद की पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार कर उसे जला दिया, उनकी 'मॉब लिंचिंग' कर दी जानी चाहिए। ठीक है, जयाजी काफी क्रोधित थीं इसलिए ऐसा कह दिया होगा। मगर उन्हें आम आदमी जैसा बयान देने से बचना चाहिए था। क्या उन्हें नहीं मालूम कि यह देश कानून और संविधान के प्रावधानों से चलता है। ऐसे में अजमल कसाब को भी तुरंत मार देना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं किया गया।

हमारा समाज सऊदी अरब नहीं है। हां, कानूनी प्रक्रिया में देर क्यों होती है, इस देरी को कैसे खत्म किया जाए, इस पर सांसदों को मंथन करना चाहिए। वैसे केवल कानून कड़ा कर देने और मोमबत्ती वाले प्रदर्शनों से पुरुषों की हैवानियत नहीं रुकने वाली। सदियों से यह होता आया है। शिक्षा और संपन्नता के विस्तार से भी ये नहीं रुकने वाला है। अगर ऐसा होता तो फिर यूरोप और अमेरिका में बलात्कार कब का खत्म हो गया होता।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

www.readwhere.com

जंगलराज

उत्तर प्रदेश कहने को देश का सबसे बड़ा सूबा है। कभी उत्तम प्रदेश कहलाता था। अब तो उलटा प्रदेश होकर रह गया है। बंपर बहुमत से सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार भी लोगों को सुशासन की कोई अनुभूति ढाई साल बीतने के बाद भी नहीं करा पाई। अलबत्ता सरकार के मंत्री जरूर गाहे बगाहे अपने ऊट पटांग बयानों से सरकार की जग हंसाई कराते रहते हैं। अपराध थम नहीं रहे। सरकार से सवाल पूछो तो मंत्री चिढ़ते हैं। गुरुवार को उन्नाव में बलात्कार पीड़ित युवती के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई उसने तो हैदराबाद की महिला डॉक्टर और दिल्ली के निर्भया मामले को भी पीछे छोड़ दिया। उस पर भी योगी सरकार के मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दे डाली कि सौ फीसद अपराध रोकने की गारंटी तो भगवान राम भी नहीं दे पाए। समाज है तो अपराध भी होंगे। अपराध न होने की गारंटी नहीं देने की बात मान भी ली जाए पर जेल से बाहर आकर अपराधी खुलेआम पीड़ितों को मुकदमे वापस लेने के लिए आतंकित करें और सरेराह जिंदा जला दें तो क्या इसे जंगलराज नहीं कहेंगे। किसी भी मोर्चे पर योगी सरकार लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही। गन्ना किसान भुगतान नहीं होने से परेशान हैं तो तबादले और नियुक्तियों में जातिवाद चरम पर है। सूबे में तीन महीने से तो कोई मुख्य सचिव ही नहीं है। कई अफसरों पर कई पदों का जिम्मा है तो कई जगह पद महीनों से खाली पड़े हैं। सियासत से फुरसत मिले तो प्रशासन को देखें मुख्यमंत्री। सरकार के भीतर भी गुटबाजी का आलम यह है कि एक उपमुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री फूटी आंख नहीं सुहाते। अगड़े-पिछड़े और दलित का फलसफा अलग उलझा है।

सड़क पर न्याय होता है और बहुजन से लेकर कांग्रेस व भाजपा के सांसद उसकी वाह-वाह में जुट जाते हैं। जिस पार्टी के अगुआ बलात्कार पर कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है उसकी सांसद को बलात्कार का हल संसद को दुरुस्त करने में नहीं सड़क पर न्याय होने में दिखता है। सिनेमा और संसद से सड़क तक मर्दानगी का महोत्सव ऐसा है कि अनुच्छेद 370 खत्म होते ही 'गोरी' कश्मीरी लड़कियों की अस्मिता पर हमला

बेबाक बोल

शुरू हो जाता है। संसद में गांधी के हत्यारे का महिमामंडन और भीड़ द्वारा सजा देने की मांग कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र के कमजोर होने का मतलब है कमजोर पर मजबूत का वर्चस्व। बलात्कार के मामलों का सड़क से संसद तक मर्दवादी नजरिए से जो हल निकाला जा रहा है और होता दिख भी रहा है वह खुद कितनी बड़ी समस्या है इससे आगाह करता बेबाक बोल।

सड़क से संसद तक

मुकेश भारद्वाज

हैदराबाद...कुछ लोग आए हैं, मदद के लिए बोल रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी इंसान का इंसान से भरोसा टूटना। उस लड़की के साथ साजिश की गई, मदद देने के नाम पर उसे घेरा गया। इस स्तंभ में पहले भी सुदर्शन की कहानी के जरिए बाबा भारती के भरोसे को कायम रखने की जद्दोजहद का जिक्र किया जा चुका है। मदद और भरोसे की हत्या कर दी गई, जला दिया गया। क्या इसके बाद लड़कियां सड़क पर किसी का भरोसा करेंगी? मिर्ची स्प्रे की बोतल, जूडो-कराटे के दांव-पेच के भरोसे क्या उनका सड़क पर वह हौसला बरकरार रहेगा जो इंसानों पर भरोसे के साथ था? इसके बाद जो सड़क पर पुलिस न्याय हुआ और कई सांसदों ने उसकी प्रशंसा की, इसका नतीजा आगे क्या होगा? जो उत्तर प्रदेश पुलिस मुठभेड़ों के लिए सवालों के घेरे में रही है उसे भी तेलंगाना पुलिस से सीख लेने की नसीहत दी जा रही है।

16 दिसंबर 2012, दिल्ली और 28 नवंबर 2019, हैदराबाद के बीच भी देश में सामूहिक बलात्कार के मामले हुए। लेकिन आम लोगों से संसद तक पहुंचे इस गुस्से के वर्गीय ढांचे को भी देखिए। लिखित कानून और अलिखित संवेदनशीलता को ताक पर रख कुछ ही देर में डॉक्टर लड़की का सुंदर चेहरा और जला हुआ शरीर सोशल मीडिया पर तैरने लगा और आरोपियों को सड़क पर मारने की, जिंदा जला देने की मांग की जाने लगी। आरोपियों की तस्वीर, उनके कमजोर तबके की पृष्ठभूमि और एक समुदाय विशेष के नाम के साथ अलग तरह की अलोकतांत्रिक मांगें भी उठने लगीं। इस बार भी आम लोगों की यही चिंता थी कि मेरी भी बेटी है, वह भी बाहर जाती है, उसके साथ भी ऐसा होगा तो? हम सामूहिकता की बात ही नहीं कर पाए। स्त्रियों को बहू और बेटी के दायरे में बांध दिया। स्त्री को सिर्फ स्त्री की तरह नहीं देख पाते हैं। निर्भया मामले के बाद भी हम उन लोगों को संसद भेजते रहे जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, जो लड़कियों के बलात्कार के लिए खुलेआम उनके कपड़ों और आजादी को दोषी ठहराते रहे हैं।

सड़क पर जले भरोसे के बाद दूसरी त्रासदी संसद में दिखी। समाजवादी पार्टी की सांसद कहती हैं कि बलात्कार के आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर सजा देनी चाहिए, उन्हें भीड़ के हवाले कर देना चाहिए। तेलंगाना पुलिस के मुठभेड़ के बाद वो कहती हैं, 'देर आए दुरुस्त आए, देर आए बहुत देर आए'। याद रहे कि ये उन्हीं समाजवादी पार्टी के कोटे से सांसद बनी हैं जिसके तत्कालीन अगुआ ने बलात्कार के आरोपियों पर कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उस वक्त सड़क पर अपने नेता की मानसिकता दुरुस्त करने की कोशिश करतीं तो आज शायद संसद में हालात बेहतर होते। संसद भवन में मांग उठ रही है कि बलात्कारियों को सड़क पर सजा दो और यह पूरी भी हो रही है। ताज्जुब है कि संसद में बैठे सांसदों ने जया बच्चन के इस अलोकतांत्रिक मांग की निंदा नहीं की। शर्म-शर्म के कोई नारे नहीं लगे। हां, तेलंगाना में इस मांग के पूरा होते ही कांग्रेस, भाजपा और बहुजन नेताओं के एक से बोल हो गए। सड़क पर कार्रवाई का मतलब संसद और उससे जुड़ी संस्थाओं की नाकामी है क्या इन्हें इस बात का अहसास है?

सांसदों की सड़क पर कार्रवाई की मांग उस पूरे महिला आंदोलन को पीछे की ओर ले जाती है जिसने संसद से घरेलू हिंसा के खिलाफ भी कानून बनवाया। महिला अधिकार आंदोलन दशकों से यह समझ विकसित करने में लगे हैं कि यौन संबंध महिला का निजी मामला है, घर से लेकर बाहर तक जहां जो कुछ हो उसकी सहमति से हो। हमने समाज का वह पिछड़ा दौर भी देखा है जब बलात्कार का पर्याय महिला की इज्जत जाना माना जाता था, आरोपी का मुंह काला करना होता था और महिला को खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया जाता था। महिला अधिकार आंदोलनों की देन है कि इसे अपराध बनाया गया और ऐसे मामलों को पुलिस, अदालत से लेकर जजों के स्तर पर संवेदनशीलता से लेने की शुरुआत हुई।

बलात्कार पितृसत्ता का ऐसा हथियार है जिसके लिए छोटे कपड़े से लेकर मोबाइल फोन तक को जिम्मेदार बताया जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है स्त्री पर वर्चस्व की मानसिकता। बेबीलोन से लेकर रोम तक विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में महिलाओं ने यह दंश झेला है। भारत-पाकिस्तान का बंटवारा विश्व की बड़ी विभीषिकाओं में से एक है। दो देश बंटे और सरहद की लकीरों के बीच नोचा गया औरत का जिस्म। गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर के दंगों में स्त्री-देह को अलग ही सजा दी गई। किसी गांव में कोई कमजोर तबके की लड़की स्कूल जाने लगती है तो रास्ते में उसका बलात्कार किसी यौन सुख के लिए नहीं, सामंती पितृसत्ता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। समाज का परिवेश जितना सामंती होगा, वहां के मर्दों के पास औरत को तोड़ने का यह उतना ही बड़ा हथियार होगा।

आदिकाल से ही महिला शरीर के स्तर पर हिंसा की शिकार है तो सोचिए जब समाज में अर्जित लोकतांत्रिक विमर्शों को भी मार डाला जाएगा तो क्या हश्र होगा। देश की संसद में अनुच्छेद 370 के खत्म होते ही सबसे पहला मौखिक हमला कश्मीरी लड़कियों की अस्मिता पर होता है। क्षेत्र विशेष की गोरी लड़कियों को हासिल करने की तमन्ना कितने अश्लील तरीके से व्यक्त की जाने लगी। संसद के लिए चुने नेता और सड़क पर खड़े एक आम मर्द ने किस मानसिकता के तहत खास क्षेत्र की दुलहन लाने की मांग कर ली। अगर ऐसा करते लोग हमें बलात्कार के छद्म समर्थक नहीं दिखते हैं तो यकीन मानिए हम समस्या की जड़ में हैं। एक तरफ स्कूल से लेकर संसद और सिनेमा तक मर्दानगी उत्सव की तरह है और दूसरी तरफ भीड़ के हवाले करो की हिंसक मांग हमें बहुत पीछे की ओर ले जा रही है।

फांसी की मांग के बाद का सबसे खतरनाक पक्ष यह है कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसके सबूत मिटाए जा रहे हैं, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक। हम अपराध के कारण को समझने के लिए अभी भी तैयार नहीं और न उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए इच्छुक। आज तकनीक कहां से कहां पहुंच गई है। बंगलुरु में बैठा आदमी नासा के साथ मिलकर काम कर सकता है तो क्या हम शिक्षा और तकनीक का समन्वय नहीं कर सकते। जब अंतरिक्ष में उपग्रह हैं तो हम इस ग्रह से लेकर अपने शहर तक की महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। पुलिस का जाल ऐसे फैलाया जाए कि पीड़ित को तुरंत मदद मिले। घर से लेकर स्कूल में मर्दों को सिखाया जाए कि उनका घर या सड़क पर होना किसी महिला के लिए खतरा न हो। सड़क पर न्याय जैसी अलोकतांत्रिक मांग के लिए चीखना बहुत आसान है और घर से बाहर तक महिलाओं के लिए संवेदनशील माहौल बनाना मुश्किल। जब तक आसान राह चुनते रहेंगे, यह समस्या बढ़नी है।

आज देश के कई सांसद अलोकतांत्रिक रवैए के साथ खड़े हैं। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे शब्दों को खारिज और धूमिल कर और कैसा समाज बन सकता है। जब आप लोकतंत्र जैसे जीवंत शब्द का मजाक उड़ाते हैं तो आप स्त्री स्वतंत्रता की भी हत्या करते हैं और बलात्कार के लिए राह तैयार करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरह से महिलाओं को मजबूत करती हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण जेएनयू है। वहां की लड़कियां मांग करती हैं कि हमें देर रात पुस्तकालय में पढ़ने दो, सड़क पर घूमने दो। जेएनयू परिसर में बहुत ज्यादा पुलिस की जरूरत नहीं है लेकिन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ लड़कियां खुश और सुरक्षित हैं। यहां यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जीएसकैश जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसे खत्म कर दिया गया। देश में और भी जगहों को जेएनयू जैसा लोकतांत्रिक बनाने के बजाए खास तबके के द्वारा इकलौते जेएनयू को ही खत्म करने की मांग की गई। पिछले दिनों जेएनयू पर हमले के जरिए जिस तरह इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की छात्राओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई वह हमारे स्त्री विरोधी होते समाज का ज्वलंत उदाहरण है।

अगर हम जेएनयू को खत्म करने की, अपराधियों को सड़क पर सजा देने की, गांधी के हत्यारे के महिमामंडन की मांग कर रहे हैं तो हम अपनी लोकतांत्रिक जमीन को खिसकाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के दरकने का मतलब है कमजोर पर मजबूत का वर्चस्व। वैज्ञानिक, तार्किक और लोकतांत्रिक माहौल को खत्म करने वालों के साथ होकर हम कभी भी बलात्कार के खिलाफ नहीं खड़े हो सकेंगे।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

वजूद की वर्जना

वजूद और विकल्प के लेखन में सत्ता समर के मंच पर जिस नैतिक नृत्य की स्वर लहरियां परोसी गई हैं वह अतीत, वर्तमान और भविष्य का सटीक तुलनात्मक चित्रण है। दांव-पेच से सत्ता प्राप्ति की पौराणिक गाथा इतिहास में सिलसिलेवार ढंग से दर्ज है जबकि आज काल-पथ पर उसके मात्र आयाम बदल गए दिखते हैं। आज जो खेल खेले जा रहे हैं उसके सिर्फ खिलाड़ी बदले हैं, शेष अशेष ही हैं। सिंहासन की चाह में वजूद की रक्षा नहीं हो रही है बल्कि सत्ता के बाजारवादी पोषक तत्त्वों के मुनाफे का सूचकांक वृद्धि की रणनीति ही प्रमुख है। अब जुगाड़ टेक्नोलॉजी ने नैतिकता को शीतनिष्क्रियता में रखकर बचे-खुचे राजनीतिक मूल्यों को बंधक बना लिया है। चूंकि, बिहार देश की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा गया है जहां जिस उदाहरण की चर्चा लेखक ने की है उसकी तात्कालिक घटनाओं के मर्म को स्पर्श करने से स्पष्ट होगा कि यदि आपवादिक रूप में ही सही यदि गठबंधन नहीं बदला जाता तो राज्य एक गंभीर संवैधानिक संकट में फंस जाता। हां, यह भी आकलन सही है कि एक राज्य की घटना अन्य राज्यों के लिए उपयुक्त और सही नहीं हो सकती। कुर्सी के करिश्मे में न कोई अब सिद्धांत बचा न कोई विचारधारा, क्योंकि राजनीति अब सेवा प्रकल्प से हजारों मील दूर जाकर सिर्फ व्यावसायिक व्यसन है। सारांश यही है कि वजूद की वर्जनाएं टूट रही हैं, विकल्प विनाशकारी यात्रा पर है और संकल्प की आत्मा कराह रही है।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

राजनीति में नया अध्याय!

चर्चा चली तो 1977 याद आ गया जब लगने लगा कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया। सामने जनता पार्टी नाम का विशालकाय विकल्प खड़ा था। किसे पता था कि वह इतनी जल्दी बिखर जाएगा। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही थी। 2014 की राजनीतिक सुनामी के निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस थी। पार्टी क्षेत्रीय दलों की बैसाखी पर भी लड़खड़ा रही थी। बिगड़ते हालात के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के निशाने पर कांग्रेस आज भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो विपक्ष का मतलब सिर्फ कांग्रेस, भले ही क्षेत्रीय दल अधिक प्रभावशाली रहे हों। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से उभरे नए संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बेशक कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे छोटा दल है मगर तिकड़ी के सबसे अहम अंग के रूप में देखा जाएगा। खुद वजूद की लड़ाई लड़ रहे गठबंधन के घटक जो एक बेहतर विकल्प देने के हौसले के साथ सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। जहां तक विचारधारा का सवाल है, वह हमेशा से गौण रही है। देश की सबसे शक्तिशाली संस्था होने का दावा करने वाले दल को बेमेल विचारधाराओं के मेल ने ही अजेय बनाया है। आपातकाल के बाद आनन-फानन में बने गठबंधन से जुदा आज एक सुनियोजित विकल्प भारतीय राजनीति में नया अध्याय लिखने के लिए बेताब है।

एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातू।

मतदाताओं की दुर्गति

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की हुई फजीहत पर जोर न देकर भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस, राकांपा की दुर्गति पर विश्लेषण किया है। इन चुनावों में भाजपा, शिवसेना को सत्ता में बैठने का मिला जनादेश भी जब इस गठबंधन ने ठुकरा दिया तब ही से देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे के मतदाताओं व जनता के विश्वास पर कुठाराघात हो गया था। लंबी ऊहापोह के बाद अंततः धुर विरोधियों के मिलन से बनी सरकार ने भी राज्य के सम्माननीय मतदाताओं के विकास के स्वप्न को झकझोर दिया है। जम्मू कश्मीर से विवादास्पद अनुच्छेद 370 एवं धारा 35ए के हटने एवं राम जन्म भूमि प्रकरण का सर्वमान्य हल आ जाने के बाद शायद शिवसेना को ऐसा लगा कि देश में अब हिंदुत्व की अगुआई के लिए मुद्दे जीवंत नहीं बचे हैं, तो शिवसेना ने अपने पितृपुरुष बाल ठाकरे के हिंदुत्ववादी चिंतन को तिलांजलि देकर सोनिया की कांग्रेस व पवार की राकांपा में अपना हित सुरक्षित देखकर उनके दामन से बंधकर सत्ता का ताज अपने सिर पर रख लिया। शिवसेना की फिजूल मांग को दरकिनार कर अलग हुई भाजपा के करतबी प्रयासों के मद्देनजर महाराष्ट्र की जनता के सपनों को पूरा करने के मामले में उद्धव सरकार ने बुलेट रेल परियोजना को रोकने का फैसला किया है। राजग में रहते हुए शिवसेना ने कभी भी इस परियोजना का विरोध नहीं किया था।

-पारस एफ खेमसरा, 205 तिरुपति विहार, सांवेर, इंदौर, मध्य प्रदेश।

राजपाट

जुगाड़ की फिक्र

राजस्थान की कांग्रेस सरकार का एक साल पूरा होने वाला है। लेकिन पार्टी के नेता सत्ता सुख की बंदरबांट नहीं होने से व्याकुल हैं। न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे हैं और न ही मलाईदार पदों पर अभी तक तैनातियां की हैं। बसपा का कांग्रेस में विलय करने वाले आधा दर्जन विधायक भी मंत्री पद के लिए बेचैन हैं। निगम, आयोग और बोर्ड में चाहें तो मुख्यमंत्री कुछ नेताओं को समायोजित कर सकते हैं। पर उनके लिए भी नियुक्तियां आसान कहां हैं। किसी को नहीं करने में ज्यादा सुकून है। करेंगे तो सबका कल्याण तो कर नहीं पाएंगे। यानी जो छूट जाएंगे वे असंतुष्ट हो सकते हैं। वैसे भी सूबे में पार्टी दो धड़ों में बंटी है। एक गहलोत का गुट है तो दूसरा उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का। पार्टी का असंतोष थामने के लिए चर्चा चलती रहती है कि चयन अंतिम दौर में है। जल्द हो जाएंगी नियुक्तियां। ज्यादा मारा-मारी मंत्री के दर्जे वाले पदों के लिए नजर आ रही है। वैसे कोई भी नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री को पार्टी आलाकमान से भी हरी झंडी लेनी पड़ेगी। गहलोत की चूंकि सोनिया गांधी से अच्छी पहचान है सो मंजूरी तो महज औपचारिकता भर होगी। इसी हकीकत को समझते हुए अब पायलट खेमे के कई दावेदार गहलोत की परिक्रमा भी कर रहे हैं। अपनी पुरानी वफादारी का वास्ता देने से लेकर पार्टी के लिए अपने योगदान की याद दिला रहे हैं। रही मंत्रिमंडल के विस्तार की बात तो बसपा से आए आधा दर्जन विधायकों में से तीन को मंत्रिपद की तुरंत दरकार है। यों लाबिंग सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायक भी कम नहीं कर रहे। कई विधायक शुरू में वरिष्ठता के बावजूद मंत्री नहीं बन पाए थे। अब ऐसे नेताओं का धीरज भी चूक रहा है। सरकार ने एक साल के दौरान क्या काम किया और आने वाले दिनों में कौन सी अच्छी योजनाएं लागू की जा सकती हैं, इसकी फिक्र तो कोई कर नहीं रहा पर अपना जुगाड़ कैसे हो, इसी चिंता में दुबला हुआ जा रहा है। धन्य हैं कांग्रेसी।

मराठा चक्रव्यूह

महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार लगातार महारथी साबित हो रहे हैं। भाजपा को यहां मिले जख्म भरने में लंबा वक्त लग सकता है। एक तो यूपी के बाद देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता हाथ से गई। ऊपर से रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से अजित पवार के साथ इश्क कर जो सत्ता हथियाई वह तीन दिन की चांदनी साबित होकर रह गई। इससे जग हंसाई अलग हुई। सबसे पुराने सहयोगी दल शिवसेना से नाता टूटा। अब पार्टी के भीतर भी बगावत के सुर तेज हो गए हैं। एकनाथ खडसे बागी भाजपाइयों के सिरमौर बनकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी में पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे उनके साथ हैं। उन्हें भी पार्टी में अपनी अनदेखी का अंदेशा सता रहा है। विनोद तावडे और एकनाथ खडसे के तो देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में टिकट ही काट दिए थे। पिछले दिनों खडसे ने कहा भी था कि अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला सही नहीं था। एक तरफ तो फडणवीस चुनाव में कहते रहे कि सिंचाई घोटाले में फंसे पवार जेल की चक्की पीसेंगे। दूसरी तरफ सत्ता के लिए उनसे हाथ मिला लिया। अब एक और खुलासा हुआ है। जिससे भाजपा अपने ही बुने जाल में फंस गई है। सिंचाई घोटाले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बंबई हाई कोर्ट को सूचित कर दिया है कि सिंचाई घोटाले में अजित पवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह क्लीन चिट देवेंद्र फडणवीस ने तीन दिन की सत्ता के दौरान खुद दी। इस तरह अब अजीत पवार बेदाग हो जाएंगे और भाजपा मुंह भी न खोल पाएगी। पवार ने फडणवीस को एक तरह से अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब वे बेखटके उपमुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। रही बात भाजपा की तो शरद पवार ने भी नया पैंतरा चला है। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दों पर हुई अपनी बातचीत का कुछ ब्यौरा सार्वजनिक किया है। यही कि उन्होंने पवार को साथ आने का न्योता दिया था। पर वे तैयार नहीं हुए। जो बात अभी पवार ने बताई नहीं वह यह है कि पवार ने फडणवीस की जगह किसी मराठा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। पर भाजपा फडणवीस पर अडिग रही। ब्राह्मण फडणवीस का कार्ड महाराष्ट्र में पवार के मराठा कार्ड के आगे कितना टिक पाएगा, कहना मुश्किल है।

दोधारी तलवार

हरीश रावत का सियासी पैंतरेबाजी में कोई जवाब नहीं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने इन दिनों सूबे में अपना डमरू इस अंदाज में बजाया है कि विपक्षी भाजपा ही नहीं खुद कांग्रेसी भी हैरान और परेशान हैं। जैसे दोधारी तलवार भांज रहे हैं। एक धार से विरोधी भाजपाइयों पर वार कर रहे हैं तो दूसरी धार से अपनी ही पार्टी के अपने विरोधियों के सिर कलम करने पर अमादा हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों हरीश रावत को छेड़ दिया। फरमाया कि गैरसैंण में कुछ विधायकों को ठंड सताती है सो इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे विधायकों में कुछ कांग्रेस के भी हैं। हरीश रावत को मुद्दा मिल गया। फौरन धरने पर बैठ गए। मांग की कि विधानसभा सत्र गैरसैंण में ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने हरीश रावत के धरने की बाबत पूछा तो खिल्ली उड़ाने के अंदाज में बोले कि हरीश रावत मोटे हो गए हैं। लिहाजा उनके लिए उपवास करते रहना जरूरी है। इससे मोटापा तो घटेगा ही, फिटनेस भी आएगी। हरीश रावत चुप रहने वाले कहां थे। तपाक से नहले पर दहला जड़ दिया कि नहाते वक्त अपने बदन को देखा तो वाकई पाया कि वे कुछ मोटे हो गए हैं। लिहाजा अब गैरसैंण के धरने और उपवास के साथ-साथ गन्ना किसानों की मांगों को लेकर देहरादून में भी एक दिन के धरने और उपवास का मन बनाया है। पहले दिन यानी चार दिसंबर को गैरसैंण में उपवास किया और अगले दिन देहरादून में। देहरादून में धरने पर बैठने से पहले पार्टी के भीतर अपने विरोधी गुट के नेताओं को भी फोन कर धरने में आने का न्योता दिया। फिर तो पार्टी के सूबेदार प्रीतम सिंह और विधायक दल की नेता इंदिरा हृदयेश को भी आना पड़ा धरना स्थल पर। इससे पहले गैरसैंण के धरने की बाबत तो इंदिरा हृदयेश ने बहाना बना दिया था कि वे धरने पर आमंत्रित थी ही नहीं। उन्हें तो इसकी सूचना भी अखबारों में छपी खबर से हुई। साफ है कि हरीश रावत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के बावजूद उत्तराखंड की सियासत से सरोकार नहीं छोड़ रहे। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता के जरिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। तभी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कटाक्ष किया है कि हरीश रावत के अभियान से भाजपाई नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता हैं दुखी और परेशान।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

www.readwhere.com

बलात्कारियों को सख्त सजा देने की मांग उठी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

हैदराबाद के बाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी बलात्कार पीड़िता को जलाए जाने की घटना सामने आने की पृष्ठभूमि में लोकसभा में शुक्रवार को एक बार फिर बलात्कार के दोषियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा देने के लिए कानून में संशोधन के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की निगरानी में सांसदों की एक समिति बनाकर विचार करने की मांग उठी। शिवसेना के अरविंद सावंत ने मांग की कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सांसदों की एक समिति इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई पर विचार करे। ऐसे मामले निचली अदालत में नहीं जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए और एक महीने के अंदर फैसला होना चाहिए।

शून्यकाल में इस विषय पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्नाव में कुछ ही दिन पहले जमानत पर छूटे आरोपियों ने बलात्कार पीड़िता को जला दिया और वह अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी इतनी ताकत कैसे जुटा पाते हैं।

उन्होंने कहा कि एक तरफ हैदराबाद में पुलिस ने भागने वाले आरोपियों को मुठभेड़ में मार दिया दूसरी तरफ उप्र में आरोपियों को जमानत मिल जाती है। चौधरी ने छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी का जिक्र करते हुए कहा, 'आज एक तरफ हम राम मंदिर बनाने वाले हैं दूसरे तरफ देश में 'सीताएं' जलाई जा रही हैं।' उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं या 'अधर्म प्रदेश' बना रहे हैं।

भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने हैदराबाद में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में भाग रहे आरोपियों को मारे जाने की घटना पर कहा कि अगर कोई पुलिस से भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस को हथियार केवल सजाने के लिए नहीं मिले हैं, वह उनका इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि उन्नाव कांड में एसआइटी का गठन कर दिया गया है, वहीं हैदराबाद मामले में भी कार्रवाई हो रही है।

पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार लोगों का कल होगा बेहतर : मोदी

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वादों की राजनीति के बजाय कामकाज की राजनीति की तरफ ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार हो रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने से बेहतर कल सुनिश्चित होगा।

प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में नागरिकता संशोधन विधेयक के संदर्भ में कहा कि पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवार जिन्हें भारत में आस्था थी, जब इनकी नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो उससे उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। हालांकि, कई विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर-मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। ऐसी संभावना है कि इसे संसद के चालू सत्र में सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या फैसले के बाद देश के लोगों ने सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। हमें याद रखना होगा कि राम जन्मभूमि का फैसला आने से पहले न जाने क्या-क्या आशंकाएं जताई जा रही थी। सुबह फैसला आया और शाम होते-होते देश के लोगों ने सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। इसके पीछे का भाव बेहतर कल का भाव था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किल भले लगता हो, लेकिन इसने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास की नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि मुसलिम बहनों को तीन तलाक के दंश से मुक्ति मिलने से देश के लाखों परिवारों को बेहतर कल का अहसास मिला है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर जो फैसला हुआ है, उसने यहां के 40 लाख लोगों के बेहतर भविष्य का रास्ता पक्का किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ऐसे फैसले हैं, जो अतीत की विरासत हैं, लेकिन नए भारत की खातिर उन्हें टाला नहीं जा सकता, उनसे बचा नहीं जा सकता।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सहित प्रदेश के लोगों ने जताई खुशी

भोपाल, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद के सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों के शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के लोगों ने खुशी जताई है। चौहान ने अपने मुख्यमंत्री काल में बलात्कारियों के लिए मध्य प्रदेश में फांसी की सजा का प्रावधान किया था।

चौहान ने ट्विटर पर लिखा, 'हैदराबाद में नरपिशाचों को उनके पाप की सजा मिली। पूरे देश को बड़ा सुकून मिला। दुष्टों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'जो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि न्याय जल्दी मिल गया। दिशा को न्याय मिला।'

चौहान ने आगे लिखा, 'हमने तो मध्यप्रदेश में बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया, लेकिन लोअर कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दया याचिका के कारण न्याय विलंबित होता है। जब न्याय विलंबित होता है, तो डर खत्म हो जाता है। इसलिए न्याय तुरंत होना चाहिए।' वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया, 'मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश में बलात्कार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और अदालती प्रक्रिया के निर्णय देर से होते हैं, हैदराबाद में बलात्कारियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने से अपराधों पर लगाम लगेगी।'

मुठभेड़ जनाक्रोश का परिणाम : रूपाणी

अहमदाबाद, 6 दिसंबर (भाषा)।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि हैदराबाद बलात्कार और हत्या मामले के चार आरोपियों का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना इस नृशंस अपराध के खिलाफ जनाक्रोश का परिणाम है। रूपाणी ने कहा कि पशु चिकित्सक के साथ हुई घटना से व्यापक स्तर पर जनाक्रोश व्याप्त हो गया।

उन्होंने तापी जिले के सोनगढ़ में कहा, 'लोगों के अंदर यह भावना है कि अमानवीय अपराध करने वालों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।'

मोदी-आबे वार्षिक शिखर सम्मेलन 15-17 दिसंबर को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के उनके समकक्ष शिजो आबे के बीच वार्षिक बैठक 15-17 दिसंबर के बीच होगी। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल की घोषणा नहीं की। जानकारों के मुताबिक, गुवाहाटी में यह सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी चल रही है।

प्याज के दाम कुछ जगहों पर 165 रुपए किलो तक पहुंचे

पेज 1 का बाकी

तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर प्याज का भाव 140 रुपए किलो था जबकि भुवनेश्वर और कटक (ओड़ीशा) में कीमत 130 रुपए किलो, गुड़गांव (हरियाणा) और मेरठ (उत्तर प्रदेश) में कीमत 120 रुपए किलो और देश के अधिकांश शहरों में कीमत 100 रुपए किलो रही।

उपभोक्ता मामलों मंत्रालय में राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, 'इस बात में कोई शक नहीं कि प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। प्याज की कमी का मुख्य कारण बरसात की वजह से प्याज फसल को होने वाला नुकसान है। देश के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में प्याज की अधिकांश फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि सरकार ने अपने बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति की है और सरकारी व्यापार एजेंसी एमएमटीसी को प्याज का आयात करने को कहा है जो 20 जनवरी तक पहुंचना चाहिए।'

आरोपियों ने परिजनों को दी धमकी

पेज 1 का बाकी

अपने परिवार के साथ गंगाघाट थाना इलाके में किराए के मकान में रहकर एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना और परिवार का पेट पाल रहे हैं। पीड़िता के चाचा के मुताबिक उसे सुबह आरोपित शिवम के फूफा ने फोन करके धमकी दी है कि दुकान जला देंगे और जीने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि वह पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि धमकी के बारे में सूचना मिली है कि पीड़िता के एक रिश्तेदार को धमकी दी गई है। हम उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहे हैं और इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं की जाएगी।

पीड़िता की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखा गया

पेज 1 का बाकी

भर्ती कराया गया था। अस्पताल में 'बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी' विभाग के प्रमुख डॉ. शलभ कुमार ने कहा, 'मरीज की हालत बहुत गंभीर है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है।' उन्होंने बताया कि पीड़िता के महत्त्वपूर्ण अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

दिल्ली यातायात पुलिस ने पीड़िता को बिना वक्त गंवाए एंबुलेंस से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हवाई अड्डे से अस्पताल तक 'ग्रीन कॉरीडोर' बनाया था। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता ने कहा, 'हमने मरीज के लिए अलग आइसीयू कक्ष बनाया है।

चिकित्सकों का एक दल उसकी हालत पर लगातार नजर रख रहा है।' पुलिस ने बताया कि बलात्कार पीड़िता जब अदालत जा रही थी, तभी बलात्कार के दो आरोपियों समेत पांच लोगों ने उसे कथित रूप से आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान पीड़िता 90 प्रतिशत तक झुलस गई।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज समेत सात पर मामला

पेज 1 का बाकी

केंद्र ने मई 2017 में मानक स्तर की सुविधाएं न होने और जरूरी मानदंड पूरे न करने की वजह से छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया था। इसके साथ 46 अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी समान आधार पर दाखिला देने से रोक दिया गया था। ट्रस्ट ने केंद्र के फैसले को एक रिट याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

प्राथमिकी में नामजद लोगों ने बाद में साजिश रची और न्यायालय की अनुमति से याचिका को वापस ले लिया। फिर 24 अगस्त 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में एक अन्य याचिका दायर की गई।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति शुक्ला की भी भागीदारी वाली खंडपीठ ने 25 अगस्त 2017 को याचिका पर सुनवाई की और उसी दिन ट्रस्ट की पसंद का आदेश पारित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि पसंदीदा आदेश पाने के लिए प्राथमिकी में नामजद आरोपियों में से एक को ट्रस्ट ने कथित तौर पर रिश्वत दी।

सीबीआइ ने एक बयान में कहा, 'शुक्रवार को लखनऊ और दिल्ली में आरोपियों के आवास परिसरों पर छापेमारी की गई है, जिसमें अब तक निवेश और वित्तीय लेन-देन आदि सहित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं।' अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एजंसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद शुक्रवार सुबह छापेमारी शुरू की गई। आठ स्थानों पर छापेमारी की गई।

जांच एजंसी को इस साल के शुरू में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखने के बाद मामला दर्ज करने की अनुमति मिली। इस पत्र में एजंसी ने कहा था कि उसने तत्कालीन पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जिनके संज्ञान में संबंधित न्यायाधीश के कदाचार का मामला लाया गया था, के निर्देश पर न्यायाधीश और अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की थी।

निर्भया के दादा बोले, मेरे परिवार को सुकून मिला

पेज 1 का बाकी

पर रोकथाम लगेगी। निर्भया के दादा ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई काबिले तारीफ है और उनके परिवार को इस कदम से सुकून मिला है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से हैवानियत की घटनाओं की बाढ़ आ गई है और दरिंदगी करने वाले जिस तरह से कानून की जटिलता का लाभ उठा रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसे ही कदम की आवश्यकता है।

गोष्ठी में वक्ताओं ने राय जाहिर की

'हर दौर में पत्रकारिता का दमन किया गया'

अयोध्या 6 दिसंबर (जनसत्ता)।

यहां जनसत्ता प्रेस क्लब सभागार में 'सत्ता संस्कृति और पत्रकारिता' विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक हर शासन में पत्रकारिता का दमन किया गया। ऐसी कोई सत्ता नहीं रही जिसमें पत्रकारिता को दबाया नहीं गया हो। स्थानीय एक हिंदी दैनिक अखबार की स्थापना के 62 साल पूरे होने पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लाई गई आपातकाल की बात करते हुए इशारा किया कि आज भी वैसी ही स्थिति है।

गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि सत्ता और सरकार अलग-अलग चीज है लेकिन अब दोनों को एक बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता पर संकट है पर उस संकट के समाधान के लिए पत्रकारिता को अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। आज सड़क पर चलकर खबर खोजने वाला पत्रकार नहीं माना जाता है बल्कि टीवी एंकर को असली पत्रकार माना जाता है। किसी विषय की डिबेट में पता ही नहीं चलता कि एंकर पत्रकार है या किसी पार्टी का प्रवक्ता।

गोष्ठी में जनसंदेश टाइम्स के प्रधान संपादक सुभाष राय ने कहा कि आज सत्ता किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी की पत्रकारिता सच उजागर करने के बजाए दोषी से लेनदेन का सौदा कर रही है। दूसरी ओर आज सत्ता के लोग देश के नागरिकों को बांटने का काम कर रहे हैं।

बीबीसी के संवाददाता रहे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी ने कहा कि अब पत्रकारिता बदल गई है। आज की पीढ़ी सामाजिक सरोकार के बजाए धन लाभ के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज संपादक का कोई मतलब नहीं रह गया है। पूंजी पत्रकारिता का इस्तेमाल कर रही है जबकि पत्रकारिता एकपक्षीय नहीं संतुलित होनी चाहिए। त्रिपाठी ने कहा कि सत्ता का मतलब जंगलराज नहीं कानून का शासन होता है। उन्होंने जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि नागरिक समाज की ही देन रही है कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा की सरकार नहीं रह पाई। संगोष्ठी को पूर्व विधायक जय शंकर पांडे, कम्युनिस्ट नेता सूर्यकांत पांडे, पत्रकार बीएन दास, इंदु भूषण पांडे, डॉ. सुमन गुप्ता व कृष्ण प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया।

पोक्सो के अभियुक्त को नहीं मिले दया याचिका का अधिकार : कोविंद

पेज 1 का बाकी

महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे।

महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के जो अभियुक्त होते हैं, उन्हें संविधान में दया याचिका का अधिकार दिया गया है। मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए।

उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत आने वाली घटनाओं में उनको (अभियुक्तों को) दया याचिका के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। इस बारे में कोई कदम संसद को उठाना है। अब यह सब हमारी संसद पर निर्भर करता है। उसमें एक संविधान है और उसमें संशोधन, लेकिन उस दिशा में हम सब की सोच आगे बढ़ रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदातें देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती हैं। लड़कों में 'महिलाओं के प्रति सम्मान' की भावना मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता-पिता की है।

पुलिस ने चारों आरोपियों को मार गिराया

पेज 1 का बाकी

गोलीबारी की जब दो आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से हथियार छीनकर पुलिस पर गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा कि आरोपियों में शामिल मोहम्मद आरिफ ने सबसे पहले गोलियां चलाईं। वहीं, आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर गई पुलिस टीम पर पत्थर एवं अन्य चीजों से भी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में संयम बरता और आरोपियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहने के बाद गोली चलाई। उन्होंने कहा कि छीने गए हथियार 'अनलॉक' थे।

उन्होंने कहा कि गोलीबारी की जब घटना हुई उस समय आरोपियों को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी और यह घटना आज सुबह पौने छह बजे से सवा छह बजे के बीच हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस के एक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल को सिर में चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है।

उन्होंने कहा, 'हालांकि हमारे अधिकारियों ने संयम बरता और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, आरोपियों ने बात सुनने के बजाय गोलीबारी जारी रखी और हमला किया... हमारे कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। उस जवाबी कार्रवाई में चार आरोपी मारे गए।' आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर पर कुछ लोगों ने खुशी जताई जबकि कुछ लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की।

हैदराबाद बलात्कार एवं हत्याकांड की शिकार महिला को 'दिशा' नाम दिया गया है जबकि दिल्ली में बलात्कार पीड़िता युवती को 'निर्भया' नाम दिया गया था। लोगों ने पशु चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की और नारे लगाए कि न्याय हो गया है। कुछ ने 'तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद' के नारे भी लगाए। लोगों ने पुलिसकर्मियों को मिठाइयां बांटी और कुछ ने मुठभेड़ स्थल और हैदराबाद के अन्य हिस्सों में पटाखे छोड़कर जश्न मनाया और पुलिस को बधाई दी।

शहर के एक निवासी ने कहा, 'इससे दिशा की आत्मा को शांति मिली है और परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने (पुलिस) एक मुठभेड़ को अंजाम दिया है और हम वास्तव में खुश हैं। इससे ऐसे अपराध करने वालों में भय उत्पन्न होगा... पुलिस ने एक अच्छा काम किया है।' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस घटना पर संज्ञान लिया और जांच का आदेश दिया। आयोग ने एक बयान में कहा कि मुठभेड़ चिंता का विषय है और इसकी सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की जरूरत है।

सज्जनर ने पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि पुलिस टीम आरोपियों को उनके बयान के आधार पर सेलफोन और अन्य चीजें बरामद करने के लिए उस स्थान पर लेकर गई थी। उन्होंने कहा, 'सभी चार आरोपी एकजुट हो गए और पुलिस दल पर पत्थर एवं अन्य चीजों से हमला करने लगे। उनमें से दो ने हमारे दो अधिकारियों से हथियार भी छीन लिए और गोलीबारी करने लगे।' एक चिकित्सकीय टीम मौके पर पहुंची और चिकित्सकों ने संवाददाताओं से कहा कि पास के महबूबनगर जिले में पोस्टमार्टम किया जाएगा।

कठुआ बलात्कार पीड़िता के परिवार ने जताई खुशी

पेज 1 का बाकी

के पिता मोहम्मद अख्तर ने जम्मू से से फोन पर बताया कि अगर ये लोग अपराधी थे तो मुझे लगता है कि पीड़िता और उसके परिवार के साथ न्याय हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए वे मौत के हकदार थे और कम से कम उस परिवार को अभियुक्तों के बरी होने का डर तो नहीं होगा।

अख्तर ने कहा कि मेरी बेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पठानकोट (पंजाब) की एक अदालत में चला गया और लंबे मुकदमे के बाद मुख्य अभियुक्तों में से एक को रिहा कर दिया गया। एक अन्य जिसे किशोर बताया जा रहा है उस पर मुकदमा चल रहा है।

सोशल मीडिया पर कहीं समर्थन तो कहीं सवाल

पेज 1 का बाकी

साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान 'जस्टिस फॉर दिशा', 'एनकाउंटर' और 'हैदाराबाद हॉरर' जैसे हैशटैग ट्रेंड करना शुरू हो गए। कई लोगों ने दूसरी बार न्याय दिलाने वाले पुलिस अधिकारी सज्जनर को धन्यवाद देते हुए जश्न मनाया। गौरतलब है कि 2008 में जब सज्जनर वारंगल में पुलिस अधीक्षक थे तो उन्होंने तेजाब हमले में गिरफ्तार तीन युवकों को अगले ही दिन गोली मारकर ढेर कर दिया था।

एक ट्विटर उपभोक्ता ने लिखा, '2008 : वारंगल तेजाब हमले के अपराधियों की मुठभेड़ में मौत। 2019 : हैदराबाद में दिशा मामले के अपराधियों की मुठभेड़ में मौत। नाम : वीसी सज्जनर। काम : न्याय दिलाना।' गौरतलब है कि ट्विटर पर इस घटना की चर्चा के दौरान ह्यूमन राइट्स (मानवाधिकार) हैशटैग भी ट्रेंड पर रहा और दोपहर देर तक 20 हजार से अधिक लोग इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर चुके थे। अधिकतर लोगों ने कहा कि बलात्कारियों के लिए मानवाधिकारों का कोई मतलब नहीं है।

एक उपभोक्ता ने लिखा, 'जब आतंकवादियों और माओवादियों को बिना अदालती सुनवाई के मौत के घाट उतार दिया जाता है तो बलात्कारियों को क्यों बख्शा जाए।' एक अन्य उपभोक्ता ने ट्वीट किया, 'मानवाधिकार केवल मनुष्यों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं। बलात्कारी राक्षसों के समान हैं। उन्हें मुठभेड़ में मार गिराना चाहिए।' इस दौरान कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते दिखे।

वकील-कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर ने फेसबुक पर लिखा, 'भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि मुठभेड़ के हर मामले में पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जानी जरूरी है। इस मुठभेड़ की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो।' वहीं महिला अधिकार कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने ट्विटर और फेसबुक पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ का बयान साझा किया, 'हैदराबाद फर्जी मुठभेड़ : हमारे नाम पर हिरासत में हत्याएं न की जाएं।' बयान में कहा गया है कि इसमें हिरासत में की गई हत्या के संकेत मिले हैं, जिसे पूरी तरह से मुठभेड़ का रूप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी ने पूछा कि क्या चारों व्यक्ति मासूम हैं? अगर हैं, तो असली अपराधियों का क्या? उन्होंने लिखा, 'अब कोई यह नहीं जान पाएगा कि पुलिस ने जिन चार लोगों को मार गिराया वे मासूम थे या नहीं, क्या कार्रवाई दिखाने के लिए उन्हें जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया।

जहां अपराध किया, वहीं हुआ खात्मा

पेज 1 का बाकी

शव जिनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी, उनके शव उस जगह से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर पड़े थे, जहां पर कथित तौर पर उन्होंने एक हफ्ते पहले महिला पशु चिकित्सक से दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव जला दिया था। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के लिए जहां पर शव पड़े थे, उसके एक ओर कुछ दूरी पर धान और टमाटर के खेत और हैदराबाद-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग था, जबकि दूसरी ओर उसर जमीन थी और घटनास्थल पर मीडियाकर्मियों और तमाशबीनों का जमावड़ा था।

हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में मीडिया कर्मी पहुंचे तो उनका स्वागत ' अपराध स्थल को पार नहीं करें' की चेतावनी से हुआ और उन्हें दूर से घटनास्थल को देखने की अनुमति दी गई। तमाशबीन राजमार्ग पर एकत्र हो गए जिनमें से कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की प्रशंसा करते हुए नारे लगा रहे थे, कुछ लोगों ने दुष्कर्म पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए उस स्थान पर फूल चढ़ाए जहां पर 28 नवंबर को उसका शव मिला था।

सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर स्थित मुठभेड़ स्थल पहुंच रहे थे और पुलिस को बधाई देने के साथ 'तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद' एवं 'हमें न्याय मिला' के नारे लगा रहे थे।

मुठभेड़ पर बंटे पुलिस अधिकारी

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद की पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार एवं उसकी हत्या मामले के चार आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराने की घटना को शुक्रवार को जहां कई मौजूदा और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने सही ठहराया है, वहीं कुछ ने इसकी निंदा की।

कर्नाटक में बंगलुरु के पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने मुठभेड़ का बचाव करते हुए इसे सही और वक्त पर की गई कार्रवाई करार दिया। राव ने कहा कि यदि आरोपी हिरासत से फरार हो जाते तो पुलिस पर बेहद दबाव बढ़ जाता। आइपीजी और बंगलुरु नगर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) निंबलकर ने कहा, ' सोशल मीडिया थोड़ा सब्र करो! बलात्कार का अपराध और आज की मुठभेड़ दो अलग अलग तथ्य हैं। '

उन्नाव मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआइटी बनाई

पेज 1 का बाकी

पांच लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। घटना में शामिल सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि युवती ने शिवम और शुभम नामक युवकों पर 12 दिसंबर 2018 को बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था।

युवती मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में रायबरेली रवाना होने के लिए सुबह करीब चार बजे बैसवारा रेलवे स्टेशन जा रही थी।

हैदराबाद मुठभेड़ की तर्ज पर न्याय की मांग की

उन्नाव, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में पशु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या मामले के चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने से उन्नाव के बलात्कार पीड़ित उस युवती के परिजनों को राहत मिली है जिसे गुरुवार तड़के पांच लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। बलात्कार पीड़िता जब अदालत जा रही थी, तभी बलात्कार के दो आरोपियों समेत पांच लोगों ने उसे कथित रूप से आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान पीड़िता 90 फीसद तक झुलस गई। उसके परिजन बेटी को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले आरोपियों के लिए भी इसी तरह की सजा चाहते हैं।

बिहार थाना इलाके के ग्रामीणों को हैदराबाद मामले के आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी मिली, सभी ने इसे सही बताया। उन्नाव पीड़िता के पिता और चाचा ने कहा कि इसी तरह का न्याय हमें भी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों में डर बैठेगा नहीं तो आज हमारे साथ हुआ, कल किसी दूसरे के साथ होगा और फिर किसी और के साथ, ऐसे इस तरह की घटनाओं का सिलसिला चलता रहेगा।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

ईरान सरकार ने की एक हजार से अधिक हत्या

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लगाया गंभीर आरोप

वाशिंगटन, 6 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि पिछले महीने ईरान में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई में ईरान सरकार ने संभवतः 1000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या की है।

विदेश मंत्रालय के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, 'ईरान की मौजूदा स्थिति देखते हुए यह संभव है कि प्रदर्शन शुरू होने से लेकर अब तक ईरानी सरकार की कार्रवाई में संभवतः 1000 से अधिक ईरानी नागरिकों की हत्या हो सकती है।' सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद 15 नवंबर से ईरान में

प्रदर्शनों में हजारों ईरानी नागरिक घायल हो गए हैं और कम से कम 7000 प्रदर्शनकारी हिरासत में है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि ईरान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और विदेश मंत्रालय इस पर संज्ञान लेते हुए इसकी जानकारी कांग्रेस को देगा।

विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया।

हुक ने कहा कि अमेरिका को किसी साइट से 32000 वीडियो फुटेज मिले हैं जो ईरान सरकार की बर्बरता का खुलासा करते हैं। विदेश मंत्रालय इसमें हर फुटेज की जांच कर रहा है।

किसी फुटेज का हवाला देते हुए हुक ने कहा कि दक्षिण पश्चिमी ईरान के शहर मशहर में प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क अवरुद्ध करने पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी सुरक्षा बलों ने बिना चेतावनी दिए प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों में हजारों ईरानी नागरिक घायल हो गए हैं और कम से कम 7000 प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि ईरान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और विदेश मंत्रालय इस पर संज्ञान लेते हुए इसकी जानकारी कांग्रेस को देगा।

अमेरिका में उबर को यौन उत्पीड़न की करीब छह हजार शिकायतें मिलीं

सैन फ्रांसिस्को, 6 दिसंबर (एएफपी)।

अमेरिका में 2017 और 2018 के बीच उबर को यौन उत्पीड़न की करीब 6,000 शिकायतें मिली है, जिनमें से 450 से अधिक मामले बलात्कार के हैं। यह पहली बार है जब उबर ने इस तरह के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें दो वर्ष में कंपनी से जुड़े 19 जानलेवा मामलों का भी खुलासा हुआ है। उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों के कारण उबर और उसकी प्रतिद्वंद्वी 'लिफ्ट' पर लगातार इनसे निपटने का दबाव बनाया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'उबर ने 2017 से 2018 के बीच पांच सबसे गंभीर श्रेणी के यौन उत्पीड़न मामलों में 16 फीसद गिरावट देखी। सभी पांच श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई है।' उबर की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में जानलेवा शारीरिक उत्पीड़न के 10 और 2018 में नौ मामले सामने आए। उबर ने कहा कि मारे गए लोगों में आठ सवारियां, सात चालक और चार तीसरे पक्ष यानी आसपास के लोग थे।

चीन में पटाखा कारखाने में विस्फोट से सात मरे

बेजिंग, 6 दिसंबर (एपी)।

चीन के हुनान प्रांत में पटाखा बनाने वाले एक कारखाने में हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। लिउयांग शहर की सरकार ने कहा कि विस्फोट बुधवार सुबह अवैध पटाखा निर्माण के चलते हुआ।

ऐसी दुर्घटनाएं आम हैं। विशेष तौर पर ऐसी दुर्घटनाएं चंद्र नववर्ष से पहले होती हैं जो 25 जनवरी को पड़ता है। सरकार ने कहा कि कारखाना प्रबंधकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है तथा घटना की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है।

ईरान में गैस पाइप में विस्फोट से 11 लोगों की मौत

तेहरान, 6 दिसंबर (एपी)।

पश्चिमी ईरान में शादी समारोह के दौरान गैस पाइप में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हो गए। देश के सरकारी टीवी ने शुक्रवार को बताया कि राजधानी तेहरान से करीब 450 किलोमीटर दूर कुर्द बहुल शहर सकेज में विस्फोट में मारे जाने वालों में पांच बच्चे और पांच महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में तीन की स्थिति गंभीर है। टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी हॉल के भीतर हीटर से जुड़ी पाइप में रिसाव होने से यह धमाका हुआ।

सरकार ने पश्चिमी कुर्दिस्तान प्रांत में एक दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की है। पुराने पड़ चुके उपकरणों और आपात सेवाओं की समुचित सुविधाओं के अभाव में ईरान में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। 2005 में मध्य तेहरान में एक मस्जिद में नमाज अदा करने के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हो गए थे।

अमेरिकी नौसैनिक अड्डे में गोलीबारी करने वाले को मार गिराया

मियामी, 6 दिसंबर (एएफपी)।

अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में शुक्रवार को एक शूटर ने नौसेना के अड्डे में घुसकर गोलीबारी की। हमलावर को जवाबी कार्रवाई में मार गिराया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। एसकैम्बिया काउंटी के शैरिफ कार्यालय ने ट्विटर पर एक संदेश में कहा कि पेनसाकोला में स्थित नौसेना अड्डे में अब कोई सक्रिय शूटर नहीं है। शूटर की मौत की पुष्टि हो गई है।

डाकघर का नाम दिवंगत सिख अधिकारी के नाम पर रखने का विधेयक पेश

ह्यूस्टन, 6 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक लाया गया है जिसमें ह्यूस्टन के एक डाक घर का नाम दिवंगत भारतीय-अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है।

धालीवाल (42) हैरिस काउंटी में शेरिफ के मातहत काम करने वाले पहले सिख अधिकारी थे जिन्हें सिख धर्म की परंपरानुसार दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने की इजाजत दी गई थी।

ह्यूस्टन के उत्तर पश्चिम में 27 सितंबर को धालीवाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वह ड्यूटी पर थे। सांसद लिजी फ्लेचर ने यह विधेयक पेश किया। इसमें 315 एडिक्स हॉवेल रोड पर स्थित डाक घर का नाम 'डिप्टी संदीप सिंह धालीवाल पोस्ट ऑफिस' रखने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा, 'डिप्टी धालीवाल ने समुदाय का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने सेवा के दौरान समानता, संपर्क और समुदाय के लिए काम किया।' उन्होंने कहा कि डाक घर का नाम धालीवाल के नाम पर रखने से यह उनकी सेवा और उनके बलिदान तथा हमारे लिए उनकी मिसाल को हमेशा याद दिलाता रहेगा।

हैरिस काउंटी के शेरिफ एड गोंजालेज ने कहा, 'डिप्टी धालीवाल हमारे कार्यालय और उस समुदाय के एक समर्पित सदस्य हैं जिसने पूरी अखंडता के साथ सेवा दी है। उनकी इस सेवा और बलिदान का सम्मान देने की खातिर यह विधेयक लाने के लिए सांसद फ्लेचर का आभार।'

पिछले महीने ह्यूस्टन पुलिस विभाग ने एक घोषणा की थी। पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को उनके धार्मिक चिह्नों को पहनने की इजाजत देने वाली नीति की घोषणा की थी। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाली टेक्सास की सबसे बड़ी कानून प्रवर्तन एजंसी बन गई थी।

तीन नेशनल गार्ड की मौत

सेंट क्लॉउड (मिनेसोटा) 6 दिसंबर (एपी)।

'ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर' के गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी तीन नेशनल गार्ड सैनिकों की मौत हो गई। गवर्नर टिम वाल्ज ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। हादसे की जांच जारी है और घटना के कारणों की जानकारी भी अभी नहीं दी गई है। मिनेसोटा नेशनल गार्ड ने बताया कि 'ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर' गुरुवार को मध्य मिनेसोटा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें चालक दल के तीन सदस्य सवार थे।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय : आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा
मयूर विहार फेज-II, पॉकेट 'ई' कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110091
ई-मेल: bo8075@pnb.co.in, दूरभाष सं. : 011-22779758, 22785289

कर्जदार/जमानती(यों)/गैर-समूह कॉर्पोरेट जमानती(यों)/समूह कॉर्पोरेट जमानती(यों) के लिए कारण बताओ सूचना

दिनांक : 06.12.2019

सेवा में,
मैसर्स कालिका एन्टरप्राइजेज-प्रोपराइटर सुश्री मेघा कालरा, जी-285, भूतल, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
सुश्री मेघा कालरा, जी-285, भूतल, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
श्रीमान,

विषय : बैंक के साथ मैसर्स कालिका एन्टरप्राइजेज के ऋण खाते में ''इरादतन'' चूक की पहचान-परिणामतः आपके नाम/नामों को ''इरादतन चूककर्ताओं'' के रूप में प्रकटित तथा प्रकाशित करना।

कृपया हमारी सूचना दिनांक 26.09.2019 का सन्दर्भ लें जिसमें हमने ऋण खाते में जानबूझकर चूक की घटना(एँ) संकेतित की थीं। मामले के तथ्यों को इरादतन चूककर्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने मामले के तथ्यों, अभिलेखित प्रमाणों तथा आपके प्रतिनिधानों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात पाया कि आपके द्वारा इरादतन चूक की घटनाएँ उपस्थित हुई हैं।

तदनुसार बैंक द्वारा संस्थापित ''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' ने निम्नलिखित कारणों के साथ-साथ ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में आप (कर्जदार) तथा निदेशकों/साझेदारों/आदि को इरादतन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चूक की पहचान की है :

➢ **निधियों की साइफनिंग**: विक्रय की कार्यवाहियाँ खाते के माध्यम से नहीं की गयी हैं। 2013-14 के दौरान क्रेडिट समेशन मात्र रु. 0.32 करोड़ हैं।

यदि आप ''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय से शिकायत रखते हैं तो यदि आप चाहें तो 'इरादतन चूककर्ताओं की समिति' के पास प्रस्तुत हो सकते/प्रतिनिधान कर सकते हैं और कारण बता सकते हैं कि आपको ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। आपकी प्रस्तुति/प्रतिनिधान इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुँच जानी चाहिए और इसे हमारे डाक के पते अर्थात महाप्रबन्धक, सस्त्र डिवीजन, तीसरी मंजिल, पंजाब नैशनल बैंक, मुख्य कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पर भेजा जाये।

यदि हमें आपकी कोई प्रस्तुति/प्रतिनिधान नहीं प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं है (''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय के विरुद्ध) और बैंक आपके नाम अथवा आपकी कम्पनी/फर्म/इकाई तथा आपके निदेशक/कों/साझेदार/रों/प्रोपराइटर के नाम(मों) को आरबीआई/सिबिल/अन्य साख सूचना कम्पनियों को ऐसे माध्यम से जैसा बैंक अपने निरपेक्ष विशेषाधिकार से उचित समझे, ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में प्रकाशित करेगा।

आपका विश्वासपात्र
कृते पंजाब नैशनल बैंक
सहायक महाप्रबन्धक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय : आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा
मयूर विहार फेज-II, पॉकेट 'ई' कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110091
ई-मेल: bo8075@pnb.co.in, दूरभाष सं. : 011-22779758, 22785289

कर्जदार/जमानती(यों)/गैर-समूह कॉर्पोरेट जमानती(यों)/समूह कॉर्पोरेट जमानती(यों) के लिए कारण बताओ सूचना

दिनांक : 06.12.2019

सेवा में,
मैसर्स विजन इंजीनियरिंग, जी-338, प्रीत विहार, दिल्ली-110092, एम-181, सेक्टर-3, बवाना इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली सुश्री मोनिका बब्बर, जी-338, प्रीत विहार, दिल्ली-110092, एम-181, सेक्टर-3, बवाना इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली
श्रीमान,

विषय : बैंक के साथ मैसर्स विजन इंजीनियरिंग के ऋण खाते में ''इरादतन'' चूक की पहचान-परिणामतः आपके नाम/नामों को ''इरादतन चूककर्ताओं'' के रूप में प्रकटित तथा प्रकाशित करना।

कृपया हमारी सूचना दिनांक 26.09.2019 का सन्दर्भ लें जिसमें हमने ऋण खाते में जानबूझकर चूक की घटना(एँ) संकेतित की थीं। मामले के तथ्यों को इरादतन चूककर्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने मामले के तथ्यों, अभिलेखित प्रमाणों तथा आपके प्रतिनिधानों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात पाया कि आपके द्वारा इरादतन चूक की घटनाएँ उपस्थित हुई हैं।

तदनुसार बैंक द्वारा संस्थापित ''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' ने निम्नलिखित कारणों के साथ-साथ ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में आप (कर्जदार) तथा निदेशकों/साझेदारों/आदि को इरादतन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चूक की पहचान की है :

➢ **निधियों की साइफनिंग** : निधियों को डाइवर्ट किया गया और खाते में विशेष जाँच प्रतिवेदन पहले से ही जेडएओ तथा सीओ उत्तरी दिल्ली के पास जमा किये गये हैं। विक्रय की प्रक्रियाएँ खाते के माध्यम से नहीं की गयीं और ब्याज सेवाकृत नहीं किये गये।

यदि आप ''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय से शिकायत रखते हैं तो यदि आप चाहें तो 'इरादतन चूककर्ताओं की समिति' के पास प्रस्तुत हो सकते/प्रतिनिधान कर सकते हैं और कारण बता सकते हैं कि आपको ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। आपकी प्रस्तुति/प्रतिनिधान इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुँच जानी चाहिए और इसे हमारे डाक के पते अर्थात महाप्रबन्धक, सस्त्र डिवीजन, तीसरी मंजिल, पंजाब नैशनल बैंक, मुख्य कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पर भेजा जाये।

यदि हमें आपकी कोई प्रस्तुति/प्रतिनिधान नहीं प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं है (''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय के विरुद्ध) और बैंक आपके नाम अथवा आपकी कम्पनी/फर्म/इकाई तथा आपके निदेशक/कों/साझेदार/रों/प्रोपराइटर के नाम(मों) को आरबीआई/सिबिल/अन्य साख सूचना कम्पनियों को ऐसे माध्यम से जैसा बैंक अपने निरपेक्ष विशेषाधिकार से उचित समझे, ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में प्रकाशित करेगा।

आपका विश्वासपात्र
कृते पंजाब नैशनल बैंक
सहायक महाप्रबन्धक

अनुसूची I
फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 14 के अंतर्गत (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017)

एलवीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों के ध्यानार्थ

1.	कॉरपोरेट व्यक्ति का नाम	एलवीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉरपोरेट व्यक्ति के शामिल होने की तिथि	24 सितम्बर, 2014
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति शामिल/पंजीकृत है	कंपनियों के रजिस्ट्रार, एनसीटी के दिल्ली और हरियाणा,
4.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉरपोरेट पहचान संख्या	U15423HR2014PTC053444
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का रजिस्टर्ड कार्यालय और प्रिंसिपल कार्यालय (यदि कोई) का पता	14वीं मंजिल, बिल्डिंग 9ए, डीएलएफ साइबर सिटी फेज-3 गुड़गांव 122002, हरियाणा, इंडिया
6.	कॉरपोरेट व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभ तिथि	04 दिसम्बर, 2019
7	नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और परिसमापक का रजिस्ट्रेशन नंबर	नाम: तरूण जग्गी पता: ए-1/292, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058, इंडिया ईमेल आईडी: tarunjaggi@gmail.com टेलीफोन न0: 011-4163-4951 पंजीकरण सं0. IBBI/IPA-001/IP-P00113/2017-18/10220
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02 जनवरी, 2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलवीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 04 दिसम्बर, 2019 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है।

एलवीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों को आइटम 7 के सामने दिए गए परिसमापक के पते पर 02 जनवरी, 2020 तक या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रमाण के साथ अपने दावों को जमा करना होगा। अन्य सभी लेनदार प्रमाण के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर जुर्माना देना होगा।

स्थान: नई दिल्ली — **एसडी/-**
दिनांक: 06 दिसम्बर, 2019 — **तरूण जग्गी**

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों **(30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 13.12.2019

Jhansi-Kanchehri Choraha: MHL-43, MSL-5988, MUL-15, 73, 74, 128, 160, 269, 270, 298, 351, 360, 368, 384, 385, 416, 431, 435, 454, 481, 485, 486, 513, 515, 553, 576, 612, 660, 670, 728, 730, 739, 740, 757, 777, 782, 811, 819, 889, 897, 899, 900, 901, 908, 913, 934, 957, 1028, 1053, 1058, 1065, 1127, 1135, 1154, 1170, 1209, 1212, 1215, 1243, 1248, 1272, 1273, 1280, 1285, 1301, MWS-11, 16, 29, 91, 102, 103, 131, 139, 156, 158, 159, 162, 163, 167, 185, 199, 277, 309, 381, 448, 470, **Jhansi-Elite Sipri Road:** MAL-254, MGL-234, 260, MHL-18, MSL-3696, 4049, 4511, 4526, 4670, 4671, 4956, 5113, 5182, 5213, 5273, 5291, 5297, MUL-144, 179, 180, 219, 221, 275, 334, 369, 399, 400, 439, 452, 477, 483, 494, 498, 506, 507, 513, 614, 617, 681, 689, 700, 730, 753, 791, 858, 860, 884, 916, 930, 936, 976, 995, 996, 1001, 1033, 1049, 1050, 1055, 1067, 1079, 1093, 1094, 1100, 1120, 1126, 1127, 1129, 1146, 1154, 1187, 1194, 1213, 1228, 1241, 1254, 1274, 1303, 1341, 1355

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)
नीलामी की तिथि: 13.12.2019

Jhansi-Kanchehri Choraha: MWS-1150, 1224, **Jhansi-Elite Sipri Road:** MUL-207, 1142

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **14.12. 2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Limited, First Floor, Property No. 775, Old No. 529, Kancheri Chouraha, Kanpur Road, Jhansi, U.P. - 284001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

इण्डियन ओवरसीज बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

एसएमई पानीपत शाखा (2864)
संजय चौक, जी.टी. रोड, जिला पानीपत
दूरभाष: 0180-2570093, ई-मेल: iob2864@iob.in

कब्जा सूचना (सांकेतिक) (परिशिष्ट IV) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन ओवरसीज बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों) से निम्नलिखित तिथियों पर सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए निम्नलिखित तिथियों पर एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(ों) तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार भावी ब्याज, लागत आदि सहित नीचे वर्णित के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यन अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/बंधककर्ताओं के नाम तथा पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना के अनुसार बकाया राशि
श्री बलविन्दर सिंह (मैसर्स प्रीत 3 इण्टरनेशनल के प्रोपराइटर) पुत्र स्व. हरबंस सिंह, एक्रॉस टू कैनाल, निकट फौजी ढाबा, जट्टल रोड, ग्राम व पो. सोंधापुर, पानीपत-132103 एवं श्रीमती सरबजीत कौर (मैसर्स प्रीत 3 इण्टरनेशनल की जमानती) पत्नी श्री बलविंदर सिंह, मकान नं. 881/13, सेक्टर-13, महावीर कॉलोनी, पानीपत-132103.	1. विक्रय विलेख सं. 811 (सरबजीत कौर के नाम पर) के माध्यम से फैक्ट्री की भूमि तथा भवन का ईएम। भूमि खसरा सं. 35/11 (8-0), 12/2(4-12), 19(6-18), 20(8-0), 21(8-0), 22(7-16), 41/5(8-0), 15(2-4), 6(8-0), 42/1(8-0), 2(8-18), 9(4-17), 10(8-0) वाका ग्राम-सोंधापुर, निकट जट्टल रोड, पानीपत-132103 का अंश है। 2. विक्रय विलेख सं. 812 (बलविन्दर सिंह के नाम पर) दिनांक 08.05.2009) के माध्यम से फैक्ट्री की भूमि तथा भवन का ईएम। भूमि खसरा सं. 35/11 (8-0), 12/2(4-12), 19(6-18), 20(8-0), 21(8-0), 22(7-16), 41/5(8-0), 15(2-4), 6(8-0), 42/1(8-0), 2(8-18), 9(4-17), 10(8-0) वाका ग्राम-सोंधापुर, निकट जट्टल रोड, पानीपत-132103 का अंश है। 3. विक्रय विलेख सं. 9228 (सरबजीत कौर के नाम पर) के माध्यम से फैक्ट्री की भूमि तथा भवन का ईएम। भूमि खसरा सं. 35/11 (8-0), 12/2(4-12), 19(6-18), 20(8-0), 21(8-0), 22(7-16), 41/5(8-0), 15(2-4), 6(8-0), 42/1(8-0), 2(8-18), 9(4-17), 10(8-0) वाका ग्राम-सोंधापुर, निकट जट्टल रोड, पानीपत-132103 का अंश है। 4. विक्रय विलेख सं. 9229 (बलविन्दर सिंह के नाम पर) के माध्यम से फैक्ट्री की भूमि तथा भवन का ईएम। भूमि खसरा सं. 35/11 (8-0), 12/2(4-12), 19(6-18), 20(8-0), 21(8-0), 22(7-16), 41/5(8-0), 15(2-4), 6(8-0), 42/1(8-0), 2(8-18), 9(4-17), 10(8-0) वाका ग्राम-सोंधापुर, निकट जट्टल रोड, पानीपत-132103 का अंश है।	30.11.2019 तक रु. 1,36,49,806.73/- (रुपये 1 करोड़ छत्तीस लाख उनचास हजार आठ सौ छः एवं तिहत्तर पैसे मात्र) और अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा बकाये, प्रभार आदि। माँग सूचना की तिथि 03.07.2019 कब्जा की तिथि 04.12.2019

तिथि : 07.12.2019 — ह./-
स्थान : पानीपत — अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (उत्तर एवं मध्य) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006, टेलीफोन: 011-23832226

27.12.2019 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री

आम जनता और विशेषतः कर्जदारों/गारंटीकर्ताओं को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा लिया गया है, को बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" और "जो भी वहां है" आधार पर 27.12.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। बोली जमा करने की तिथि 26.12.2019 को सायं 5:00 बजे तक, ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 27.12.2019 को प्रातः 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे के बीच (प्रत्येक 5 मिनट असीमित विस्तार के साथ)। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in या www.bankeauctions.com देखें।

चल / अचल संपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा फोन नं.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण	माँग सूचना तिथि तथा बकाया राशि (रु. लाखों में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	रु. लाखों में आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि
1.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री आर.जी. मीणा मोबाईल: 8800013511/ 9812955360	क्लासिक ऑप्टिकल्स	4 मंजिला ईमारत में तीसरा तल, सम्पत्ति सं.757/1, वार्ड नं.7, फराश खाना, दिल्ली। क्षेत्र-1135 वर्गफीट (मालिक-हिमायु खान)	17.12.2018 रू.105.90 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	04.07.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 36.00 लाख ₹ 3.60 लाख ₹ 0.40 लाख
2.	भगीरथ पैलेस नई दिल्ली	श्री आशुतोष कुमार मोबाइल: 9999463960	सरिता शर्मा	फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं.1, फ्लैट नं. 1-बी, प्राइवेट फ्लैट नं.एफ-5, प्रथम तल, छत/टैरेस अधिकार के बिना, ओम नगर, गली नं.5, निकट जी.टी. रोड एवं मोहन नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ0प्र0, क्षेत्रफल 55.74 वर्ग मीटर (मालिक-सुनील शर्मा)	02.04.2018 रू.22.11 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	20.09.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 16.00 लाख ₹ 1.60 लाख ₹ 0.20 लाख
3.	सेहानी, गाजियाबाद	श्री आलोक कुमार मोबाइल: 9999467512	रान (RAANN) उद्योग	एक एवं आधा मंजिल भवन, सम्पत्ति सं. पी-14, प्लॉट नं. 14ए, गली नं.4, निकट डाकघर, बिहारी कालोनी, शाहदरा, दिल्ली। भूमि एरिया – 41.81 वर्ग मीटर (मालिक – राजेश्वरी देवी)	27.04.2018 रू.65.90 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	23.03.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 67.03 लाख ₹ 6.80 लाख ₹ 0.70 लाख
4.	आई टी पार्क नई दिल्ली	श्री संजय खेरा मोबाइल: 9711033610/ 8800013516	राम दरश राम	एमआईजी फ्लैट नं. जीएफ-2, (बिना छत अधिकार) प्लॉट नं.बी-12/11, डीएलएफ अंकुर विहार, गाँव सादुल्लाबाद, परगना लोनी, जिला-गाजियाबाद, उ0प्र0, एरिया 700 वर्गफीट (मालिक-राम दरश राम)	23.10.2018 रू.22.26 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	19.02.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 13.11 लाख ₹ 1.32 लाख ₹ 0.20 लाख
5.	एलआरपीजी कॉलेज, गाजियाबाद	श्री अनिल कुमार मोबाइल: 9873303102/ 8800013520	समीर सोलोमॉन नन्दी	फ्लैट नं. एसएफ-3, प्लॉट नं. बी-14/12, (छत अधिकार के साथ) डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ0प्र0 एरिया-31.00 वर्ग मीटर (मालिक-समीर सोलोमॉन नंदी)	08.12.2015 रू.13.27 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	29.01.2018 (भौतिक कब्जा)	₹ 8.40 लाख ₹ 0.84 लाख ₹ 0.10 लाख
6.	एनईपीजेड नोएडा	सुश्री निताशा मलिक मोबाइल: 9999917123	मैसर्स एम एस एण्टरप्राईजेज	प्लॉट नं. 286/ए, खसरा नं.152, 153 एवं 155 का भाग, गली नं.16, बलबीर नगर एक्स. गाँव सिकदरपुर, दिल्ली-110032। क्षेत्रफल-100.00 वर्ग गज (मालिक-श्री मनीष कुमार शर्मा)	28.12.2017 रू.160.85 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	08.05.2018 (भौतिक कब्जा)	₹ 60.01 लाख ₹ 6.10 लाख ₹ 0.70 लाख
7.	एनईपीजेड नोएडा	सुश्री निताशा मलिक मोबाइल: 9999917123	मैसर्स एम एस एण्टरप्राईजेज	फ्लैट नं. एफ-2, प्रथम तल पीछे की तरफ, एमआईजी टाईप, प्लॉट नं. ए-1/23, डीएलएफ, दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन-2, भोपुरा, गाज़ियाबाद। एरिया-750 वर्ग फीट (मालिक-श्री मनीष कुमार शर्मा)	28.12.2017 रू.160.85 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	16.03.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 15.30 लाख ₹ 1.55 लाख ₹ 0.20 लाख
8.	एनईपीजेड नोएडा	सुश्री निताशा मलिक मोबाइल: 9999917123	मैसर्स एम एस एण्टरप्राईजेज	फ्लैट नं. एफ-1, प्रथम तल आगे की तरफ, एमआईजी टाईप, प्लॉट नं. ए-1/23, डीएलएफ, दिलशाद गार्डेन एक्सटेंशन-2, भोपुरा, गाज़ियाबाद। एरिया-750 वर्ग फीट (मालिक-श्री मनीष कुमार शर्मा)	28.12.2017 रू.160.85 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	16.03.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 17.00 लाख ₹ 1.70 लाख ₹ 0.20 लाख
9.	सेक्टर-15, फरीदाबाद	श्री प्रमोद कुमार मोबाइल: 8860005963	ज्ञानेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट	शैक्षणिक भवन जो शेमफोर्ड फ्युच्युरिस्टिक स्कूल परिसर, खंडवाली लिंक रोड, ज्ञानेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट के भूमि एवं भवन से मिलकर सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो परिमाप 1.8340 हेक्टेयर में शामिल खेवट/खाता नं.00052 (पुराना खाता नं.00042) खसरा नं. 319/1, मौज़ा सदुल्लापुर @चाँदपुरा, परगना सरावा, तहसील एवं जिला – मेरठ (उ0प्र0) में स्थित है।	04.02.2015 रू. 568.98 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	03.01.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 297.50 लाख ₹ 30.00 लाख ₹ 1.50 लाख
10.	नरेला, नई दिल्ली	श्री बी. के. बंसल मोबाइल: 9811539397	दविन्दर सिंह	औद्योगिक तीन मंजिला सम्पत्ति सं. डी-61, रेवाड़ी लाइन इंडस्ट्रियल एरिया-2, मायापुरी, नई दिल्ली, एरिया-100.00 वर्ग यार्ड (मालिक-दविन्दर सिंह)	31.10.2018 रू. 67.84 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	24.06.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 132.00 लाख ₹ 1.40 लाख ₹ 1.00 लाख

नियम व शर्तें:

1. ईएमडी राशि **26.12.2019 को सायं 5:00 बजे** से पूर्व निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी : **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), **चांदनी चौक, नई दिल्ली-110006, खाता सं.3498860922) (आईएफएससी कोड सीबीआईएन0280288)।**
2. सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद कुमार-9813887931 (स्पोर्ट ई-मेल आईडी **support@bankeauctions.com**) और सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए संबंधित शाखाओं/प्राधिकृत अधिकारी के नाम के आगे वर्णित टेलीफोन नम्बरों पर या **श्री एम. के. गुप्ता, मोबाइल: 7428536228, 8800013563** से सम्पर्क कर सकते हैं।
3. नियम व शर्तों के पूर्ण ब्यौरे के लिए कृपया: **www.centralbankofindia.co.in** या **https://www.bankeauctions.com** देखे।

सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि, उस दिन तक के ब्याज तथा आनुशंगिक खर्चो सहित चुका दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक: 07.12.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: दिल्ली — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षे.का. (उत्तर एवं मध्य) चांदनी चौक, दिल्ली**

संबंधित दस्तावेज, पहचान के बिना सेबी शिकायतों पर नहीं करेगा कार्रवाई

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

बाजार नियामक सेबी अब ठोस आधार पर की गई शिकायतों पर ही संज्ञान लेगा। वह उन्हीं शिकायतों पर गौर करेगा जहां निवेशक ने अपनी पहचान का खुलासा किया है और आरोप के समर्थन में दस्तावेज लगाए हैं।

भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह उन शिकायतों पर गौर नहीं करेगा जहां वह शिकायतकर्ताओं तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं है। सेबी का यह बयान व्यक्तिगत रूप से चारूल सिंह की शिकायतों के संदर्भ में आया है। उन्होंने बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान (एमआइआइ) के खिलाफ कई शिकायतें कीं। उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

सरकार से राहत नहीं मिलने पर बंद हो जाएगी वोडाफोन-आइडिया : बिड़ला

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय के बाद उसके सामने खड़ी पुरानी सांविधिक देनदारियों के मामले में सरकार की ओर से राहत नहीं मिली तो उसका बाजार में बने रखना मुश्किल है।

कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने शुक्रवार को यहां हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में एक सवाल के जवाब में कहा- अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो मेरा मानना है कि इससे वोडाफोन आइडिया की कहानी का पटाक्षेप हो जाएगा। उनसे सरकार से राहत नहीं मिलने की स्थिति में कंपनी की आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया था। कंपनी ने पिछाला 53,038 करोड़ रुपए का सांविधिक बकाया को चुकाने में सरकार से राहत की मांग की है।

पिछले साल बिड़ला समूह की आइडिया सेल्युलर और ब्रिटेन की वोडाफोन ने रिलायंस जियो से प्रतिस्पर्धा के लिए आपस में विलय कर लिया था। वोडाफोन आइडिया ने कुछ हफ्ते पहले ही अपने तिमाही परिणामों की घोषणा की थी। इसमें सांविधिक बकाए का प्रावधान करते हुए उसने देश में किसी भी कॉरपोरेट कंपनी का सबसे बड़ा तिमाही घाटा दिखाया था।

बिड़ला ने सरकार से राहत ना मिलने की स्थिति में कंपनी में किसी और तरह का निवेश नहीं करने का संकेत दिया। उनसे पूछा गया कि क्या वोडाफोन इंडिया कंपनी में और निवेश करेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा- इस बात का कोई मतलब नहीं कि डूबते पैसे में और पैसा लगा दिया जाए। यह हमारे लिए इस कहानी का अंत होगा। हमें अपनी दुकान (वोडाफोन-आइडिया) बंद करनी होगी। हाल में अदालत ने अपने एक आदेश में दूरसंचार कंपनियों की एकीकृत सकल आय (एजीआर) के मामले में सरकार की परिभाषा को सही ठहराया था। इसके बाद एअरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत कई पुरानी दूरसंचार कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए सांविधिक बकाया चुकाने का दबाव है।

इसमें स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, लाइसेंस शुल्क और इन दोनों राशियों का 14 साल का ब्याज और जुर्माना शामिल है। इसके अलावा जियो से प्रतिस्पर्धा और भारी-भरकम ऋण के चलते भी ये कंपनियां दबाव में है।

आर्थिक वृद्धि अनुमान कम होने के साथ शेयर बाजारों में गिरावट

मुंबई, 6 दिसंबर (भाषा)।

बिकवाली दबाव से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। धीमी पड़ती आर्थिक वृद्धि और लिवाली को लेकर कोई ठोस संकेत के अभाव में बाजार में गिरावट रही। कारोबारियों के अनुसार द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा नीतिगत दर में कोई कटौती नहीं होने और आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कम किए जाने के बाद निवेशक जोखिम लेने से बचें। इसके अलावा राजकोषीय घाटे को लेकर चिंता से भी धारणा प्रभावित हुई।

तीस शेयरों वाला सूचकांक बढ़त के साथ खुला लेकिन बाद में इसमें गिरावट आयी। एक समय यह नीचे में 40,337.53 अंक तक चला गया लेकिन अंत में 334.44 अंक यानी 0.82 फीसद की गिरावट के साथ 40,445.15 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96.90 अंक यानी 0.81 फीसद टूटकर 11,921.50 अंक पर बंद हुआ।

साप्ताहिक आधार पर सूचकांक 348.66 अंक यानी 0.85 फीसद जबकि निफ्टी 134.55 अंक यानी 1.11 फीसद यानी 0.81 नीचे आए। सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक गिरावट येस बैंक में रही। मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस के निजी क्षेत्र के बैंक की रेटिंग कम किए जाने से यह 10 फीसद नीचे आया। नुकसान में रहने वाले अन्य प्रमुख शेयरों में एसबीआइ, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ओर एचडीएफसी शामिल हैं।

भूषण पावर एंड स्टील मामले में अंतिम हलफनामा देने को कहा

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को भूषण पावर एंड स्टील लि. के मामले में प्रवर्तन निदेशालय से अंतिम हलफनामा देने को कहा। इसमें भूषण पावर एंड स्टीज लि. की संपत्ति कुर्क करने से संबंधित गतिविधियां के बारे में पक्की जानकारी देने को कहा गया है।

डाकिए, ग्रामीण डाक सेवक से जल्दी बीमा पॉलिसी भी खरीद सकते हैं आप

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

डाकिए और ग्रामीण डाक सेवक जल्दी ही बीमा पॉलिसी बेचते हुए नजर आ सकते सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण (इरडा) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत ऐसे कर्मचारियों की जिम्मेदारी डाक भुगतान बैंक को लेनी होगी।

इरडा ने कहा कि बीमा पॉलिसी बेचने के लिए डाकिए और ग्रामीण डाक सेवकों को भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा इस काम के लिए प्रायोजित किया जाना जरूरी होगी। डाक भुगतान बैंक एक कॉरपोरेट एजंट है और वह प्वायंट ऑफ सेल्सपर्सन की तरह काम करने के लिये डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों को प्रायोजित करने के संबंध में इरडा से अनुमति मांग सकता है। इरडा ने कहा कि यदि डाक भुगतान बैंक को अनुमति मिल जाती है तो वह प्वायंट ऑफ सेल्सपर्सन बनाए गए अपने व्यक्ति की भूल-चूक के लिए जिम्मेदार होगा।

नियामक ने कहा कि डाक विभाग को डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों की पहचान करनी होगी और समय-समय पर इनकी सूची जारी करनी होगी। डाक भुगतान बैंक नियमन के तहत स्वीकृत कितनी भी बीमा कंपनियों से करार कर सकता है। उसने कहा- ये डाकिए और ग्रामीण डाक सेवक मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में काम करेंगे जहां बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं या पर्याप्त नहीं हैं। वे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा उत्पाद बेचने की सुविधा दे सकते हैं।

एसपीए कैपिटल सर्विस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 25 सी-ब्लॉक कम्युनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
वेबसाइट : http://www.spacapital.com/CapitalServices/
सीआईएन : L65910DL1984PLC018749
फोन नंबर : 011-45586600, 45675500
ई-मेल आईडी : listing@spacapital.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के अनुसरण में, कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2019 को आयोजित की जानी निर्धारित है, जिसमें, अन्य के साथ, 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।
सूचना बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट http://www.spacapital.com/CapitalServices/ पर भी उपलब्ध है।

वास्ते एसपीए कैपिटल सर्विस लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली — हस्ता./-
तिथि : 06 दिसम्बर, 2019 — काजल गुप्ता
कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट
निविदा आमंत्रण सूचना

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निविदा सं. ई 92/2019 पैसेंजर वाटर टर्मिनल की ओर से जाने वाली नहर के लिए, नेरूल, कैपिटल ड्रेजिंग वर्क में पैसेंजर वाटर टर्मिनल के विकास के कार्य के लिए ऑन लाइन ई-निविदाये आमंत्रित है। निवदा का विवरण एमबीपीटी की वेबसाइट http://www.mumbaiport.gov.in तथा http://www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा की तय तिथि 10.2.2020 है।

मुख्य अभियंता

सिविल अभियान्त्रिकी विभाग
नई दिल्ली निगम परिषद
आर-I डिवीजन, तिलक लेन, नई दिल्ली-110001
ई-प्रापण निविदा सूचना

1. निविदा आईडी सं. 2019_एनडीएमसी_185082_1
विषय: न.दि.नि.प. में स्वच्छ भारत अभियान। उपशीर्ष : वर्ष 2019-20 हेतु सम्पूर्ण न.दि.नि.प. क्षेत्र में विभिन्न प्रकार्यों हेतु भाड़ा आधार पर महिलाओं एवं पुरुषों हेतु अस्थायी आरामदेह स्टेशन/मूत्रालय के प्रावधान हेतु वार्षिक दर अनुबन्ध।
अनुमानित लागत रु. 1,63,24,938/-
ई-प्रापण समाधान माध्यम से निविदा निर्गमन की तिथि: 05.12.2019
पूर्व संविदा बैठक की तिथि एवं समय: 11.12.2019 को 3.00 बजे अपराह्न सीई(सी-I), 15वीं मंजिल, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली के कक्ष में
ई-प्रापण समाधान माध्यम से निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि/समय: 17.12.2019 को 4:00 बजे अपराह्न तक
अधिक विवरण http://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखा जा सकता है।
नोट: न.दि.नि.प. की ई-निविदा में भाग लेने हेतु रा.रा.क्षे. दिल्ली की ई-निविदा प्रणाली के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।

अधिशासी अभियन्ता (आर-I)

ऋण वसूली अधिकरण III,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

ओ.ए.नं. 181/2019
एक्सिस बैंक लि.
-- आवेदक
बनाम
रचना गुप्ता एवं अन्य
-- प्रतिवादीगण

डी-3
पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि.
द्वारा उसके निदेशकों, पार्श्वनाथ टावर, शाहदरा मेट्रो स्टेशन के निकट, शाहदरा दिल्ली, पूर्वी दिल्ली डीएल 110032
साथ ही: छठा तल, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 21.12.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हीं की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 20 अक्टूबर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित हैं:-

1 एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 36/2019-20
हैड: एमएलएलएडी फंड।
कार्य का नाम: त्रिलोकपुरी एसी-55/2018-19/67 में विभिन्न स्थानों पर बच्चों के खेल उपकरणों को प्रदान और स्थापना/ फिक्सिंग कराना। अनुमानित लागत 29,73,452.00 रु. धरोहर राशि: 59,469.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 120 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 12.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_184754_1)

2 एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 37/2019-20
हैड: एमएलएलएडी फंड।
कार्य का नाम: त्रिलोकपुरी एसी-55/2018-19/66 में विभिन्न स्थानों पर बच्चों के खेल उपकरणों को प्रदान और स्थापना/ फिक्सिंग कराना। अनुमानित लागत 29,54,306.00 रु. धरोहर राशि: 59,086.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 120 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 12.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_184755_1)

3 एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 38/2019-20
हैड: एमएलएलएडी फंड।
कार्य का नाम: पटपड़गंज विधानसभा एसी-57 क्षेत्र में सी-ब्लॉक मंडावली की शेष गलियां और इंदिरा कॉलोनी, मंडावली ऊंचे पर, पुरवी स्कूल ब्लॉक में लोहे के गेट उपलब्ध और स्थापित करना। अनुमानित लागत 32,51,417.00 रु. धरोहर राशि: 65,028.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 90 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 12.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_184756_1)

4 एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 39/2019-20
हैड: एमएलएलएडी फंड।
कार्य का नाम: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोंडली, एसी-56 में विभिन्न स्थानों पर आरसीसी बेंच प्रदान और स्थापित कराना। अनुमानित लागत 20,82,418.00 रु. धरोहर राशि: 41,648.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 120 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 12.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_184764_1)

5 एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 40/2019-20
हैड: एमएलएलएडी फंड।
कार्य का नाम: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, एसी-56, कोंडली में विभिन्न स्थानों पर स्टील के गेट प्रदान और स्थापित कराना। अनुमानित लागत 21,58,801.00 रु. धरोहर राशि: 43,176.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 120 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 12.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_184765_1)

6 एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 41/2019-20
हैड: एमएलएलएडी फंड।
कार्य का नाम: एसी-56, कोंडली में विभिन्न स्थानों पर आरसीसी राउंड टेबल बेंच प्रदान और स्थापित कराना। अनुमानित लागत 40,96,560.00 रु. धरोहर राशि: 81,931.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 120 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 12.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_184766_1)

निविदा प्रपत्र व अन्य विवरण वेबसाइट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3
DIP/Shabdarth/1090/19-20

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम) डब्ल्यू सी-II
चन्द्रावल वाटर वर्क्स नं. 1, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054
प्रैस एन.आई.टी. सं. 04 (2019-20)/ ईई (ई एंड एम) डब्ल्यूसी-II

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	ईएमडी राशि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	उद्यान कार्यों के लिये द्वारका में शोधित एफ्ल्युएन्ट पम्पिंग स्टेशन का एस.आई.टी.सी. (पुनर्आमंत्रित)	वस्तु दर	500/-	78700/-	6.12.2019 3.00 बजे अप. तक, निविदा आईडी: 2019_DJB_185090_1	17.12.2019 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/622 — कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम) डब्ल्यूसी-II

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड
HeroFin Corp.
CIN:U74899DL1991PLC046774
पंजी. कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057
टेली: 011-49487150, फैक्स: 011-49487150, ई-मेल: litigation@herofincorp.com,
वेबसाइट: www.herofincorp.com

पूर्वाग्रह-रहित ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अनुसार हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री

जैसा कि सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी सूचना तिथि 30.4.2018 तथा माननीय विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद द्वारा पारित आदेश तिथि 9.7.2019 के अनुपालन में हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित सभी शुल्कों के साथ एचएफसीएल के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो है आधार'' एवं ''उपचार रहित आधार'' पर पूरी तरह से उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। जैसा कि बकाये के भुगतान में विफलता के बाद प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा एचएफसीएल के बकाये की वसूली करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री ऋणधारक से एचएफसीएल के बकाये प्रतिभूत ऋण की वूसली के लिये सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी।
आम जनता को व्यक्तिगत अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से बोली करने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

i) मै. एग्री-बेस्ट इंडिया लिमिटेड तथा मै. हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के बीच निष्पादित पूरक अनुबंध तिथि 11.5.2015 के साथ मास्टर फैसिलिटीज अनुबंध तिथि 11.8.2015
ii) मै. एग्री-बेस्ट इंडिया लिमिटेड तथा मै. हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के बीच निष्पादित पूरक अनुबंध तिथि 29.1.2016 के साथ मास्टर फैसिलिटीज अनुबंध तिथि 29.1.2016

मांग सूचना तिथि: 30.4.2018 — **वास्तविक कब्जा की तिथि:** 19.8.2019

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि: मै. एग्री-बेस्ट इंडिया लिमिटेड तथा मै. हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के बीच निष्पादित पूरक अनुबंध तिथि 11.5.2019 के साथ मास्टर फैसिलिटीज अनुबंध तिथि 11.8.2015 तथा पूरक अनुबंध तिथि 29.1.2016 के साथ मास्टर फैसिलिटीज अनुबंध तिथि 29.1.2016 के अंतर्गत ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 25.4.2018 को रु. 6,96,88,714.72 (रुपये छः करोड़ छियानवे लाख अठासी हजार सात सौ चौदह तथा पैसे बहत्तर मात्र) की राशि

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)
1. मै. एग्री-बेस्ट इंडिया लिमिटेड (ऋणधारक), एससीएफ 16, IIरा तल, सेक्टर-9 मार्केट, फरीदाबाद-121006 2. श्री गोपाल शर्मा (गारन्टर/मार्टगैजर, 751, सेक्टर-9, पी.ओ. सेक्टर-7, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 साथ ही: मकान सं. 185, वार्ड नं. 18, फ्रैंड्स कॉलोनी, कैथल-135027 (हरियाणा) साथ ही: जेसी/वी 20/एसएफ, 2रा तल, जकरन्डा बिल्ला लेन में, वी 20, वीआईपी फ्लोर्स, सेक्टर-81, फरीदाबाद, हरियाणा 3. श्रीमती प्रीति शर्मा (गारन्टर/मार्टगैजर) 751, सेक्टर-9, पी.ओ. सेक्टर-7, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 साथ ही: मकान सं. 185, वार्ड नं. 18, फ्रैंड्स कॉलोनी, कैथल-135027 (हरियाणा) साथ ही: जेसी/वी 20/एसएफ, 2रा तल, जकरन्डा बिल्ला लेन में, वी 20, वीआईपी फ्लोर्स, सेक्टर-81, फरीदाबाद, हरियाणा	आवासीय यूनिट-जेसी/वी 20/एसएफ, 2रा तल, प्लॉट क्षेत्रफल माप 492.09 वर्ग यार्ड्स, सुपर एरिया-2155 वर्ग फीट पर निर्मित, जकरन्डा बिल्ला लेन में, वी 20, वीआईपी फ्लोर्स, सेक्टर-81, फरीदाबाद, हरियाणा	63,00,000/- धरोहर राशि भुगतान 6,30,000/-

नीलामी की तिथि एवं समय: 23.12.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक।

नीलामी के नियम एवं शर्तें:
1. सम्पत्ति की नीलामी हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, 09, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 में प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 10.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. (आईएसटी) तक आयोजित की जायेगी।
2. नीलामी बिक्री नियुक्त अभिकर्ता द्वारा संचालित की जायेगी।
3. बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21.12.2019 के 5 बजे सायं है।
4. नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट नीचे वर्णित खाता में आरटीजीएस/ एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा ईएमडी जमा करना होगा:

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
खाता धारक का नाम	हीरो फिनकॉर्प लि.
बैंक का पता	209-214, कैलाश बिल्डिंग 26, केजी मार्ग, नई दिल्ली
खाता सं.	00030310016156
आईएफएससी कोड	HDFC0000003

5. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता को ईएमडी एचएफसीएल द्वारा वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बोली के लिये न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु. 50000/- (रु. पचास हजार मात्र) है।
6. एचएफसीएल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी बिक्री को स्थगित/निलंबित/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
7. उपरोक्त सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
यदि एचएफसीएल द्वारा बोली/प्रस्ताव स्वीकार की जाती है, बोली में उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले सफल बोलीदाता को एचएफसीएल के पास अगले कार्य दिवस तक 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी तथा तत्काल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।
8. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या कानून के अनुसार स्वीकृत अवधि के भीतर हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चेक द्वारा 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि अर्थात् बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान नहीं करने पर जमा राशि (25% बोली राशि सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा क्रेता उस सम्पत्ति अथवा राशि के किसी भाग जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
10. एचएफसीएल द्वारा बिक्री की पुष्टि पर तथा यदि नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया हो, बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट V में दी गई प्रपत्र में क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
11. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो भी है आधार'' एवं उपचार-रहित आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संदर्भ में टाइटल, पहचान, विस्तार, व्यास, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी अथवा अधिभारों के विषय में संतुष्ट होने के लिये राजस्व/एसआरओ के अभिलेखों की जांच कर लें। एचएफसीएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
12. इच्छुक पार्टी/बोलीदाता 22.12.2019 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये वे अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. सफल बोलीदाता को एकाकी रूप से लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प शुल्क, करों, सांविधिक देयताओं के लिये देय सभी चार्जेज का वहन करना होगा।
14. यह बिक्री/नीलामी बिक्री एचएफसीएल द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
15. यह बिक्री/ नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 (उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।
16. नीलामी की गई सम्पत्ति के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, सम्पत्ति कर तथा सरकार या किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के लिये एचएफसीएल उत्तरदायी नहीं होगा।
17. यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारक/अथवा सह-ऋणधारक के लिये यह प्रकाशन **15 दिनों की** बिक्री सूचना है। ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक को ई-नीलामी की तिथि को या उससे पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें विफल होने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। यदि नीलामी बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक एचएफसीएल की बकाया देयताओं का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी बिक्री रोक दी जायेगी।
18. एतद्द्वारा ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां ऊपर निर्दिष्ट अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को सामने ला सकते हैं।
19. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें, इंटर-से बोली की अनुमति देने का सम्प्रभु अधिकार है।
20. ऊपर वर्णित ऋण की राशि, ऋण फोर्क्लोजर राशि नहीं है। उक्त ऋण के लिये लम्बित ईएमआई सहित अन्य सभी चार्जों की ऋण समापन के समय में गणना की जायेगी।

तिथि: 7.12.2019
स्थान: फरीदाबाद
श्री दिनेश शर्मा
प्राधिकृत अधिकारी
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!
शाखा कार्यालय: आईबीबी, डीसीएम बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 4.7.2019 जारी कर ऋणधारक मै. रत्तन सिंह चैरिटैबल एंड एजुकेशन सोसायटी, 456, सेक.-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006, द्वारा श्री यशवीर सिंह एवं श्रीमती दर्शना डागर, गारन्टरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.6.2019 को रु. 3,91,83,355.53 (रुपए तीन करोड़ इक्यानवे लाख तिड़ासी हजार तीन सौ पचपन एवं पैसे तिड़ेपन मात्र) के साथ 1.6.2019 से आगे के ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक उस पर लागत तथा अन्य खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.6.2019 को रु. 3,91,83,355.53 (रुपए तीन करोड़ इक्यानवे लाख तिड़ासी हजार तीन सौ पचपन एवं पैसे तिड़ेपन मात्र) के साथ 1.6.2019 से आगे के ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक उस पर लागत तथा अन्य खर्चे की राशि के लिये **पंजाब नेशनल बैंक** के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणधारक (सम्पत्ति के स्वामी) का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	संलग्न कब्जा सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि को बकायाराशि
1.	आईबीबी, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001	मै. रत्तन सिंह चैरिटैबल एंड एजुकेशन सोसायटी	मै. रत्तन सिंह चैरिटैबल एंड एजुकेशन सोसायटी	मौजा सेवली, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा में रेक्ट नं. 62, किल्ला नं. 17/2(2-19), 24(8-0), रेक्ट नं. 63, किल्ला नं. 10(8-0), 11/1 (4-3), 11/2(3-17), रकबा 26 कनाल 19 मरला, रेक्ट नं. 62, किल्ला नं. 15/2 (1-2), 16/1(5-1), 16/2(2-19), 25(8-0), रेक्ट. नं. 63, किल्ला नं. 21/2/1(1-3), रेक्ट. नं. 69, किल्ला नं. 1/1(2-13), 10/2(2-13), रेक्ट. नं. 70, किल्ला नं. 4/1(2-7), 4/2(5-13), 5(8-0), 6(8-0), 7(8-0), 18/2(0-7) रकबा 56 कनाल 08 मरला, रेक्ट नं. 381 (2-13), रकबा 1 कनाल 6 रमला रेक्ट. नं. 70 किल्ला 26(2-17), रकबा 14 मरला, रेक्ट नं. 70, किल्ला 14/1(0-13), 17/1/2(0-4), रकबा 17 मरला कुल रकबा 86 कनाल 4 मरला में शामिल इक्विटैवली मार्टगेज्ड सम्पत्ति का सभी भाग तता हिस्सा, एरिया माप 10.775 एकड़ जो मै.रत्तन सिंह चैरिटैबल एंड एजुकेशनल सोसायटी के स्वामित्व में है।	4.7.2019	3.12.019	रु. 3,91,83,355.53 (रुपए तीन करोड़ इक्यानवे लाख तिड़ासी हजार तीन सौ पचपन एवं पैसे तिड़ेपन मात्र)

तिथि: 6.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक,
स्थान: नई दिल्ली — बीओ.: आईबीबी, डीसीएम बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

प्रतिशत दर ई-निविदा आमन्त्रण हेतु प्रेस सूचना
अधिशासी अभियन्ता (सी), पोस्टल सिविल डिवीजन, नई दिल्ली भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन प्रतिशत दर (सीपीडब्ल्यूडी-7) ई-निविदाएँ आमन्त्रित करते हैं :
1. **नि.आ.सू. सं.** एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2019-20/101. कार्य का नाम : विवेक विहार, दिल्ली में सी-ब्लॉक क्वार्टर्स के बाहरी सिविल कार्य। अनुमानित लागत : रु. 1,79,79,172/-, धरोहर राशि : रु. 3,59,583/-, समापन अवधि : 6(छः) माह।
2. **नि.आ.सू. सं.** एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2019-20/102. कार्य का नाम : पीएण्डटी कॉलोनी, आर.के. पुरम, सेक्टर-6, नई दिल्ली में 100 नग पोस्टल स्टाफ क्वार्टर्स के मिश्रित मरम्मत कार्य एवं आन्तरिक फिनिशिंग। अनुमानित लागत : रु. 94,88,408/-, धरोहर राशि : रु. 1,89,768/-, समापन अवधि : 4(चार) माह।
3. **नि.आ.सू. सं.** एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2019-20/103. कार्य का नाम : जीपीओ कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में एनडीसी के प्रावधान सहित जीपीओ हेरिटेज बिल्डिंग का रखरखाव। अनुमानित लागत : रु. 43,50,306/-, धरोहर राशि : रु. 87,006/-, समापन अवधि : 3(तीन) माह।
4. **नि.आ.सू. सं.** एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2019-20/104. कार्य का नाम : मेघदूत भवन, नई दिल्ली की वार्षिक मरम्मत तथा रखरखाव कार्य। अनुमानित लागत : रु. 48,55,751/-, धरोहर राशि : रु. 97,115/-, समापन अवधि : 150 दिन।

संविदाएँ जमा करने की अन्तिम तिथि : 17.12.2019 को 15:00 बजे अपराह्न तक।
संविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाइट www.dopcivil.euniwizarde.com से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता
पोस्टल सिविल डिवीजन
मेघदूत भवन
नई दिल्ली-110001

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 166/2016 — **ई-नीलामी बिक्री सूचना** — तिथि: 25.11.2019

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मै. बी.डी. साइनेजेज (पी) लि. एवं अन्य

''आदेश''

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मै. बी.डी. साइनेजेज (पी) लि. एवं अन्य के मामले में मेरे आदेश तिथि 25.11.2019 के अनुसार ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी:
यह नीलामी बिक्री वेबसाइट **https://drt@auctiontiger.net** पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 8.1.2020 **को 3.00 बजे अप से 4 बजे अप तक।** (यदि जरूरी हुआ, समाप्ति से पूर्व बोली प्राप्त होने पर 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

क्रम सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	खाता नं. 28, खसरा नं. 200 का प्लॉट, ग्राम रितौली, गुलावथी रोड, परगणा एवं तहसील सिकन्दराबाद, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र., आगरा, माप 8160	रु. 75,00,000/- ईएमडी: रु. 7,50,000/-
2.	औद्योगिक सम्पत्ति सं. 17 ए, सेक्टर महिला उद्यमी पार्क-1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश, माप क्षेत्रफल 1239.300 वर्ग मी.	रु. 2,51,00,000/- ईएमडी: रु. 25,10,000/-
3.	मकान सं. डी-266, ब्लॉक-डी, सेक. 2, रामप्रस्थ, हदबस्त ग्राम महजारपुर, परगणा लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र., क्षेत्रफल माप 195 वर्ग मी.	रु. 2,51,00,000/- ईएमडी: रु. 25,10,000/-
4.	17ए, सेक्टर महिला उद्यमी पार्क-1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. में प्लान्ट एवं मशीनरी	रु. 26,00,000/- ईएमडी: रु. 2,60,000/-

नियम एवं शर्तें
1. नीलामी/बोली वेबसाईट के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति द्वारा होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को अग्रिम में सेवा प्रदाता के पास भागीदारी का पंजीकरण कराना होगा तथा ई-नीलामी में भाग लेने के लिये यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। निर्धारित पद्धत्ति में वांछित धरोहर राशि का भुगतान कर हीं वह प्राप्त किया जा सकता है।
3. ईएमडी का भुगतान 6.1.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत), टेली. +91 079 40016800, फैक्स: +9179 40016876, सम्पर्क व्यक्ति श्री नितीश झा, मोबाईल नं. 07982880393, ई-मेल Nitish@auctiontiger.net से ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करसकते हैं।
किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता सीएच बैंक के अधिकारी श्री भुवनेश्वर कुमार, मोबाईल नं. 9650075893 से सम्पर्क कर सकते हैं।
6. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाइट http://drt@auctiontiger.net देखें।
7. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य के नीचे नहीं बेचा जायेगा।
8. बोलीदाता रु. 1,00,000/- के गुणक में प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
9. संपत्ति की बिक्री **''जैसा है जहां है आधार तथा जो भी वहां है आधार''** पर की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को बिक्री की घोषणा के अगले दिन के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी को समायोजित करने के बाद 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन रविवार या अवकाश होता है तो फिर अगले कार्य दिवस को।
11. सफल बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा।
12. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे से वंचित हो जाएंगे। पुनः क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि तथा उस राशि जिस पर बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
13. रिकवरी अधिकारी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त हैं।
14. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी। बिक्री उद्घोषणा की सेवा के शपथ पत्र को दाखिल करने तथा 21.1.2020 को आगे की कार्रवाई के लिए मामले सूचीबद्ध की जाए।

(अनिल कुमार यादव)
रिकवरी अधिकारी-I, अति. प्रभार

www.readwhere.com

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हैदराबाद मुठभेड़ का लिया संज्ञान

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने के चारों आरोपियों के कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का शुक्रवार को संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दिए। एनएचआरसी ने कहा कि शुक्रवार को हुई मुठभेड़ चिंता का विषय है और इसकी सावधानी से जांच होनी चाहिए।

एनएचआरसी ने कहा, 'आयोग का यह मानना है कि इस मामले की बड़ी सावधानी से जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) से तथ्यों का पता लगाने के लिए घटनास्थल पर तत्काल एक टीम भेजने को कहा है।' आयोग ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की अगुवाई में आयोग की जांच शाखा के दल द्वारा तत्काल हैदराबाद के लिए निकलने और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने की संभावना है।

उसने कहा कि घटना से साफ पता चलता है कि पुलिसकर्मी आरोपियों द्वारा किसी प्रकार की अप्रिय घटना किए जाने के लिए तैयार और पूरी तरह सतर्क नहीं थे, जिसके कारण चारों की मौत

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी जताई मुठभेड़ पर चिंता

हो गई। आयोग ने कहा कि मृतकों को पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तार किया था और इस मामले पर फैसला अभी सुनाया जाना था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति यदि वास्तव में दोषी थे तो कानून के अनुसार सजा दी जाती।

इस बीच, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी मुठभेड़ पर चिंता जताई। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ की सचिव कविता कृष्णन के अनुसार यह न्याय नहीं है। कृष्णन ने कहा, 'महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में सरकार की नाकामी के बारे में हमारे सवालों का जवाब देने और अपने काम के लिए जवाबदेह बनने की जगह तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस ने पीट-पीटकर हत्या करने वाली भीड़ के अगुवाओं की तरह काम किया है।'

'नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन' (एनएफआइडब्लू) महासचिव एनी राजा ने कहा, 'यह मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है।' 'अनहद' (एक्ट नाउ फॉर हारमनी एंड डेमोक्रेसी) की संस्थापक सदस्य शबनम हाशमी ने भी इस बात पर सहमति जताई कि यह लोगों का ध्यान खींचने की सरकार की कोशिश हो सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि मुठभेड़ बर्बर बलात्कार के खिलाफ व्यापक रोष के कारण अचानक की गई प्रतिक्रिया हो सकती है। उन्होंने कहा, 'यह गलत है क्योंकि तब यह भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने वाला न्याय बन जाएगा। न्याय सड़कों पर नहीं होना चाहिए। एक व्यवस्था है जिसे सक्रिय होना चाहिए।'

सज्जनार ने वारंगल में भी ऐसी मुठभेड़ को दिया था अंजाम

वारंगल, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गए। अभी साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार हैं और इत्तेफाकन वर्ष 2008 में वारंगल में दो लड़कियों पर तेजाब फेंकने के तीन आरोपियों को जब पुलिस की टीम ने ऐसी ही मुठभेड़ में मार गिराया था तो वह वारंगल में पदस्थ थे।

वारंगल शहर के स्थानीय निवासी उस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि वर्ष 2008 में इंजीनियरिंग की दो छात्राओं पर कथित तौर पर तेजाब फेंकने के तीन आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। उस समय सज्जनार वारंगल के पुलिस अधीक्षक थे। तेजाब हमले में दोनों लड़कियों के चेहरे बुरी तरह जलकर खराब हो गए थे। घटना के विरोध में सार्वजनिक रोष फुट पड़ा था जिसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ा कदम उठाया। बाद में एक पीड़िता ने हैदराबाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।

मुठभेड़ के बारे में स्थानीय व्यापारी अमरनाथ ने कहा, 'हमें तेजाब हमले की पीड़िताओं के लिए बहुत दुख हुआ था लेकिन तीनों आरोपियों के मारे जाने के बाद हमें सूकून मिला। हमें दिशा (काल्पनिक नाम) के लिए बुरा लग रहा है। हम मानते हैं कि दिशा (काल्पनिक नाम) के परिवार को न्याय मिल गया है।'

आरोपियों के मारे जाने से पीड़िता का परिवार खुश

हैदराबाद, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में एक पशु-चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों के शुक्रवार तड़के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने से पीड़िता का परिवार खुश है और इसके लिए उन्होंने पुलिस तथा तेलंगाना सरकार का शुक्रिया भी अदा किया।

पीड़िता के पिता ने कहा, ' हमने टीवी पर देखा कि वे मुठभेड़ में मारे गए। हम खुश हैं। लोग भी खुश हैं। मैं मुठभेड़ के लिए तेलंगाना सरकार और पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हमारे साथ खड़े रहे सभी लोगों का शुक्रिया करता हूं।' पीड़िता की बहन ने मुठभेड़ से महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध किए जाने वालों में डर उत्पन्न होने की उम्मीद जताई है।

उन्होंने कहा, 'हम खुश हैं। हमे इसकी उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कि उन्हें अदालत के जरिए फांसी मिलेगी।' उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'हमारे साथ खड़े रहे हर एक शख्स का हम शुक्रिया करते हैं। इस घटना के बाद लोगों को ऐसी घटनाएं (महिलाओं के खिलाफ) करने से डरना चाहिए।'

अधीर के बयान पर कांग्रेस सदस्यों और स्मृति के बीच नोकझोंक

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

उन्नाव में बलात्कार पीड़िता को जलाए जाने की घटना पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में कांग्रेस के कुछ सदस्यों और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोंकझोक हो गई । सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस के दो सदस्यों टीएन प्रतापन एवं डीन कुरियाकोस के माफी मांगने की मांग की। इस विवाद के कारण पहले दो बाद सदन की कारवाई स्थगित करनी पड़ी लेकिन विवाद थमता न देख दोपहर बाद ढाई बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित

लोकसभा में इस नोकझोंक की शुरुआत उस वक्त हुई जब शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि आज हम एक तरफ राम मंदिर बनाने वाले हैं दूसरी तरफ देश में 'सीताएं जलाई जा रही हैं।' वे अपनी बात कह कर सदन से कुछ समय के लिए चले गए और भोजन अवकाश के बाद दोबारा किसानों के मुद्दे पर होने वाली चर्चा के लिए सदन में आए। इस पर पलटवार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बलात्कार जैसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्मृति और कांग्रेस के कुछ सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और कांग्रेस के सदस्य को आक्रामक तेवर में आसन की ओर बढ़ते देखा गया। स्मृति ने भी उसी तेवर में जबाब दिया। बाद में भाजपा के अन्य सदस्य उनके पक्ष में खड़े हो गए।

लोकसभा के घटनाक्रम पर स्मृति ईरानी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'बांह चढ़ाकर मारने की भावमुद्रा के साथ एक पुरुष सांसद मेरी तरफ आए, जिसके बाद एक युवा सांसद ने कहा कि मैं बोली ही क्यों... मैं इससे स्तब्ध हूं।' उन्होंने कहा, 'मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं। मैं देखना चाहूंगी कि सदन में सोमवार को महिला के पक्ष में बोलने की विपक्ष मुझे और क्या सजा देने वाला है।' यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस के दो सांसदों को माफी मांगनी चाहिए या उन्हें निलंबित किया जाना चाहित तो स्मृति ने कहा, 'संसद में खड़ा होकर मैं मारूंगा का पोज लेता है, बांह चढ़ाकर मारने के लिए आता है तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए?'

निर्भया मामला : गृह मंत्रालय ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 दिसंबर।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, दया याचिका खारिज करने की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के दो दिन बाद यह कदम उठाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह फाइल विचार करने व अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेज दी गई है। गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश करने वाली फाइल में टिप्पणी भी की। दोषियों में शामिल विनय शर्मा ने दया याचिका भेजी थी। तिहाड़ जेल में बंद चारों दोषियों मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता में से केवल विनय ने ही राष्ट्रपति के नाम दया याचिका लिखी है।

मुठभेड़ पर कुछ नेताओं ने की तारीफ, कुछ ने जताई चिंता

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के चारों आरोपियों के शुक्रवार को कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना का राजनेताओं ने जहां एक ओर प्रशंसा की वहीं उनमें इसके प्रति चिंता भी देखी गई।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जो इस समय रांची में हैं, ने कहा कि तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा, 'यह जानने के लिए कि क्या मुठभेड़ वास्तविक था, क्या वे भागने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और था, गहन जांच की जरूरत है।' कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि न्यायेतर हत्याएं स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, 'सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं। हमें और जानने की जरूरत है, उदाहरण के लिए अगर आरोपियों के पास हथियार थे तो पुलिस का गोली चलाना सही था। विस्तृत जानकारी मिलने तक इसकी निंदा करना सही नहीं है, लेकिन कानून के समाज में न्यायेतर हत्याएं स्वीकार्य नहीं है।' हालांकि बाद में थरूर ने कहा कि वे घटना के तथ्यों की जानकारी सामने आने तक इसकी निंदा करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। उनके सहयोग अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कई बार देश की भावना मानवाधिकार तर्कों पर हावी हो जाती है।

उन्होंने ट्वीट किया, 'कई बार सभी बहसों और मानवाधिकार तर्कों के बावजूद हमें समझना होगा कि देश का मूड और लोगों की भावना उनके साथ है। आखिरकार लोकतंत्र लोगों का होता है।' दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों में ऐसी घटनाओं के प्रति इतना गुस्सा है कि वे मुठभेड़ में मारे जाने से खुश हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा, 'जिस तरह से लोग फौजदारी न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा खो रहे हैं उससे कई बार चिंता भी होती है।' भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुठभेड़ और इसकी अनुमति देने वाले नेतृत्व का भी स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं हैदराबाद पुलिस और उस नेतृत्व को बधाई देता हूं जिसने पुलिस को यह करने की अनुमति दी। सभी को जानने दें कि इस देश में हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होगी है।'

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • Your Own Bank
इण्ड रिटेल प्रोसेसिंग सेंटर-गाजियाबाद
डी-37/2, सेक्टर-50, नोएडा-201301
दूरभाष : 0120 2502364

परिशिष्ट IV
[नियम 8(1)]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम, 88/ए, प्रेम गढ़ी, निकट पुराना बस स्टैण्ड, गाजियाबाद-201001 तथा पंजाब नैशनल बैंक, समसपुर शाखा, ग्राम व पो. समसपुर, जिला बुलन्दशहर-203131 (कर्जदार तथा बंधककर्ता) तथा श्रीमती अनिता रानी पत्नी श्री कैलाश चन्द, 88/ए, प्रेम गढ़ी, निकट पुराना बस स्टैण्ड, गाजियाबाद-201001 (कर्जदार तथा बंधककर्ता) जिसका खाता हमारी सेक्टर-63, नोएडा की शाखा में है, को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 9,52,376/- (रुपये नौ लाख बावन हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र) तथा 30.10.2019 से पुनर्भुगतान की तिथि तक उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 30.10.2018 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।
कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 3 दिसम्बर, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 30.11.2019 तक राशि रु. 9,52,376/- (रुपये नौ लाख बावन हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र) तथा इस पर भावी ब्याज, लागतों, अन्य प्रभारों तथा व्ययों के लिए इण्डियन बैंक के प्रभार का विषय होगा।
हम सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों तथा नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं (जो प्रतिभूतियों को छुड़ाने के आपके अधिकारों के लिए निर्मित है)

अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट सं. बी-1, प्रथम तल, प्लॉट सं. ई-10, बालाजी एन्कलेव, गोविन्दपुरम (खसरा सं. 1494 एम का अंश ग्राम रायसपुर) निकट गोविन्दपुरम, गाजियाबाद पर आवासीय सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, आवासीय सम्पत्ति की माप 56.23 वर्ग मीटर)
सीमाएं निम्नलिखित हैं :
पूर्व : 30 फीट चौड़ी सड़क — उत्तर : प्लॉट का शेष भाग
पश्चिम : अन्य प्लॉट — दक्षिण : 30 फीट चौड़ी सड़क

दिनांक : 03.12.2019 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नोएडा — इण्डियन बैंक, आईआरपीसी

एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि. (आर्सिल)
Arcil
मैसर्स ह्वाइट मेटल्स लिमिटेड से सम्बद्ध वित्तीय आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में न्यास(सों) के न्यासी के रूप में अपनी क्षमता से कार्यरत
द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुम्बई-400 028
दूरभाष: 022-66581300, फैक्स: 022-66581313/14, वेबसाइट: www.arcil.co.in सीआईएन: U65999MH2002PLC134884

23 नवम्बर, 2019 को ''फाइनांशियल एक्सप्रेस'' तथा ''जनसत्ता'' दिल्ली संस्करण में प्रकाशित ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना-ह्वाइट मेटल्स लिमिटेड का संयोजन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि ह्वाइट मेटल्स लिमिटेड की 10 दिसम्बर, 2019 को 3:00 बजे अपराह्न निर्धारित आस्तियों की नीलामी में विक्रय तथा संविदा दस्तावेज के नियम एवं शर्तों में संयोजन के रूप में निम्नलिखित उपबन्ध को शामिल किया गया है।
''समस्त लॉटों अर्थात लॉट 1, लॉट 2 तथा लॉट 3 (कम्पोजिट लॉट) हेतु कम्पोजिट संविदा देने वाले संविदाकार को वरीयता दी जायेगी।''
स्थान : मुम्बई — अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 07 दिसम्बर, 2019 — एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि.

सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक सूचना माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (एनसीएलटी) के आदेश दिनांक 04.11.2019 के अनुवर्ती जारी की जा रही है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सीपी (आइबी) नं. 155/चंडी/हरि/2018 (मै. हिन्द ट्रैडेक्स लिमिटेड बनाम मै. लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रूज लिमिटेड) में आवेदन धारक सीए नं. 366/2019 माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ के आदेश दिनांक 18.07.2018 के अनुसार शुरू की गई कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के दौरान की गई फोरेंसिक ऑडिट के अनुसार मै. लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रूज लिमिटेड ("कारपोरेट ऋणी") के साथ रेफरेंशियल और कपटपूर्ण लेन-देन से गुजरने वाले कथित व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्ताव पेशेवर द्वारा आवेदन दाखिल किया था। सीए 366/2019 में मै. लक्ष्मी एक्सट्रूशन लिमिटेड, पंजी. कार्यालय: 144-146, न्यू साइकिल मार्केट, झंडेवालां एक्सटेंशन, नई दिल्ली (प्रतिवादी नं. 9) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है क्योंकि कथित वादी को स्पीड पोस्ट के कन्साइनमेंट ट्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार परिसर छोड़ जाने के कारण तामील नहीं किया जा सकता। आगामी तौर पर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय एनसीएलटी चंडीगढ़ स्थित चंडीगढ़ के समक्ष सीपी (आइबी) नं. 155/चंडी/हरि/2018 में सीए नं. 366/2019 की सुनवाई की अगली तिथि 20.01.2019 है और प्रतिवादी नं. 9 के प्राधिकृत प्रतिनिधि को माननीय एनसीएलटी चंडीगढ़ स्थित चंडीगढ़ के समक्ष 20.01.2020 को ऊपर कथित सुनवाई के लिए उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। विवरण के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें:- https:nclt.gov.in/interi-morder/682393 किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क किया जा सकता है।
दीपक ठुकराल,
लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रूज़ लिमि. के विषय में प्रस्ताव पेशेवर
(IBBI/IPA-002/IP-N00182/2017-18/10453)
पता: म. नं. 237/1, 44-ए, चंडीगढ़-160047
ई-मेल: पत्राचार के लिए- ip.lakshmiprecision@gmail.com
ई-मेल: आइबीबीआइ के साथ पंजी.
दिनांक: 06.12.2019 — deepakthukral1@gmail.com
स्थान: चंडीगढ़ — मो. 94174-96655

केन फिन होम्स लि.
Can Fin Homes Ltd
पहला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019
CIN No.-L85110KA1987PLC0008699, फोन: 7625079108, 011-26435815, 26430236, ईमेल: delhi@canfinhomes.com

(देखें नियम 8 (1)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 23.8.2019 जारी कर ऋणधारकों: 1) श्री मनोज कुमार सिंह, पुत्र गुलाब कुंअर, 2) श्रीमती पिंकी देवी, पत्नी मनोज कुमार सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 17,99,456/- (रुपए सत्तरह लाख निन्यानवे हजार चार सौ छप्पन मात्र) तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक 23.8.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 17,99,456/- तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये सीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
मकान सं. ए-487-ए, ब्लॉक-ए, पालम विहार, आवासीय कालोनी, पालम विहार, ग्राम-चौमा, तहसील एवं जिला-गुड़गांव, हरियाणा, पिन-122017
उत्तरः मकान सं.-ए-501, — पूर्वः ए-486-ए
पश्चिमः मकान सं.-ए-488 ए, — दक्षिणः रोड
हस्ता./-
तिथि: 6.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली — केन फिन होम्स लि.

इंडियन ओवरसीज बैंक
बहादुरगढ़ शाखा, श्यामजी कॉम्प्लैक्स, दिल्ली रोहतक रोड
फोन: 01276-233200, ई-मेल: iob1607@iob.in
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक, बहादुरगढ़ शाखा, श्यामजी कॉम्प्लैक्स, दिल्ली रोहतक रोड, बहादुरगढ़ के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14.6.2019 जारी कर ऋणधारक मै. ऊर्जा बैटरीज लि., 487/63, 1ला तल , नेशनल मार्केट, पीरागढ़ी, नई दिल्ली-110087 (यहां के बाद ''ऋणधारक'' वर्णित) की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.5.2019 को रु. 5,19,10,009.77 (रुपए पांच करोड़ उन्नीस लाख दस हजार नौ एवं पैसे सतहत्तर मात्र) के साथ अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 3 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर मांग सूचना उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज के साथ रु. 5,25,00,000.00 (रुपए पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की राशि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 5,24,69,287.35 (रुपये पांच करोड़ चौबीस लाख उन्हत्तर हजार दो सौ सतासी तथा पैसे पैंतीस मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति तथा प्रतिभूतियों का विवरण

प्रतिभूति का प्रकार (हाइपोथेकेशन/मार्टगैज आदि)	प्रतिभूतियों का विवरण
मार्टगैज	मै. ऊर्जा बैटरीज लि. (पूर्व में भारत एक्युमुलेटर्स प्रा.लि. के नाम से विदित) के नाम में प्लॉट नं. 11, सेक्टर-16, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, बहादुरगढ़ में फैक्ट्री भूमि एवं भवन
हाइपोथेकेशन	प्रदत्त स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स
हाइपोथेकेशन	कम्पनी की निर्धारित परिसम्पत्तियों का हाइपोथेकेशन

तिथि: 3.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: बहादुरगढ़ — इंडियन ओवरसीज बैंक

सार्वजनिक सूचना
सीओसी के सदस्यों द्वारा तैयार की गई प्रस्ताव योजना के अनुसार कॉर्पोरेट ऋणधारक के ऑपरेशनल क्रेडीटरों से दावे का आमंत्रण
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अनुसार]
लॉजिक ईस्टर्न इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के ऑपरेशनल क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	लॉजिक ईस्टर्न इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	25 जुलाई, 2017
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U29309DL1997PTC088728
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्यालयः ऑफिस नं.- 408, 4था तल, प्लॉट नं. 27, वीर सावरकर ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092 कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-56/39, 5वां तल, सी ब्लॉक, फेज-2, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
6.	प्रस्ताव योजना स्वीकृति की तिथि	2 दिसम्बर, 2019
7.	स्वीकृत प्रस्ताव योजना के अनुसार स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वैन्सी प्रॉफिशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	राजन दास गुप्ता, आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/ IPA-01/ IP-P01094/ 2017-18/ 11804
8.	स्वीकृत प्रस्ताव योजना के अनुसार स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत प्रस्ताव कर्मी का पता तथा ई मेल	पंजी. पताः एन-103, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, ई-मेलः rajandgupta@gmail.com मोबाईलः +91-9810404086
9.	स्वीकृत प्रस्ताव योजना के अनुसार स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	यथोपरि
10.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	5 दिसम्बर, 2020
11.	संबंधित प्रपत्र	दावे जमा करने के लिये संबंधित प्रपत्र https://www.ibbi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने **2 दिसम्बर, 2019** को लॉजिक ईस्टर्न इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों की समिति द्वारा तैयार की गई प्रस्ताव योजना को स्वीकार किया है।
एतद्द्वारा लॉजिक ईस्टर्न इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के ऑपरेशनल क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 08 में वर्णित पते पर स्वीकृत प्रस्ताव योजना के अनुसार स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत प्रस्तावकर्मी के पास **5 दिसम्बर, 2020** को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ इन्सॉल्वेन्सी शुरू होने की तिथि अर्थात 18 जुलाई, 2018 सहित अद्यतन बकाये देयताओं के संदर्भ में अपने दावे जमा करें।
गलत या भ्रामक दावे का प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
हस्ता./- राजन दास गुप्ता
स्वीकृत प्रस्ताव योजना के अनुसार स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत प्रस्तावकर्मी
तिथि: 6 दिसम्बर, 2019 — आईपी पंजीकरण सं.:
स्थान: नई दिल्ली — IBBI/IPA-01/IP-P01094/2017-18/11804

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
नेटसॉफ्ट कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	नेटसॉफ्ट कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	07 जून, 2001
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U72200DL2001PTC111167
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	24, द्वितीय तल, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110 065
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	03 दिसम्बर, 2019 (आदेश एनसीएलटी की वेबसाइट पर 04 दिसम्बर, 2019 को अपलोड किया गया)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	31 मई, 2020 (ऋणशोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	संदीप कुमार अग्रवाल IBBI/IPA-001/IP-P01135/2018-19/11828
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	523, पॉकेट-ई, मयूर विहार, फेज-2, दिल्ली-110 091 ई-मेलः irpnetsoft@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	523, पॉकेट-ई, मयूर विहार, फेज-2, दिल्ली-110 091 ई-मेल : irpnetsoft@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	17 दिसम्बर, 2019
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(अ) वेब लिंक : www.ibbi.gov.in/home/downloads (ब) अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने 3 दिसम्बर, 2019 को नेटसॉफ्ट कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है। (एनसीएलटी की वेबसाइट पर आदेश 4 दिसम्बर, 2019 को अपलोड किया गया)
नेटसॉफ्ट कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 17 दिसम्बर, 2019 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी अप्रयोज्य के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से प्रपत्र सीए में अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निदर्शित करेगा।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।
ह./-
संदीप कुमार अग्रवाल
नेटसॉफ्ट कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
दिनांक : 07.12.2019
स्थान : नई दिल्ली — पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P01135/2018-19/11828

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
शाखा कार्यालय : आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा
मयूर विहार फेज-II, पॉकेट 'ई' कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110091
ई-मेल : bo8075@pnb.co.in, दूरभाष सं. : 011-22779758, 22785289
कर्जदार/जमानती(यों)/गैर-समूह कॉर्पोरेट जमानती(यों)/समूह कॉर्पोरेट जमानती(यों) के लिए कारण बताओ सूचना
सेवा में, — दिनांक : 06.12.2019
मैसर्स प्लैटिनम फूड्स, 116, प्रथम तल, सूर्य किरण बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, दिल्ली-110001
श्री निजमू साकिब पुत्र मोहम्मद यूसुफ अहमद, बी-6, प्रथम तल, डीईबी टॉवर, कोबर डांगा मोड़, टॉली गंज, एम.जी. रोड, कोलकाता-700104
श्री नजमू साकिब पुत्र मोहम्मद युसूफ अहमद, 328, मिल्क आइस फैक्ट्री मोहल्ला-कुरीशियान, गंगोह, सहारनपुर-उ.प्र.
श्रीमान,
विषय : बैंक के साथ मैसर्स प्लैटिनम फूड्स के ऋण खाते में ''इरादतन'' चूक की पहचान-परिणामतः आपके नाम/नामों को ''इरादतन चूककर्ताओं'' के रूप में प्रकटित तथा प्रकाशित करना।+
कृपया हमारी सूचना दिनांक 28.04.2016 का सन्दर्भ लें जिसमें हमने ऋण खाते में जानबूझकर चूक की घटना(एँ) संकेतित की थीं। मामले के तथ्यों को इरादतन चूककर्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने मामले के तथ्यों, अभिलेखित प्रमाणों तथा आपके प्रतिनिधानों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात पाया कि आपके द्वारा इरादतन चूक की घटनाएँ उपस्थित हुई हैं।
तदनुसार बैंक द्वारा संस्थापित ''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' ने निम्नलिखित कारणों के साथ-साथ ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में आप (कर्जदार) तथा निदेशकों/ साझेदारों/ आदि को इरादतन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चूक की पहचान की है :
➢ **निधियों की साइफनिंग:** नकद साख सीमा स्टॉक निर्मित करने तथा कार्यशील पूँजी चक्र को अनुरक्षित करने के लिए उपलब्ध करायी गयी थी। किन्तु बैंक के नकद साख खाते के बिना किसी संगत साख या किसी अन्य वर्तमान आस्तियों में वृद्धि के स्टॉक पूर्ण रूप से समाप्त पाये गये।
यदि आप ''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय से शिकायत रखते हैं तो यदि आप चाहें तो 'इरादतन चूककर्ताओं की समिति' के पास प्रस्तुत हो सकते/प्रतिनिधान कर सकते हैं और कारण बता सकते हैं कि आपको ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। आपकी प्रस्तुति/ प्रतिनिधान इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुँच जानी चाहिए और इसे हमारे डाक के पते अर्थात महाप्रबन्धक, सस्त्र डिवीजन, तीसरी मंजिल, पंजाब नैशनल बैंक, मुख्य कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पर भेजा जाये।
यदि हमें आपकी कोई प्रस्तुति/ प्रतिनिधान नहीं प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं है (''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय के विरुद्ध) और बैंक आपके नाम अथवा आपकी कम्पनी/ फर्म/ इकाई तथा आपके निदेशक/कों/ साझेदार/रों/ प्रोपराइटर के नाम(मों) को आरबीआई/ सिबिल/ अन्य साख सूचना कम्पनियों को ऐसे माध्यम से जैसा बैंक अपने निरपेक्ष विशेषाधिकार से उचित समझे, ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में प्रकाशित करेगा।
आपका विश्वासपात्र
कृते पंजाब नैशनल बैंक
सहायक महाप्रबन्धक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
शाखा कार्यालय : आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा
मयूर विहार फेज-II, पॉकेट 'ई' कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110091
ई-मेल: bo8075@pnb.co.in, दूरभाष सं. : 011-22779758, 22785289
कर्जदार/जमानती(यों)/गैर-समूह कॉर्पोरेट जमानती(यों)/समूह कॉर्पोरेट जमानती(यों) के लिए कारण बताओ सूचना
दिनांक : 06.12.2019
सेवा में,
मैसर्स बब्बर टेक्नोप्लास्ट, जी-285, प्रीत विहार, दिल्ली-110092, जी-338, प्रथम तल, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
सुश्री मोनिका बब्बर, जी-285, प्रीत विहार, दिल्ली-110092, जी-338, प्रथम तल, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
श्रीमान,
विषय : बैंक के साथ मैसर्स बब्बर टेक्नोप्लास्ट के ऋण खाते में ''इरादतन'' चूक की पहचान-परिणामतः आपके नाम/नामों को ''इरादतन चूककर्ताओं'' के रूप में प्रकटित तथा प्रकाशित करना।+
कृपया हमारी सूचना दिनांक 26.09.2019 का सन्दर्भ लें जिसमें हमने ऋण खाते में जानबूझकर चूक की घटना(एँ) संकेतित की थीं। मामले के तथ्यों को इरादतन चूककर्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने मामले के तथ्यों, अभिलेखित प्रमाणों तथा आपके प्रतिनिधानों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात पाया कि आपके द्वारा इरादतन चूक की घटनाएँ उपस्थित हुई हैं।
तदनुसार बैंक द्वारा संस्थापित ''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' ने निम्नलिखित कारणों के साथ-साथ ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में आप (कर्जदार) तथा निदेशकों/साझेदारों/आदि को इरादतन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चूक की पहचान की है :
➢ **निधियों की साइफनिंग:** इकाई बन्द हो चुकी है। कर्जदार ने प्रभारित आस्तियों को निस्तारित कर दिया है और प्रोसीड्स को खाते में नहीं जमा किया है क्योंकि उपलब्ध स्टॉक निल है।
यदि आप ''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय से शिकायत रखते हैं तो यदि आप चाहें तो 'इरादतन चूककर्ताओं की समिति' के पास प्रस्तुत हो सकते/प्रतिनिधान कर सकते हैं और कारण बता सकते हैं कि आपको ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। आपकी प्रस्तुति/प्रतिनिधान इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुँच जानी चाहिए और इसे हमारे डाक के पते अर्थात महाप्रबन्धक, सस्त्र डिवीजन, तीसरी मंजिल, पंजाब नैशनल बैंक, मुख्य कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पर भेजा जाये।
यदि हमें आपकी कोई प्रस्तुति/प्रतिनिधान नहीं प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं है (''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय के विरुद्ध) और बैंक आपके नाम अथवा आपकी कम्पनी/फर्म/इकाई तथा आपके निदेशक/कों/साझेदार/रों/प्रोपराइटर के नाम(मों) को आरबीआई/सिबिल/अन्य साख सूचना कम्पनियों को ऐसे माध्यम से जैसा बैंक अपने निरपेक्ष विशेषाधिकार से उचित समझे, ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में प्रकाशित करेगा।
आपका विश्वासपात्र
कृते पंजाब नैशनल बैंक
सहायक महाप्रबन्धक

www.readwhere.com

खबर कोना

इटली के ट्यूरिन में स्केटिंग ग्रांड प्रिक्स फाइनल प्रतियोगिता में गुरुवार को अमेरिका की अलाइसा लुई।

तीस हजार यूरो में बिकी पेले की आखिरी ब्राजीली जर्सी

मिलान, 6 दिसंबर (एएफपी)।

ब्राजीली फुटबॉल दिग्गज पेले ने अपने अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान जो जर्सी पहनी थी उसे इटली में एक नीलामी में 30,000 यूरो (33,000 डॉलर) में बेचा गया। तीन बार के विश्व कप विजेता पेले ने यह जर्सी युगोस्लाविया के खिलाफ जुलाई 1971 में रियो दि जिनेरियो के मरकाना स्टेडियम में खेले गए मैत्री मैच के दौरान पहनी थी। यह पेले का ब्राजील की तरफ से आखिरी मैच था। पेले अभी 79 साल के हैं और उन्हें सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में गिना जाता है। उन्होंने ब्राजील की तरफ से 92 मैचों में 77 गोल किए। इसी नीलामी में अर्जेंटीना के दिग्गज डिएगो माराडोना की 1989-90 सत्र में नेपोली की तरफ से खेलते हुए पहनी गई जर्सी 7500 यूरो में बिकी। अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जोर्डन ने बेसबॉल में भी हाथ आजमाए थे। इस दौरान उन्होंने जिस बल्ले का उपयोग किया वह 425 यूरो में बिका।

पूर्व भारतीय टेटे कोच भवानी मुखर्जी और तपन बोस का निधन

चंडीगढ़, 6 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व भारतीय टेबल टेनिस के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं रहा जब देश के दो अनुभवी कोच भवानी मुखर्जी और तपन बोस ने यहां अंतिम सांस ली। कोच मुखर्जी का पेट की बीमारी के कारण जिरकपुर में उनके निवास पर निधन हो गया। वह 68 साल के थे। वहीं बोस को उनके निवास पर दिल का दौरा पड़ा। वह 78 के थे। मुखर्जी के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा है। बोस के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। टीटीएआइ महासचिव एमपी सिंह ने बताया, 'उन्हें (मुखर्जी) पेट संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और उनका उनके निवास पर निधन हो गया।' दोनों मशहूर कोचों के बीच अच्छा तालमेल था। बोस के 1974 में सेवानिवृत्त होने के बाद मुखर्जी एनआइएस में मुख्य कोच बने। इससे पहले वह उनके सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। वह टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार हासिल करने वाले पहले कोच थे। उन्होंने अजमेर में स्कूल और कालेज की शिक्षा ग्रहण की थी। कोचिंग में डिप्लोमा लेने के बाद 70 के दशक के मध्य में वह पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) से जुड़े थे। वह एनआईएस पटियाला में मुख्य कोच थे।

कोहली ने तोड़ा विंडीज का व्यूह

हैदराबाद, 6 दिसंबर (भाषा)।

विराट कोहली की कप्तानी पारी और केएल राहुल के अर्धशतक से भारत ने पहले टी-20 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ छह विकेट की जीत से तीन मैचों की शृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की। भारत के सामने 208 रन का लक्ष्य था और उसने सपाट पिच पर 18.4 ओवर में चार विकेट पर 209 रन बनाकर जीत दर्ज की। कोहली ने 50 गेंदों पर छह चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से नाबाद 94 रन बनाए जो इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर है।

वेस्ट इंडीज ने पांच विकेट पर 207 रन बनाए थे। उसकी तरफ से इविन लुईस ने 17 गेंदों पर 40 रन की तूफानी पारी खेली। ब्रेंडन किंग ने 31 रन का योगदान दिया जबकि शिमरोन हेटमेयर (41 गेंदों पर 56 रन) और कप्तान किरेन पोलार्ड (19 गेंदों पर 37 रन) भी पूरे रंग में दिखे। जैसन होल्डर ने नौ गेंद पर 24 रन की तूफानी पारी खेली।

भारत ने इस तरह से सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। इससे पहले उसने श्रीलंका के खिलाफ 2009 में मोहाली में 207 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इस मैच में कुल 27 छक्के लगे जो भारतीय सरजमीं पर नया रेकार्ड है। बड़े लक्ष्य के सामने भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 'हिटमैन' रोहित शर्मा केवल आठ रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राहुल ने शुरू से ही रन बनाने का बीड़ा उठाया। पावरप्ले समाप्त होने के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 50 रन था।

इविन लुईस का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते भारतीय खिलाड़ी

कोहली ने हमेशा की तरह मौके की नजाकत को परखा और पारी संवारने का जिम्मा अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने 12वें ओवर में होल्डर पर छक्का जड़ा जिससे टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा। अपनी पारी के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन पूरे करने वाले राहुल ने 37 गेंदों पर अपना सातवां अर्धशतक पूरा किया।

ऋषभ पंत (नौ गेंद पर 18) ने पियरे पर छक्के से शुरुआत की जबकि कोहली ने होल्डर को निशाने पर रखा। इस तेज गेंदबाज पर उन्होंने लांग ऑफ पर छक्का लगाकर अपना 23वां अर्धशतक पूरा किया जो कि इस प्रारूप में नया रेकार्ड है। कोहली और पंत ने केसरिक विलियम्स पर छक्के लगाए जिससे अंतिम चार ओवरों में लक्ष्य 31 रन रह गया।

कोटरेल ने पंत को पवेलियन भेजा और श्रेयस अय्यर (चार) भी नहीं टिक पाए लेकिन इससे जीत का अंतर ही प्रभावित हुआ। कोहली ने पोलार्ड की गेंद छह रन के लिए भेजी और फिर विलियम्स पर दो छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई।

पेशेवर जादूगर बनना चाहते थे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर शम्सी

जोहानिसबर्ग, 6 दिसंबर (एएफपी)।

दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर तबरेज शम्सी क्रिकेट की दुनिया में आने से पहले पेशेवर जादूगर बनना चाहते थे। शम्सी अपने पुराने शौक को क्रिकेट के मैदान पर लेकर आए। उन्होंने यहां घरेलू टी-20 लीग के मैच में विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए एक जादू दिखाया जिसने क्रिकेट की दुनिया से लेकर सोशल मीडिया तक को आकर्षित किया।

बाएं हाथ का यह स्पिनर जश्न मनाने के दौरान जेब से लाल रंग का एक रुमाल लेकर दौड़ रहा था जो पलक झपकते ही एक मीटर लंबे डंडे की तरह बन गया। शम्सी ने शुक्रवार को कहा कि मैं क्रिकेट के मैदान पर हमेशा मस्ती करना चाहता हूं। पेशेवर क्रिकेट में काफी दबाव होता है और कई बार आप यह भी भूल जाते हैं कि आपने क्रिकेट खेलना क्यों शुरू किया।

उन्होंने कहा कि यह थोड़ा मौज-मस्ती के लिए था। शायद हर किसी को यह पसंद नहीं आया होगा लेकिन मेरी भावनाएं सही थी। मैं चाहता हूं कि अधिक बच्चे खेल का लुत्फ उठाए।

सिरील, अश्मिता के स्वर्ण से भारत को दस पदक

पोखरा, 6 दिसंबर (भाषा)।

अश्मिता चालिहा और सिरील वर्मा में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में शुक्रवार को यहां क्रमशः महिला और पुरुष एकल वर्ग के बैडमिंटन मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किए। इसके साथ ही ध्रुव कपिला ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीत कर दोहरी सफलता हासिल की। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक हासिल करने के अलावा पुरुष और महिला टीमों ने भी शीर्ष पर रहते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए।

जूनियर विश्व चैंपियन के पूर्व उपविजेता सिरील ने फाइनल मुकाबले में पहला गेम गंवाने के बाद आर्यमान टंडन को 17-21 23-21 21-13 से हराया। महिला एकल के फाइनल में अश्मिता ने हमवतन गायत्री गोपीचंद को करीबी मुकाबले में 21-18, 25-23 पराजित किया।

ध्रुव और कृष्णा प्रसाद गारगा की युवा पुरुष एकल जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के सचिन डियाज और बुवानेका गूणतिलखे की जोड़ी को 21-19 19-21 21-18 से हराया। मिश्रित युगल में ध्रुव और मेघना जक्काम्पुडी की जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त श्रीलंका की सचिन डियाज और तिलिनि प्रमोदिका की जोड़ी को 21-16, 21-14 से हराया।

इससे पहले गुरुवार को महिला युगल में कुहु गर्ग और अनुष्का पारिख और मेघना जक्कमपुडी और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ियों को सेमीफाइनल हार का सामना करने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बॉब विलिस के निधन पर

बल्लेबाज ब्रायन लारा ने जताया शोक

मुंबई, 6 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज बॉब विलिस के निधन पर शुक्रवार को शोक जताते हुए कहा कि वह कई क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा के स्त्रोत रहेंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान विलिस ने 90 टैस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 25.20 की औसत से 325 विकेट हासिल किए। वह 300 से अधिक टैस्ट विकेट हासिल करने वाले इंग्लैंड के पांच गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने 1984 में टैस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था।

लारा ने कहा, 'बॉब विलिस इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी थे। वह मेरे समय से पहले खेले थे, लेकिन मैंने इयान बॉथम, माइकल एथर्टन जैसे लोगों से सुना था कि उन्होंने इंग्लैंड में क्रिकेट को आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाई थी, खासकर तेज गेंदबाजी विभाग में उनका योगदान शानदार था। उन्होंने ऐसी नींव रखी जहां युवा क्रिकेटरों के लिए वह प्रेरणास्त्रोत हैं।'

लारा ने कहा, 'बॉब विलिस इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी थे। वह मेरे समय से पहले खेले थे, लेकिन मैंने इयान बॉथम, माइकल एथर्टन जैसे लोगों से सुना था कि उन्होंने इंग्लैंड में क्रिकेट को आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाई थी, खासकर तेज गेंदबाजी विभाग में उनका योगदान शानदार था। उन्होंने ऐसी नींव रखी जहां युवा क्रिकेटरों के लिए वह प्रेरणास्त्रोत हैं।'

लारा ने कहा, 'बॉथम ने मुझे कहा था कि उनकी टीम में सिर्फ एक तेज गेंदबाज था और वही बॉब विलिस थे, टीम में मध्यम गति के कई तेज गेंदबाज थे लेकिन पूर्ण रूप से सिर्फ एक तेज गेंदबाज विलिस ही थे।'

लारा के नाम टैस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 400 रन का रेकार्ड है। दिलचस्प बात यह है कि 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटिगा में खेले गए इस टैस्ट में जब लारा एक रन लेकर 400 के आंकड़े पर पहुंचे तो विलिस उस समय कामेंट्री कर रहे थे। लारा ने कहा कि विलिस ने उस समय जो बातें कही थी वह अब भी उनकी कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा, 'बॉब ने उस समय कहा था-यह एक रन टैस्ट क्रिकेट के इतिहास में काफी अहम होगा।' मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह कल की ही बात हो। वह हमेशा मेरी यादों में रहेंगे।'

कनाडा के लेक लुइस में गुरुवार को महिलाओं के एफआइएस विश्व कप डाउनहील रेस के दौरान मैरी मिशेल ।

मनप्रीत एफआइएच के शीर्ष पुरस्कार के लिए नामित

लुसाने, 6 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने वर्ष का खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया है। उनकी अगुआई में भारत ने तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था। दो अन्य भारतीयों विवेक प्रसाद और लालरेमसियामी को एफआइएच ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष उदीयमान स्टार पुरस्कार के लिए नामित किया है।

मनप्रीत ने अभी तक 242 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। यह 27 वर्षीय खिलाड़ी भारतीय मध्यपंक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने भुवनेश्वर में रूस को 11-3 के कुल स्कोर से हराकर तोक्यो ओलंपिक में जगह पक्की की थी। उन्नीस वर्षीय प्रसाद मिडफील्डर हैं और उन्होंने पिछले साल युवा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की अगुआई की थी। लालरेमसियामी फॉरवर्ड हैं और वह एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। वह भी 19 साल की हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए एडी ओकेनडन और एरेन जालेवस्की, अर्जेंटीना के लुकास विला तथा बेल्जियम के आर्थर वान डोरेन और विक्टर वेगनेज भी शामिल हैं।

नसीम शाह पाकिस्तान की अंडर-19 विश्व कप टीम में शामिल

करांची, 6 दिसंबर (भाषा)।

युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह को आस्ट्रेलिया में सीनियर टैस्ट टीम में शानदार पदार्पण के बाद शुक्रवार को पाकिस्तान की अंडर-19 विश्व कप टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान के जूनियर चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका में 17 जनवरी से नौ फरवरी तक चलने वाले टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन किया।

पाकिस्तान जूनियर टीम के कोच एजाज अहमद ने मुख्य चयनकर्ता और राष्ट्रीय गेंदबाजी कोच वकार यूनिस से नसीम को युवा विश्व कप में खेलने के लिए सीनियर टीम से रिलीज करने का आग्रह किया।

बोर्ड के सूत्र के अनुसार, 'इस महीने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टैस्ट शृंखला के बावजूद मिस्बाह उल हक और वकार ने एजाज अहमद के अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ समय से आइसीसी युवा विश्व कप नहीं जीता है। सोलह साल के नसीम ने ब्रिस्बेन में पहले टैस्ट में पदार्पण किया था और अपनी रफ्तार से सभी को प्रभावित किया।

आत्मनिरीक्षण बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली की 'विकेटकीपर-बल्लेबाज' को सलाह

'दबाव से निपटने का तरीका खुद तलाशें पंत'

कोलकाता, 6 दिसंबर (भाषा)।

बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली का मानना है कि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मैदान पर 'धोनी, धोनी ' सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। साथ ही उन्हें भारत के लिए खेलने के दबाव से निपटने का अपना तरीका खुद तलाशना होगा। सीमित ओवरों के प्रारूप में पिछले कुछ अर्से से लगातार खराब प्रदर्शन के कारण 22 बरस के पंत आलोचना के घेरे में हैं। कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा ने हालांकि उनका बचाव किया है।

कोहली ने गुरुवार को कहा कि पंत को इस कदर अलग थलग नहीं करना चाहिए कि वह मैदान पर उतरते ही नर्वस होने लगें। उन्होंने हाल ही में घरेलू शृंखला में पंत के मैदान पर गलतियां करने पर धोनी के नाम के नारे लगाने के प्रशंसकों के कदम को अपमानजनक बताया था। गांगुली ने कहा कि पंत के लिए यह अच्छा है। उन्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। उन्हें यह सुनने दीजिए और इससे निपटने का तरीका तलाशने दीजिए। उन्हें खुद इस दबाव से निकलने का रास्ता बनाना होगा।

गांगुली ने कहा कि धोनी ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो कुछ किया है, बीसीसीआइ उन्हें कितना भी धन्यवाद दे, कम होगा। हम विराट, चयनकर्ताओं से बात कर रहे हैं। धोनी के भविष्य पर समय आने पर बात करेंगे।

उन्होंने धोनी के भविष्य को लेकर बीसीसीआइ की योजना का खुलासा करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पंत को अगला धोनी बनने के लिए अगले 15 साल लगातार अच्छा खेलना होगा। उन्होंने कहा कि धोनी जैसे खिलाड़ी रोज पैदा नहीं होते। पंत को वह हासिल करने में 15 साल लगेंगे जो धोनी ने हासिल किया है।

गांगुली ने कहा कि धोनी ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो कुछ किया है, बीसीसीआइ उन्हें कितना भी धन्यवाद दे, कम होगा। हम विराट, चयनकर्ताओं से बात कर रहे हैं। धोनी के भविष्य पर समय आने पर बात करेंगे।

2021 शृंखला में एक से ज्यादा टैस्ट खेलना चाहता है आस्ट्रेलिया

मेलबर्न, 6 दिसंबर (भाषा)।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया 2021 में भारतीय टीम के आस्ट्रेलिया दौरे पर बीसीसीआइ से एक से अधिक दिन-रात टैस्ट खेलने का अनुरोध करेगा। जनवरी में तीन मैचों की एक दिवसीय शृंखला के दौरान जब दोनों बोर्ड के अधिकारी मिलेंगे तब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि बीसीसीआइ प्रमुख सौरव गांगुली ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव 'कुछ ज्यादा ही' हो जाएगा।

ईएसपीएन क्रिकइंफो के अनुसार कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ दिन-रात के पहले टैस्ट में भारत की जीत के बाद क्रिकेट आस्ट्रेलिया इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित है।

दिन-रात के पहले टैस्ट में भारत की जीत के बाद क्रिकेट आस्ट्रेलिया इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित है

उसके अध्यक्ष अर्ल एडिंग्स की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल 14 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे शृंखला के दौरान बीसीसीआइ अधिकारियों से मिलेगा।

एडिंग्स ने कहा कि भारत ने दिन-रात का पहला टैस्ट खेल लिया है। अब वे इसके लिए तैयार होंगे। मुझे यकीन है कि वे दिन-रात के और टैस्ट खेलेंगे। हमें जनवरी में इसका इंतजार रहेगा।

गांगुली ने हालांकि कहा कि अभी तक क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने हमें कुछ कहा नहीं है। चार में से दो टैस्ट दिन-रात के खेलना कुछ ज्यादा हो जाएगा। यह पारंपरिक टैस्ट मैचों की जगह नहीं ले सकता लेकिन हर शृंखला में एक मैच ऐसा हो सकता है।

एडिंग्स ने कहा कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया चाहता है कि बीसीसीआइ आगामी शृंखला में एक और टैस्ट जोड़े।

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत के खिलाफ पांच टैस्ट खेलें। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा हो सकेगा। भारत दिन-रात का टैस्ट खेलने को राजी हो गया है जो अच्छी बात है। इससे साबित होता है कि सौरव गांगुली को खेल की परवाह है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 20, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com